

◎ राजभल बोरा


प्रथम संस्करण, जून १९७१ है।

प्रकाशक : नविता प्रकाशन
ब्लॉक नं. ६, आनन्दनगर, टाउन हाल,
औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

मूल्य : ७ रु. ५० पेसे

मुद्रक : ज. रा. बर्द्दापूरकर
व्यवस्थापक, जयहिंद प्रिंटिंग प्रेस,
सत्यनाथ कॉलनी, औरंगाबाद

सुदृढवर भाईसाहब
डॉ. भ. ह. राजूरकर
को सावर निवेदित



अनुक्रम		
१. मनोविज्ञारों का मूल्यांकन	...	३
२. कविता : प्रयोजन और आवश्यकता	...	३१
३. अभिरुचि और समीक्षा	...	७१
४. सिद्धान्त और व्यवहार	...	८९
५. भाषा और शैली	...	१११
६. नीतिक मान्यताएँ	...	१३१
७. और अन्त में	...	१४९



१. मनोविकारों का मूल्यांकन

१. मनोविकारों का मूल्यांकन

चिन्तामणि (भाग एक) में, आरंभ में दस निबन्ध ऐसे हैं जिनको उमी पुस्तक के अन्य निबधों से अलग किया जा सकता है। इन निबधों का सम्बन्ध मनोविकारों से है। प्रथम निबध का शीर्षक 'भाव या मनोविकार' है और वाद के नौ निबध क्रमशः उत्साह, थड़ा-भवित, कस्णा, लज्जा और गलानि, लोभ और प्रीति, वृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध हैं। आचार्य शुक्ल के इन निबधों को उनके अन्य निबधों से अलग किया जा सकता है। इन का सम्बन्ध विषय की दृष्टि से मनोविज्ञान से है। इन निबधों को मनोवैज्ञानिक निबध कहा जाता रहा है। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में मे निबंध मनो-वैज्ञानिक हैं? और यदि इनको मनोवैज्ञानिक निबध मान लिया जाता है तो मनोविज्ञान विषय में आचार्य शुक्ल ने जो कार्य किया है, उस कार्य का मूल्यांकन (विषय वस्तु के आधार पर) होना चाहिए और यदि इन्हे मनो-

वैज्ञानिक निबन्ध नहीं माना जाता तो किर हहें किम प्रकार के निवध माना जाय? इस बात का निर्णय होना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि ये निबन्ध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान? विषय प्रधान और व्यक्ति प्रधान के साथ साथ इन निबन्धों में व्यक्ति विचारों का विश्लेषण होना चाहिए। इन्हीं सब प्रश्नों को व्यान में रखते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के उन निबन्धों का विवेचन एवं विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। उनके ये निबन्ध उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करने में उपयोगी होने के नाते—साथ ही साथ—उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जा रहा है। इम मारे विवेचन एवं विश्लेषण में चिन्तामणी (भाग एक) के आरम्भ के दस निबन्धों को ही आधार माना गया है।

विषय-प्रधान

निबन्ध गद्य की कमीटी है और इस नाते निबन्ध विचार प्रधान होते हैं और ये विचार शीर्षक में दिए हुए विषय के अनुसार होने चाहिए। मनोविकारों से सम्बन्धित ये सारे निबन्ध पढ़ते समय एवं पढ़ने के बाद पाठक पर (विषय पर विचार करनेवाले पर) यह प्रभाव छोड़ जाते हैं कि निबन्ध विषय के अनुसार लिखे गए हैं। लगता है आचार्य शुक्ल ने विषय के साथ पूरा व्याय किया है। यह प्रभाव पाठक पर उस ममय तक धर्तमान रहता है जब तक कि विषय से हटकर पाठक उन विचारों का (विषय से सम्बन्धित विचारों का) विश्लेषण करने की क्षमता नहीं रखता। विषय मनोविकारों से सम्बन्धित है अतः इन्हें (इन निबन्धों को) मनोवैज्ञानिक-निबन्ध कहा गया है। यदि इन निबन्धों को मनोवैज्ञानिक । मनोविज्ञान विषय का विशेषज्ञ) पढ़ेगा तो वह इन निबन्धों को 'विषय-प्रधान' न कहकर 'व्यक्ति-प्रधान' कहना ही उचित समझेगा। यहाँ पर इन निबन्धों का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक के नाते से करना सभव नहीं। विषय-प्रधान निबन्धों पर विचार करने समय व्यान साधारण पाठक का रहा है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन निबन्धों में आचार्य शुक्ल वो प्रतिभा व्यक्त हुई है। प्रतिभा इसलिए कहा जा रहा है कि विषय के साथ व्यक्ति सम्बद्ध है। मनोविज्ञान की पुस्तके पढ़ते समय पाठक का व्यान विषय पर रहता है। क्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक की पुस्तक पढ़े (प्रतिभाशाली मनो-वैज्ञानिक) तब भी पढ़ते समय यह अनुभव किया जा सकता है कि लेखक भें पर्यवेक्षण शक्ति है। पर्यवेक्षण के अनुसार तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं और तथ्यों के उपरान्त, साथ साथ उनका विश्लेषण है। अपने विषय पर निष्कर्ष देने से

पूर्व फ्रायड भरपूर सामग्री (विषय से सम्बद्ध) देता है। फ्रायड आरम्भ में अपने निष्कर्ष नहीं लिख देता। फ्रायड ही क्यों कोई भी विशेषज्ञ अपने विषय का वैज्ञानिक विवेचन करते समय निष्कर्षों को तत्काल और आरम्भ में ही एवं बड़े विश्वास के साथ नहीं लिखता। क्या आचार्य शुक्ल इन निबन्धों में एक मनोवैज्ञानिक के रूप में निबन्ध लिख रहे हैं? उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं। इतनी बात स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल के लेखन में अपूर्व विश्वास है और उनका यह विश्वास उनके व्यक्तित्व को सबल बनता है। इस अपूर्व विश्वास के साथ लिखते हुए भी आचार्य शुक्ल विषय का विवेचन वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। अपने विश्वासों को तर्क का आधार प्रस्तुत करने के कारण ही उनके ये निबन्ध विषय-प्रधान प्रतीत होते हैं।

निबन्ध विषय प्रधान इस ताते बन पड़े हैं कि विषय का विवेचन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण वैज्ञानिक है; उदाहरण एवं तत्सम्बन्धी धारणाएँ तदनुकूल हैं। आरम्भ से अन्त तक शुक्लजी यह अनुभव नहीं होने देते कि निबन्ध विषय की लीक से हट रहा है।

अब विषय की ओर आएं। भाव या मनोविकारों से सम्बन्धित ये निबन्ध हैं। उत्साह से लेकर क्रांघ तक सभी विषय मनोविकारों से सम्बन्धित ही है। आचार्य शुक्ल 'मनोविकार' शब्द का प्रयोग भाव के वजन पर ही करते हैं। केवल शीर्षक में ही नहीं अपितु अपने निबन्ध में भी वे लिखते हैं—“नाना विषयों के बोध का विवाज होने पर ही... उत्से... सम्बन्ध रखनेवाली इच्छा की अनेकरूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न-भिन्न योग सघटित होते हैं जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं।” (पृ १) आचार्य शुक्ल ने मनोविज्ञान को बोध में आने नहीं दिया है। मनोविकारों का (भावों का) विश्लेषण करते समय मन का विश्लेषण किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता। फ्रायड का कहना है—“मनोविश्लेषण के दो सिद्धान्त ऐसे हैं जो सारी दुनिया को नाराज़ करते हैं, एक तो बौद्धिक पूर्वाग्रहों (Prejudice) अथवा बने हुए स्स्कारों को चोट पहुँचाता है और दूसरा नैतिक तथा सौदर्य सम्बन्धी स्स्कारों या पूर्वाग्रहों को। इन पूर्वाग्रहों को मामूली चीज़ नहीं समझना चाहिए। ये बड़ी जबरदस्त चीज़ हैं और मनुष्य के विकास की मजिलों के कीमती और आवश्यक अवशेष हैं। उनको भावनाओं के बल से कायम रखा जाता है और उनसे बड़ा कड़ा मुकाबला है”^१ क्या आचार्य शुक्ल मनोविकारों का विश्लेषण करने में इन पूर्वाग्रहों से बचे हुए है? ऐसा प्रतीत नहीं

१. मनोविश्लेषण-फ्रायड-(अनुवादक, देवेन्द्रकुमार वेदालंकार)-पृ. १५.

होता। इसलिए इह विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक निवन्धन नहीं कहा जा सकता भनोविकारों से सम्बन्धित। इन निवन्धों के लेखन में दृष्टि व्यक्ति पर नहु समाज पर रही है। अतः इन निवन्धों को मनोवैज्ञानिक निवन्धन न कहकर 'समाज-मनोविज्ञान' (Social-Psychology) के निवन्ध कहना अधिक उपयुक्त होगा। समाज-मनोविज्ञान विशेष रूप से व्यक्ति-व्यक्ति, व्यक्ति-समूह और समूह-समूह के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है। आचार्य शुक्ल के ये निवन्ध विशेष रूप से व्यक्ति-व्यक्ति एवं व्यक्ति-समूह का अध्ययन है। यहाँ भी यह अध्ययन एक निश्चित समाज का अध्ययन है। भारतीय संस्कृति (विशेष रूप से तुलसीदास-रामायण की मस्तुकि) के मूल्यों का सामाजिक विश्लेषण (व्यक्ति भन के सदर्भ में) इन निवन्धों में हुआ है। ऐसी स्थिति में समाज-मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखते हुए भी ये निवन्ध विशेष सांस्कृतिक परिवेश से युक्त समाज का विश्लेषण करनेवाले हैं। यदि हम उक्त सांस्कृतिक परिवेश एवं सामाजिक विश्वासों एवं मूल्यों को स्वीकार कर लेते हैं तो ये निवन्ध वैज्ञानिक प्रतीत हीमे। एक निश्चित मूल्यों से युक्त समाज का समाज-मनोवैज्ञानिक अध्ययन इन निवन्धों में मिलता है।

उत्साह से लेकर क्रोध तक शीर्षक (निवन्धों के शीर्षक) के अनुसार शुक्लजी ने प्रत्येक मनोविकार की परिभाषा तो दी ही है किन्तु वीक्ष-वीक्ष में एक मनोविकार से दूसरे मनोविकार का अन्तर बतलाने के लिए भी सूक्ष्माति-सूक्ष्म अर्थ को स्पष्ट किया है। जहाँ तक परिभाषाओं का प्रश्न है, वहाँ वे विषय के साथ पूरा व्याय कर रहे हैं। मनोविकारों की परिभाषाओं के साथ साथ मनोविकारों की स्थितियों (विकल्पों) का वर्णकरण भी शुक्लजी करते हैं। उनका यह वर्णकरण वैज्ञानिक है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :—

परिभाषाएँ :

१) इच्छा के बिना कोई शारीरिक क्रिया प्रश्वल नहीं कहला सकती।
(प्रश्वल) पृ. ३.

२) साहसपूर्ण आत्म की उमग का नाम उत्साह है।
(उत्साह) पृ. ६.

३. "Social psychology is interested in three basic interactional relationships: person-to-person, person-to-group and group-to-group."

४. Hand book of Social Psychology-by-Kimball Young Pg. I

- ३) जिस आनन्द से कर्म की उत्तराजना होती है और जो आनन्द कर्म करते समय तक बराबर चला चलता है उसी का नाम उत्साह है। (उत्साह) पृ. १४.
- ४) बुद्धि-द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार का नाम ही प्रयत्न है। (प्रयत्न) पृ. १४.
- ५) कर्म में आनन्द अनुभव करनेवालों ही का नाम कर्मण्य है। (कर्मण्य) पृ. १५.
- ६) श्रद्धा महत्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य बुद्धि का सचार है। (श्रद्धा) पृ. १७.
- ७) श्रद्धा न्याय-बुद्धि के पलडे पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलडे पर रखने हुए श्रद्धेय के गुण, कर्म आदि के हिसाब से होती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है जिससे और किसी प्रकार का सौदा हो ही नहीं सकता। (श्रद्धा) पृ. ३०.
- ८) श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्यभाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा-भाजन के सामीप्य-लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। (भक्ति) पृ. ३२.
- ९) भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अश स्वार्थ (परिवार वा शारीरिक सुख आदि) से विमुक्त करके किसी के आश्रय से किसी ओर लगा सकते हैं। इसी का नाम है आत्मनिवेदन। (आत्मनिवेदन) पृ. ३३.
- १०) दूसरों के, विशेषतः अपने परिचितों के, घोडे न्लेश या शोक पर जो वेग-रहित दुख होता है, उसे सहानुभूति कहते हैं। (सहानुभूति) पृ. ५२.
- ११) दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारण होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है-उनकी स्वच्छन्दता के विवात का जो अनुभव होता है-उसे लज्जा कहते हैं। (लज्जा) पृ. ५६.
- १२) अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकान्त अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है, उसे ग्लानि कहते हैं। (ग्लानि) पृ. ५८.

(१३) बाशका अनिश्चयात्मक वृत्ति है। (आशका) पृ. ६०.

(१४) लज्जा का एक हल्का रूप सकोच है जो किसी काम को करने के पहले ही होता है। (सकोच) पृ. २५.

(१५) किसी प्रकार का सुख या आनंद देनेवाली वस्तु के संबंध में मन को ऐसी स्थिती को जिसमें उम वस्तु के भ्रमाव की भावना होते ही प्राप्ति, सत्त्विष्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, लोभ कहते हैं। (लोभ) पृ. ३०.

(१६) अब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रभय सामने आता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति को और प्रवृत्ति भी जब तक एकनिष्ठ न हो, लोभ ही कही जा सकती है, पर साधारण बोल-चाल में वस्तु के प्रति मन की ओर ललक होती है उसे 'लोभ' और किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे 'प्रेम' कहते हैं। (प्रेम) पृ. ८६.

(१७) अरुचिकर विषयों के उपस्थित होने पर अपने ज्ञानपथ से उन्हें दूर रखने की प्रेरणा करनेवाला जो दुख होता है उसे धूणा कहते हैं। (धूणा) पृ. ९७.

(१८) दूसरे के सुख या भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुख होता है जिसे ईर्ष्या कहते हैं... ईर्ष्या एक सकर भाव है जिसकी सम्प्राप्ति आलस्य, अभिमान और नेराश्य के योग से होती है। (ईर्ष्या) पृ. १०७.

(१९) किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। (भय) पृ. १२४.

(२०) दुख या आपदि का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी सभावना मात्र के अनुभव से जो आवेग-दून्य भय होता है, उसे आशंका कहते हैं। (आशंका) पृ. १२६.

(२१) कोष दुःख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुभान से होता है। (कोष) पृ. १३१.

(२२) वैर कोष का अचार या मुख्य है। जिससे हमें दुख पहुँचा है उसपर यदि हमने कोष किया और यह कोष हमारे हृदय में

बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है । (बैर)
पृ. १३८.

- २३) कोष का एक हलका रूप है चिड़चिड़ाहट जिसकी व्यजना प्रायः शब्दों तक ही रहती है । (चिड़चिड़ाहट) पृ. १३९.
२४) किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना, अमर्ष कहलाता है । (अमर्ष)
पृ. १३९ - आदि आदि ।

इन परिभाषाओं में 'मनोविकार' को सामान्य मानकर अर्थवत्ता प्रदान की गई है । प्रथत्न, उत्साह, कर्षण, श्रद्धा, भक्ति, आत्मनिवेदन, सहानुभूति, लज्जा, गलानि, सकोच, लोभ, प्रेम, वृणा, ईर्ष्या, भय, कोष, चिड़चिड़ाहट और अमर्ष शब्दों के अर्थ इन परिभाषाओं के कारण स्पष्ट हो गए हैं । परिभाषाओं के साथ साथ इन 'मनोविकारों' की तुलना की गई है; परस्पर सम्बन्धित एवं विपरीत मनोविकारों को स्पष्ट किया गया है । कुछ उदाहरण :
तुलनाएँ :-

- १) यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है । प्रंगी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है । प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में तीन । प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं पर श्रद्धा से मध्यस्थ अपेक्षित है । (प्रेम और श्रद्धा) पृ. १९
- २) श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति होती है । (श्रद्धा और दया) पृ. ३१
- ३) दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा कोष है । कोष जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानी की चेष्टा की जाती है । करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसको भलाई का उदाय किया जाता है । (करुणा और कोष) पृ. ४४
- ४) लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख । (लोभ और प्रेम) पृ. ६९
- ५) कोष का विषय पीड़ा या हानि पहुँचानेवाला होता है, इससे कोषी उसे नष्ट करने में प्रवृत्त होता है । वृणा का विषय इन्द्रिय या मन के व्यापार में सकोच मात्र उत्पन्न करनेवाला होता है इससे मनुष्य को उतना उत्तेज नहीं होता और वह वृणा के

विषय की हानि करन म तुरन्त बिना कुछ विकार कर प्रवृत्त नहीं होता। (क्रोध और धृष्णा) पृ. ९३-९४

- ६) इच्छा स्थितिगत होती है और स्फर्दि वस्तुगत (ईच्छा और स्फर्दि) पृ. १०८.
- ७) वैर और द्वेष मे अन्तर यह है कि वैर अपनी किसी वास्तविक हानि के प्रतिकार मे होता है, पर द्वेष अपनी किसी हानि के कारण या लाभ की आशा से नहीं किया जाता। (वैर और द्वेष) पृ. १०९
- ८) क्रोध दुःख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आशुल करता है और भय उसकी पहुँच से बढ़ा होने के लिए। (क्रोध और भय) पृ. १२४
- ९) दुखात्मक भावों मे आशा की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों मे आशाकी। (आशंका और आशा) पृ. १२६ आदि आदि।

मनोविकारों की परिभाषा एवं परस्पर सम्बद्ध तुलनाएँ आदि लिखन में विषय का विवेचन शास्त्रीय है। यहाँ चुक्कली से सहमत होना भी पड़ता है। उन्होंने मनोविकारों के विभिन्न विकल्प दिए हैं; उनकी अलग अलग दशाएँ बतलाई हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिक वर्णकरण भी किया है। इस दृष्टि से कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :-

विकल्प का उदाहरण : जिन कर्मों मे किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कण्ठापूर्ण आनन्द उत्साह के अन्तर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी मेद हो जाते हैं। (उत्साह के भेद) पृ. ३.

अलग अलग दशाओं या स्थितियों का उदाहरण : स्थितिभेद से प्रिय या अच्छी लगनेवालों वस्तु के सम्बन्ध मे इच्छा दो प्रकार की होती है ... (१) प्राप्ति या साम्रिध्य की इच्छा (२) दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या साम्रिध्य की इच्छा भी दो प्रकार की हो सकती है ... (१) इतने संपर्क की इच्छा जितना और किसी का न हो (२) इतने सम्पर्क की

इच्छा जितनी सब कोई या बहुतसे लोग एक साथ रख सकते हो । (लोम की स्थितियाँ) पृ ७१

वर्गीकरण का उदाहरण : स्थूल रूप से श्रद्धा तीन प्रकार की कही जा सकती है । (१) प्रतिभा-सम्बन्धिनी, (२) शील-सम्बन्धिनी और (३) साधन-सम्पत्ति-सम्बन्धिनी । (श्रद्धा का वर्गीकरण) पृ २२. आदि आदि ।

मनोविकारों के विकल्प, उनकी स्थितियाँ या दशाएँ, उनके विभिन्न रूप एवं उनको वर्गीकृत करते समय मनोविकार की किसी स्थिति को छोड़ दिया गया है, ऐसा प्रतीत नहीं होता । इस सारे विवेचन में विषय के विस्तार को व्यापक स्तर प्रदान किया गया है । इस विवेचन में आचार्य शुक्ल का प्रखर ज्ञान व्यक्त हुआ है । मनोविज्ञान या समाज-मनोविज्ञान का जानकार भी इनका विरोध नहीं कर सकेगा । यह इसलिए कि मनोविकार को सामान्य मानकर उनका वैज्ञानिक विवेचन विषयानुभार प्रस्तुत किया गया है । अपने कथन के उपयुक्त शुक्लजी ने उदाहरण भी दिए हैं ।

मनोविकार और साहित्य

आचार्य शुक्ल भावक्षेत्र को पवित्र मानते हैं । उनका कविता की शक्ति में अपूर्व विश्वास है । भावक्षेत्र अर्थात् मनोविकारों का क्षेत्र (शुक्लजी के ही शब्दों में) पवित्र है और इस क्षेत्र को पवित्रता बताए रखने के लिए कविता की आवश्यकता है । आचार्य शुक्ल आलोचक है और आलोचक की सबेदना विकसित होती है । इस नाते से शुक्लजी ने अपनी विकसित सबेदना का परिचय दिया भी है । इन निबन्धों में उन्होंने अपनी रसानुभूति का बौद्धिक विश्लेषण किया है । इस बौद्धिक विश्लेषण में उनकी दृष्टि मूलतः कविता पर रही है । एक मनोवैज्ञानिक (Psychologist) इन मनोविकारों का अध्ययन प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि 'मनोविकारों' को कैसे पहचाना जा सकता है ? वह यह भी देखेगा कि इनकी अभिव्यक्ति कैसे होती है ? इन को पहचान कर ही वह 'मन' का विश्लेषण कर सकेगा । मानसिक समस्याओं को पहचानने के लिए एवं उनका निदान प्रस्तुत करने के लिए मनोवैज्ञानिक इन मनोविकारों का अध्ययन करेगा । आचार्य शुक्ल का उद्देश्य इस प्रकार का है ऐसा प्रतीत नहीं होता । इसी तरह समाजशास्त्री की तरह वे मनोविकारों का अध्ययन नहीं करते । यह स्पष्ट है कि उनका यह अध्ययन एवं तदनुसार लेखन काव्यशास्त्र के आचार्य होने के ताते हैं । कर्मयोग, ज्ञानयोग के सदृश वे भावयोग को मानते हैं और भावयोग की साधना काव्य-साधन मनोविकारों का मूल्यांकन

है। इम विश्वास पर उ हीन अपन सिद्धान्तो का प्रबन्धन किया है। इम प्रबन्धमें मनोविकारों का स्वतन्त्र रूप से बोधिक विवेचन इन निवधाम कियगया है। अतः दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ तो यह कह नकरते हैं कि आचार्य शुक्ल मनोविकारों से सम्बन्धित निवन्धों में एक मनोवैज्ञानिक के नामेया समाजशास्त्री के नामे नहीं, काव्यशास्त्र के आचार्य के नामे नामने आने हैं। प्रभुख रूप से उनकी दृष्टि साहित्य पर रही है। इम बात का नब से बड़ा प्रमाण यह है कि इन निवन्धों में मनोविकारों को स्पष्ट करने के लिए कविता से अनेक उदाहरण दिए गए हैं। एक मनोवैज्ञानिक अपने उदाहरण मानसिक रूप से ग्रस्त रोगियों से देगा। एक समाजशास्त्री अपने उदाहरण मानसिक इतिहास से देगा या सामाजिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए अपने निष्कार्णों को लिखेगा। आचार्य शुक्ल के उदाहरण कविता से (माहित्य से) सम्बन्ध रखने के नामे यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उनके ये निवन्ध (प्रनोविकारों से सम्बन्धित निवन्ध) साहित्य से सम्बन्धित हैं और रसानुभूति की बोधिक व्याख्या प्रस्तुत करनेवाले हैं। विषय की दृष्टि से ये निवन्ध मनोविज्ञान के नहीं काव्यशास्त्र के नामे जाने चाहिए।

व्यक्ति-प्रधान

जैसे कि पहले ही कहा गया है आचार्य शुक्ल के ये निवन्ध विषय बोध के उपरान्त यदि गहराई से देखे तो व्यक्ति-प्रधान प्रतीत होगे। आचार्य शुक्ल ने निवेदन मे लिखा है, 'इस पुस्तक में मेरी अन्तर्यात्रा में पहलेवाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिये निकलती रहो हैं बुद्धि, पर हृदय को भी माथ लेकर। अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्वल्पो पर पहुँची है, वहाँ हृदय थोड़ा-बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि-नय पर हृदय भी अपने लिये कुछ-न-कुछ वाता रहा है' (पृ. १, निवेदन) अपनी बात कहने के उपरान्त शुक्लजी यह निर्णय पाठकों पर छोड़ देने हैं कि इन्हें विषय-प्रधान माना जाय या व्यक्ति-प्रधान। पाठकों पर निर्णय छोड़ने से पूर्व उनके निवेदन के स्वर को देखा जाय तो वह स्वर 'व्यक्ति-प्रधान' का स्वर प्रतीत होता है। 'मेरी अन्तर्यात्रा' शब्द में 'व्यक्ति' का बोध है, विषय का बोध नहीं। बुद्धि ही या हृदय शुक्लजी ने दोनों को 'मेरी' ही माना है और इस 'मेरी' शब्द ने उनके ही शब्दों में निवन्धों को व्यक्ति-प्रधान बना दिया है। बुद्धि भी मेरी है और हृदय भी मेरा है व्याम देन योग्य कबन यह है कि

यात्रा के लिए निकली बुद्धि ही है। हृदय उसके पीछे-पीछे है। यात्रा का श्रम बुद्धि का श्रम है और हृदय ने तो श्रमका परिहार किया है। आचार्य शुक्ल का यह निवेदन स्वयं इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अपने निवन्धों को वे बुद्धि-प्रधान रखना चाहते हैं। यात्रा के लिए बुद्धि निकली है और श्रम भी बुद्धि का है। किन्तु इस बुद्धि को उन्होंने मेरी कहा इसीलिये निवन्ध (बुद्धि प्रधान होते हुए भी) व्यक्ति-प्रधान हो गए हैं।

ज्ञान का उपयोग बुद्धि है। इस उपयोग में (ज्ञान के उपयोग में अर्थात् बुद्धि में) श्रम होता है। इस पथ पर चलना (यात्रा करना) और रुचि के साथ चलना धैर्य का काम है। बुद्धि को व्यक्तित्व का अंग बनाना और उस पर दृढ़ बने रहना वास्तव में विचारों को तर्क का आधार प्रस्तुत करना है एवं विषय को अपना बनाकर कहना है। आचार्य शुक्ल इन निवन्धों को विषय-प्रधान (विकल्प के रूप में) कहते समय इस बात का अनुभव करते हैं कि निवन्धों में बुद्धि का प्राप्तान्य है और बुद्धि विषयानुभार यात्रा पथ पर चलती रहती है। आचार्य शुक्ल की इस प्रखर बुद्धिमत्ता को विद्वानों ने स्वीकार किया है। अज भी उनका व्यक्तित्व यदि सब को प्रभाविता करता है तो वह उनकी बुद्धिमत्ता के कारण ही। यह सब होने पर भी इस बौद्धिक विवेचन में (सहज ही में लक्षित न होने पर भी) व्यक्ति-प्रधान का स्वर मुख्यरित हुआ है।

ज्ञान या बुद्धि (बुद्धि में ज्ञान का उपयोग होता है, इस ताते) जब विश्वास का रूप ग्रहण कर ले तब फिर वह ज्ञान व्यक्ति-प्रधान हो जाता है। शुक्लजी के लेखन में, कथन में, परिभाषा देने में, वर्गीकरण करने में या अपने कथन की विवेचना में अपूर्व विश्वास दिखलाई देता है। उनके इस विश्वास के कारण ही उनका खण्डन करने में भय का अनुभव होता है। शुक्लजी की महत्ता इसी में है कि उन्होंने अपने विश्वासों को बौद्धिक आधार प्रदान किया है। इसीलिये शुक्लजी का विरोध या खण्डन बौद्धिक आधार पर ही सम्भव है। शुक्लजी के विचारों में शुक्लजी का विश्वास ज्ञालकता है और इस विश्वास के कारण ही उनके विषय-प्रधान निवन्ध, व्यक्ति-प्रधान हो जाते हैं।

आचार्य शुक्लजी के व्यक्ति-रूप का (व्यक्तित्व का) विश्लेषण करने के लिए उनकी विश्वास-प्रणाली का अध्ययन करता होगा। इस सम्बन्ध में किम्बाल यग का कहना है कि “विश्वास प्रणाली निश्चित ही सामाजिक दृष्टि से व्युत्पन्न प्रणाली है, जो प्रतीकात्मक आदान-प्रदान के आधार पर व्यक्त होती रहती है। अतः वह सापेक्ष सामाजिक अनुभव (Shared experience) मनोविकारों का मूल्यांकन

है और उस अनुभव का संदर्भ से कठफर सामाजिक -उक्तकैदम् इ-संगोष्ठी अर्थ नहीं। वह विश्वास-प्रणाली बहुत हद तक सम्प्रेषण के आधार पर उत्ता होती है और उसी आधार पर स्थिर भी रहती है और उसका भाषा एवं उसके अर्थ के साथ निश्चित सम्बन्ध बना दुआ होता है।”¹ किम्बाल्य यंग ने इस कथन के आलोक में आचार्य शुक्ल की विश्वास-प्रणाली का अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है। यद्यापि यह अध्ययन प्रस्तुत करना कठीन है, फिर भी नीचे इस दिशा में प्रयास किया गया है। इससे सब का सहमत होना संभव नहीं।

मनोविकारों की व्याख्या एवं विवेचन करते समय आचार्य शुक्ल ने उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरणों का विश्लेषण करते समय शुक्लजी अपने आवेगों को एवं विश्वासों को व्यक्त कर देते हैं। इस स्थिति में पहुँचकर वे निर्णय देने लगते हैं। अच्छे-बुरे, नैतिक-अचेतिक, मरण-अमरण आदि के सम्बन्ध में विधान प्रस्तुत करते जाते हैं। कोई मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री अपने विषय का विवेचन करते हुए इस प्रकार के निर्णय नहीं देगा। मनो-विकारों के सम्बन्ध में दिए गए निर्णयों के कुछ और उदाहरण:-

- 1) एक जाति को मूर्ति-पूजा करते देख दूसरी जाति के मह-प्रबतीक ने उसे गुनाहों में दाखिल किया है। एक सम्प्रदाय को भस्म और रुद्राक्ष धारण करते देख दूसरे सम्प्रदाय के प्रचारक ने उनके दर्शन तक मे पाप लगाया है। भावक्षेत्र अत्यन्त पवित्र धन्त्र है। उसे इस प्रकार गन्दा करना लोक के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए। पृ. ५.
- 2) शोल, कला और साधन-सम्पत्ति-शक्ति के इन तीन विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले हीना चाहिए और किसका पीछे? इसका बेधड़क यही उत्तर दिशा जा सकता है कि जनसाधारण

¹ “A belief system is definitely a social product which arises out of the matrix of symbolic interaction. Hence it is a shared experience and has no meaning outside a social context. It arises and is maintained largely through communication and it has a very definite relationship of language and meaning.”

के लिए शील का ही सब से पहले ध्यान होना स्वाभाविक है, क्यों कि उसका सम्बन्ध मनुष्य-मात्र की सामान्य स्थिति-रक्षा से है। पृ. २७.

३) लोक-व्यवस्था के भीतर कुछ विशेष वर्ग के लोग, जैसे शिष्ट, विद्वान, धर्म-चित्तक, शासन-कार्य पर नियुक्त अधिकारी, देश-रक्षा में प्राण देने को तैयार और इत्यादि औरो से अधिक आदर और सम्मान के पात्र होते हैं। इनके प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित न करना अपराध है। अन्य वर्ग के लोग लोकधर्मनिःसार इन्हे बड़ा मानने को विवश हैं। पर इन्हे दूसरों को छोटा प्रकट करने या मनाने तक का अधिकार नहीं है। जहाँ इन्होंने ऐसा किया कि सम्मान का स्वत्व खोया। पृ. ११३। आदि आदि।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये उदाहरण आचार्य शुक्ल के व्यक्तिरूप का उद्घाटन करते हैं। आचार्य शुक्ल ने स्थान-स्थान पर लोक-धर्म का उल्लेख किया है और मनोविकारों की व्यवस्था लोकधर्मनिःसार होनी चाहिए, ऐसा उनका आग्रह है। शील-शक्ति सौदर्य की त्रिवेणी में शुक्लजी का अपूर्व विश्वास है। इस अपूर्व विश्वास का आधार पुरुषोत्तम रामचन्द्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम का शील, राम की शक्ति एवं राम का सौदर्य इन सब का साक्षात्कार प्रस्तुत किया है एवं इसी के अनुसार लोकधर्म की स्थापना की है। लोकधर्म आचार्य शुक्ल का अपना शब्द है और जिसकी व्याख्या तुलसीदास के मानस के आधार पर संभव है। मनोविकारों से सम्बन्धित उदाहरणों को प्रस्तुत करते समय विवेक के आधार पर—अच्छे बुरे का निर्णय—(लोकधर्मनिःसार)—अपना मत शुक्लजी व्यक्त करते जाते हैं। अपने इस मते (विचारधारा मे) वे पक्के हैं। उनका यह लोकधर्म भारतीय सौंचे मे ढला हुआ है। आचार्य नददुलारे बाजपेयी ने उनकी इस महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा है—“उन्होंने (आचार्य शुक्ल ने) रस और अलकार-शास्त्र को नवीन मनो-वैज्ञानिक दीप्ति दी और उन्हें ऊँची मानसिक भूमि पर ला बिठाया। इस प्रकार रस और अलकार हिन्दी समीक्षा से बहिष्कृत होने से बचे। दूसरे शब्दों में शुक्लजी ने समीक्षा के भारतीय सौंचे को बना रहने दिया। यही नहीं, उन्होंने इस सौंचे के लिए यह दावा भी किया कि भविष्य को साहित्य-समीक्षा का निर्भाण इसी के आधार पर होना चाहिए।”^१ आचार्य बाजपेयीजीमे

१. हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी—नन्ददुलारे बाजपेयी—(प्रकाशन तिथि १९५८ई) पृ. ५५.

एक प्रकार से शुक्ल को ठीक पहचाना है मनोविज्ञानों ने सम्बन्धित निवेद्य से रस-अलकारशास्त्र (भारतीय कार्यनालॉन) को मनोवैज्ञानिक दायि प्रदान की गई है। रस सिद्धान्त को इसी आधार पर नया प्राण दिया गय है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि भिद्धान्त, सिद्धान्त के अनुसार मतवाद इव तदनुकूल धर्म और उस धर्म के अनुसार मनोविज्ञानों की व्यवस्था शुक्लजी बतलाते चलते हैं। यह सब उनकी विश्वास प्रणाली है जो विश्व सस्कृति के मूल्यबोध से सम्बन्धित है।

आचार्य शुक्ल की वृद्धि की यात्रा अपने स्थान पर ठीक है। उमड़ा सहज विरोध समव नहीं। किन्तु इस वृद्धि के साथ-साथ हृदय रमता हृदा जब अपनी यात्रा के श्रम का परिहार करने लगता है, उस समय उनका आवेग उमड़ता है। उनके आवेगपूर्ण स्थल, उनके अविकृतस्वप्न को उनकी नैतिक मान्यताओं को स्पष्ट करते हैं। इस दृष्टि से कुछ उदाहरण भीचे दिए जा रहे हैं:-

- १) जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिडिया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो अल्ल भर यह भी नहीं देखते कि आम प्रणयसौरभ पूर्ण मंजरियों से लदे हुए हैं; जो यह भी नहीं ज्ञाकते कि किसालों के झोखे के भीतर क्या हो रहा है? वे यदि दस बैने-ठने भित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदानी का परता बताकर देस-प्रेम का दावा करे तो उनसे पूछता चाहिए, कि 'भाइयो बिना परिचय का यह प्रेम कैसा? जिनके भुख-दुख के तुम कभी साथी न हुए उन्हें तुम मुखो देखा च'हते हो, यह समझते नहीं बतता उनसे कोसों दूर बैठे-बैठे; पहे-पहे या लडे-खडे तुम बिलायती बोली से अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ न बसीटो। 'प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है। हिसाब-किताब करनेवाले भाडे पर भी मिल सकते हैं पर प्रेम करनेवाले नहीं ... जिसे ब्रज की भूमिसे प्रेम होगा, वह इस प्रकार कहेगा (नैन सो रसखान - कुजन ऊपर बारों) रसखान का सवैया

पृ ७७

- २) किसी अवधि के तञ्चलुकेदार के लिए बढ़ाई का यह स्वर्गीय दिखाना आवश्यक नहीं कि वह जब मन में आए तब कामदार टोपी सिर पर रख, हाथी पर चढ़ गरीबोंको पिटवाता चले। किसी

देहानी थानेदार के लिए यह जरूरी नहीं कि वह सिर पर लाल पगड़ी रख गेवारो को गाली देकर हर समय अपनो बडाई का अनुभव करता और कराता रहे। पृ. ११५ आदि आदि।

ऐसे और भी स्थल हैं। मनोविकारों के विकल्प एवं उनकी विभिन्न दशाओं को स्पष्ट करते समय जो उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों में शुक्लजी का मन रमता है। कभी वे मुरब्ब होते हैं और कभी वे विरोध करते हैं। उनका विरोध खुलकर व्यक्त हुआ है और इस विरोध में उनको नैतिक मान्यताओं को बाणी मिली है।

विचारधारा

आचार्य शुक्ल की विचारधारा में धर्म (शुक्लजी के शब्दों में लोकधर्म) व्यक्त हुआ है। उनका यह धर्म समाज की स्थिति-रक्षा के लिए है। समाज का मगल उनका लक्ष्य है। स्थूल रूप से उनके इस धर्म (लोकधर्म) में पारम्परिक भारतीय विचारधारा साहित्यिक (काव्यशास्त्रीय) बाना लिए सामने आई हैं। धर्म की दृष्टि से (विचारधारा से युक्त), कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :—

- १) शासन की पहुँच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। उनके मूल या मर्म तक उसकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति-निवृत्ति को जागरित रखनेवाली शक्ति कविता है जो धर्म-क्षेत्र में शक्ति-भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मगल और लोक के मगल का सगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। पृ. ५.
- २) जनता के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करनेवाला क्षात्रधर्म है। क्षात्रधर्म के इस व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। क्षात्र-धर्म एकान्तिक नहीं है। उनका सम्बन्ध लोकरक्षा से है। पृ. ४३.
- ३) राजधर्म, आचार्यधर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया, मटकाधर्म हो गए। धन की पैठ मनुष्य के सब कार्यक्षेत्रों में करा देने से उसके प्रभाव को इतना विस्तृत कर देने से, ब्राह्मणधर्म और धार्मधर्म का लोप हो गया, केवल वणिधर्म रह गया। पृ. ७४.

४) इस सार्वभौम ब्रह्मचर्यनि से उतना अनेक कमी न होना यदि क्षात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखनी। पर इस युग म दोनों का विलक्षण नहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शास्त्र के भीतर रहने के लिए क्षात्र-धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर धार्मधर्म की प्रतिष्ठा आवश्यक है। पृ. १३०. . . . आदि आदि।

जहाँ तक मनोविकारों का बोधिक विश्लेषण किया गया है, वह विषय का बोध वैज्ञानिक रीति से करता है। किन्तु ये नारा बोधिक विश्लेषण व्याकृहारिक रूप में पारम्परिक भारतीय मान्यताओं (विशेष रूप में तुलसीदाम की विचारधारानुरूप) के समर्थन के हेतु है। उनके लोकधर्म के सम्बन्ध में वाजपेयीजी लिखते हैं : “इस लोक-धर्म की दो विश्वाल बाहुर्ण हैं। सन् की रक्षा और असत् का दलन। साधुओं का परिवाण और दृष्टों का विनाश। गीता में श्रीकृष्ण ने अपने आवतार का प्रयोजन बताया है। शुक्लजी इन दोनों पक्षों के पूरे हिमायती है। मामवजीवन का मीनदर्य इन द्वय पक्षों के पूर्ण परिपालन में ही है; किन्तु साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रामचरितमानस के लोक-धर्म की नींव एकमात्र कर्तव्य-निष्ठा पर ही अवलंबित है। इसमें अधिकारों और कर्तव्यों का दोहरा पक्ष नहीं है... अक्षित की दृष्टि से यह पूर्ण त्यागमय धर्म है। दार्शनिक शब्दावली में इसे ही अनासक्त कर्म-योग कहते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि यह पञ्चात्य व्याकृहारिक दर्शन नहीं है जिसमें कुछ लेकर कुछ देना पड़ता है, यह है मारतीय कर्म-योग जिसमें व्यक्ति के लिए पूर्ण स्वार्थ-त्याग (सब कुछ देना) और मर्वस्व समर्पण ही धर्म कहलाता है।”^१ वाजपेयीजी ने शुक्लजी की विचारधारा के स्वरूप की ठीक मीठांसा की है। वाजपेयीजी एक और उनके (आचार्य शुक्ल के) लोकधर्म को स्पष्ट करते हैं तो दूसरी ओर उस विचारधारा की कमजोरी पर भी प्रकाश डालते हैं। यह इवान में रखने की बात है कि शूक्ल जी का विरोध करते समय उनकी विश्वास-प्रणाली का विरोध करना पड़ता है। वाजपेयीजी शुक्लजी की विश्वास-प्रणाली की मूल भित्ति को काटते हैं। एक बार यदि उस भित्ति को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर बोधिक रूप से शूक्ल का विरोध संभव नहीं। शुक्लजी का विरोध करनेवाले शुक्लजी की शक्ति को पहचानते हैं। डॉ. नगेन्द्र, डॉ. शिवदानसिंह चौहान एवं डॉ. देवराज या वाजपेयीजी सभी शुक्लजी से सहमत न होते हुए भी उनकी शक्ति को पहचानते हैं। शुक्लजी का विरोध उनकी विचारधारा (उनके दृढ़ विश्वासों से सम्बद्ध)

१ - हिन्दी साहित्य : बीसवी शताब्दी-नददुलारे वाजपेयी-पृ. ७२-७३।

। वाजपेयीजीने उनकी (शुक्लकी) विचारधारा का ए लिखा है ।

“स्वार्थ या आसक्ति का स्थान प्रवृत्ति के मूल मे भी है और निवृत्ति के मूल मे भी । दोनों का आधार एक ही है किन्तु शुक्लजी ने आधार के इस ऐवय की ओर ध्यान न देकर निवृत्ति और प्रवृत्ति, ज्ञान और कर्म, व्यक्तिगत साधना और लोकधर्म दोनों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया है । अबश्य ही शुक्लजी का यह दार्शनिक विपर्यय भारतीय अध्यात्मशास्त्र के लिए अन्यायपूर्ण हो गया है । ”^१

“सारा मध्यकालीन भवित-काव्य शुक्लजी द्वारा दो कटघरों में बद कर दिया गया है । उन्हें हम संक्षेप में व्यक्तिगत साधना और लोकधर्म के कटघरे कह सकते हैं (ये उन्ही के शब्दे हैं) आश्चर्य है कि इस प्रकार का वर्गीकरण शुक्लजी ने किया है जब कि वास्तव में दोनो ही एक दूसरे से बहुत अशो तक अनुप्रेरित हैं और दार्शनिक विचारणा मे भी एक दूसरे के समकक्ष हैं । इसका नतीजा यह हुआ है कि शुक्लजी का वैष्णव साहित्य का अध्ययन परपराप्राप्त मान्यताओं के अनुकूल नहीं हुआ । ”^२

“शुक्लजीने राम-राज्य (सत्) और कलियुग (असत्) कहकर उन्हें विरोधी शिविरो में स्थान दे दिया है । कोई भी आधुनिक समाजशास्त्री अथवा इतिहास का अध्येता इतनी आसानी से इस सारी सामग्री को किनारे नहीं लगा सकता, जिस आसानी से शुक्लजी ने उसे चलता कर दिया है । इन सब निदर्शनों से भी जिस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ वह यह है कि शुक्लजी का विवेचन न तो प्राचीन दार्शनिक पढ़ति का अनुसरण

१ दी साहित्य . बीसवी शताब्दी-नंदुलारे वाजपेयी पृ. ७३ ही पृ ७४

करता है और न वे उस प्रकार का सामृद्धिक और समाज शास्त्रीय अध्ययन में प्रवृत्त हुए हैं जो आज की जागीर्दन का आवश्यक अग है।”¹

इस तरह से आचार्य शुक्ल के अन्य विचारों का भी वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल की विचारधारा स्थूल और आदर्शवादी है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग उनकी विचारधारा में हुआ है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। अपनी स्थूल मानवताओं को उन्होंने बौद्धिक आधार प्रदान किया। यही उनकी सब से बड़ी विशेषता है।

आचार्य शुक्ल और जयशक्ति प्रसाद

जयशक्ति प्रसाद की कामायनी में मनोविकारों (चिता, आत्मा अथा, काम, वासना, लज्जा, आदि) का विश्लेषण है। अतः मनोविकारों के अध्ययन में आचार्य शुक्ल के साथ विपय के आधार पर जयशक्ति प्रसाद की तुलना की जा सकती है। कामायनी के मर्गों के नामकरण प्रायः पात्रिका वृत्तियों के आधार पर ही किए गए हैं। एक प्रकार से कथि ने मानव जीवन की प्रवृत्तियों का (मनोविकारों के आधार पर) क्रम दिखाने का प्रयास किया है। इस क्रम में चिता की प्रथम व्याप दिया गया है और आनंद को अनिष्ट। इस अथ और इति के बीच कथा के आधार पर (मनु, मन के प्रतीक रूप में) मानव प्रकृति का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण को (मन के विश्लेषण को) मनो-वैज्ञानिक वहा गया है, कामायनी की समीक्षा यहाँ नहीं करनी है। कहना यह है कि ‘मनोविश्लेषण’ में (मनु पात्र के विश्लेषण में) प्रसाद की सफलता मिली है। अद्वा को आदर्श का रूप देने के कारण और त्रिष्णुष्प से कामायनी के अंत में उसी के द्वारा (अद्वा के द्वारा), मनु की समस्याओं का निदान (इस नाते मानवीय समस्याओं का निदान, आनदवाद के आधार पर) प्रस्तुत करने के कारण अद्वा मानवी होने हुए भी देखी हो गई है और मनोविश्लेषण की दृष्टि से उपका चरित्र स्वामाविक नहीं रह पाया है। मनु कमज़ार होने पर भी कामायनी का सशक्त पाठ है और मानव प्रकृति को (मनोविश्लेषण के आधार पर) पहचान कराने में समर्थ है। आचार्य शुक्ल जहाँ तक मनोविकारों का विपर्यास विवेचन करते हैं; विग्रह की बौद्धिक

१. हिंदी साहित्य : बीसवी शताब्दी-नंददुलारे वाजपेयी पृ. ७७

रूप प्रदान करते हैं। अपन मतवाद या मिद्दोंत को (पूर्ण स्वार्थ त्याग और मर्वस्व समर्पण, लोकधर्म आदि को) जब तक वे दीव में आने नहीं देते तब तक उनका मनोविकारों का विश्लेषण चैत्तासिक है और ग्राह्य है। इसी तरह कामायनी में मनु (मनोविकारों पाव होने पर भी) मनोविश्लेषण की दृष्टि से मानव प्रकृति के अधिक निकट होने के नाते ग्राह्य है। कामायनी की सफलता इसी में है कि मनु की समस्या (मानव-प्रकृति की समस्या) को मनो-विश्लेषण के आधार पर-मनोविकार के सदर्भ में-चरित्र मूलक ढग से प्रस्तुत कर दी गई। कामायनी की असफलता, समस्या के निधान की असफलता है या मिद्दोंतों की असफलता है। कवि के रूप प्रसाद मफल हैं। दार्शनिक के रूप में विवाद है। कामायनी का पूर्वार्थ कवि प्रसाद (लज्जा सर्ग तक) का व्यक्त रूप है और उत्तरार्थ विचारक या दार्शनिक प्रसाद का। कवि रूप में कवि मफल हैं और विचारक या दार्शनिक रूप में असफल। डॉ. इन्द्रनाथ भद्रान ने कामायनी से कामायनी की पहचान करते हुए कामायनी को एक असफल कृति घोषित किया है। (आलोचना ४४, अक्तूबर-दिसम्बर १९६८ ई.)। असवारण असफलता को वे साधारण मफलता से बेहतर कहते हैं। विषय की ओर आते हुए और विशेष रूप से मनोविकारों के सम्बन्ध में दोनों के (जयशक्ति प्रसाद और आचार्य शुक्ल के) दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए यह कहा जा सकता है कि जयशक्ति प्रसाद ने मनोविश्लेषण (मनु का) करते समय, मनोविकारों का सहज रूप-मानव-प्रकृति के अनुसार-काव्यमय पढ़ति से उदाहरण रूप में प्रस्तुत करते समय अपूर्व सफलता प्राप्त की। गजानन माधव मुक्तिबोध को भी इस सफलता पर आपत्ति नहीं है।^१ आचार्य शुक्ल की सफलता इसके विपरीत मनोविकारों को (उनकी मान्यताओं एवं उनके व्यक्तिरूप से हटकर) बौद्धिक आधार देने के नाते मिली है। जयशक्ति प्रसाद और आचार्य शुक्ल का क्रम अपना अपना है। जयशक्ति प्रसाद में मनोविकारों को (व्यक्ति समस्या के रूप में) व्यक्ति के नाते प्रधानता प्राप्त हुई है। इस पर काव्य एवं निबन्धों का (साहित्य रूपों का) अन्तर सुस्पष्ट है। क्रम की दृष्टि से विचार करें तो व्यक्ति रूप में,

-
- ‘सच तो यह है कि प्रसादजी की विश्लेषणात्मक सूक्ष्म दृष्टि जो काव्य उपस्थित करती है, वह काव्य निष्ठादेह, हमें अभिभूत कर देता है। प्रसादजी शक्तिशाली कवि है, यह नि सन्देह है।’
—कामायनी : एक पुनविचार-गजानन माधव मुक्तिबोध-पृष्ठ १८६ (अन्ततःसे)

चिन्ता को प्रथम स्थान दिया गया है और आनंद का अनिम इसी नश सामाजिक रूप में उत्साह को प्रथम स्थान मिलता चाहिए और क्रोध क अन्तिम । आचार्य शुक्ल ने निवन्धों में जो क्रम रखा है उग्रता विष्णुपद सामाजिक धरातल पर किया जा सकता है । (१) उत्साह, (२) शद्भा-भक्ति (३) करुणा, (४) लज्जा और ग्लानि, (५) लोभ और प्रीति, (६) धूषा (७) ईर्ष्या, (८) भय और (९) क्रोध, ज्यात ये पर्व इस क्रम की पहचानने का प्रयास करें तो जात होगा कि समाज का निवन्धन-रक्षा के लिए जिन मनोविकारों को प्रथानता मिलनी चाहिए उनको शुक्लजी ने यहले स्थान दिया है । उत्साह (कर्मपद बनने के लिये), शद्भा-भक्ति (कर्मपद के प्रति शद्भा-भक्ति होना समाज के मंगल के लिए वांछनीय होने के नामे), करुणा (दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक होने के नामे एवं दृग्म और सात्त्विकता का आदि सस्थापक यही मनोविकार होने के नामे), लज्जा और ग्लानि (चुराई से बचनेवाले मनोविकार, सात्त्विक वृत्तिशालों के लिए ग्लानि और राजसी वृत्तिशालों के लिए लज्जा), लोभ प्रीति प्रीति (इनके विस्तृत शासन के भीतर आनन्दात्मक और दुःखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकार आ जाते हैं .. मनुष्य की अन्तर्भूतियों पर लोभ का प्रेम के धारण का यही दीर्घ विस्तार देखकर लोगों ने धूगार को रमणीय कहा है । इस नामे) इनके आगे जो मनोविकार है उनकी स्थिति मिल है । धूषा, ईर्ष्या, भय और क्रोध ये सभी मनोविकार वाढ़नीय तो नहीं हैं किन्तु इनमें मुक्ति सभव नहीं । अतः इनसे निवृत्त होना है । धूषा (शिक्षाद्वारा प्राप्त आदर्शों के प्रतिकूल अरुचिकर विषयों को ज्ञानपथ से दूर रखने के लिये), ईर्ष्या (सामाजिक जीवन की कृतिमता से उत्पन्न विष होने के नामे), भय (मुकुरातक होने के लिए, क्षात्रघर्म के सहारे निर्भय होने के नामे) और अन्त में क्रोध (धार्ति भंग करनेवाला मनोविकार होने के नामे) आए हैं । इस क्रम के आधार पर एक चित्र बनाया जा सकता है । वह इस प्रकार है :-

मनोविकारों का चित्र

प्रवृत्ति	प्रवृत्ति-निवृत्ति	निवृत्ति
(आनंदात्मक)		(दुःखात्मक)
उत्साह	लो	धूषा
शद्भा-भक्ति	भ	ईर्ष्या
करुणा	और	भय
लज्जा और ग्लानि	प्री	क्रोध
	ति	

लोभ या प्रेम को सब से बड़ी विलक्षणता का उल्लेख करके अब हम यह निबंध समाप्त करते हैं। यही एक ऐसा भाव है जिसकी व्यजना हँसकर भी की जाती है और रोकर भी, जिसके व्यजक दीर्घ नि श्वास और अशु भी होते हैं तथा हँपुलक और उछल-कूद भी। इसके विम्फृत शासन के भीतर आनंदात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकार आ जाते हैं। साहित्य के आचार्यों ने इसी से श्रूगार के दो पक्ष कर दिए हैं। सयोगपक्ष और वियोगपक्ष। कोई और भाव ऐसा नहीं है जो आलम्बन के रहन पर तो एक प्रकार की मनोवृत्तियाँ और चैष्टाण उत्पन्न करे और न रहने पर बिलकुल दूसरे प्रकार की। कुछ और भाव भी लोभ या प्रेम का—सा स्थायित्व प्राप्त करते हैं—जैसे क्रोध वहुत दिनों तक टिका रह जाने पर द्वेष या वैर का रूप धारण करता है और जूगुप्मा धृणा या विरक्ति का—पर यह विशेषता और किसी में नहीं पाई जाती। मनुष्य की अन्तर्वृत्तियों पर लोभ या प्रेम के शासन का यही दीर्घ विस्तार देखकर लोगों ने श्रूगार को रसराज कहा है।” (पृ ९६)

यह चित्र आचार्य शुक्ल के क्रम के अनुभार है। इस क्रम में मनोविकारों को सामाजिक सदर्भ में देखा गया है। यह स्पष्ट है। साथ ही यह बात भी स्पष्ट हो गई कि रसराज क्यों श्रूगार ही को कहा गया। अद्भुत और हास्य दोनों नहीं आ पाए हैं। सच तो यह है कि अद्भुत और हास्य। रस मिद्दान्त के लिए आवश्यक है।) मनोविकारों को भी स्थान मिलना चाहिए था। इन पर भी स्वतंत्र निबंध लिखे जा सकते थे। संभवतः इन का सम्बन्ध विलक्षणता आश्चर्य, जिज्ञासा, कुतुहल वैचित्र्य आदि से होने के कारण और विशेष रूप से बाह्य आलम्बन पर निर्भर रहने के कारण ये मनोविकार आवश्यक न माने गए हो। जिन मनोविकारों का विश्लेषण किया गया है वे सामाजिक सदर्भ में मन की व्यवस्था (प्रवृत्ति-निवृत्ति) बतलाते हैं।

आचार्य शुक्ल और बट्टेंड रसेल

आचार्य शुक्ल समाज की स्थिति-रक्षा चाहते हैं। व्यक्ति को उन्होंने समाज के मदर्भ में देखा है। अतः उनके सामाजिक विचारों को परखा जा सकता है। जैसे आचार्य शुक्ल समाज का हित चाहते हैं, वैसे ही विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक एवं विचारक बट्टेंड रसेल भी समाज का हित चाहते हैं। विश्व-शाति के लिए बट्टेंड रसेल के प्रयत्न रूपात हैं। अतः समाज के मगल की मनोविकारों का मूल्यांकन

कामना के हेतु मनोविकारों के सम्बन्ध में दीनों थे जिन रूप की दुलबर करने के लिए
 उनके समाज दशन (दानों का) का इष्ट छिपा जा सकता है। उन्हीं
 लोकमत का भय, उत्साह, स्नेह आदि निश्चय रसेल में जी यज्ञोदिवारी पर
 लिखे हैं। वे निश्चय ऐसे हैं जो दुःखजी द्वारा भी लिखे गए हैं। रसेल ने
 अपनी पुस्तक में दो खण्ड लिए हैं। खण्ड १ में दुःख के कारण से मनोविकार
 (लोग दुःखी क्षमी रहते हैं, निश्चय-यत्-इति, प्रतिवागिना, जै और उन्हें प्रता,
 थकान, ईर्ष्या, पाण की भावना, उच्चीज्जन-उत्साह, निकाल इत्यथ) निवेद
 लिखे गए हैं और खण्ड २ में दुःख के कारणों से गमनगिरि (जो सुख अभी
 संभव है, उत्साह, स्नेह, परिवार, काम, निश्चयवितक रहनेवाला, पश्चात और सुखी
 सानव) निवेद है। सुख की नावना में मनोविकारों का परिचय आवश्यक
 है। रसेल का यह पुस्तक आचार्य नुक़ड़ के समान (सनातनिकारों में भवित्व
 होने पर भी) बौद्धिक एवं पांडित्यपूर्ण नहीं है। रसेल इस पुस्तक का निषेद्ध
 में बुद्धि की यात्रा का उल्लेख नहीं करते। रसेल लिखते हैं—“ यह पुस्तक
 विद्वानों के लिए नहीं लिखी गई है और न ही उन लोगों के लिए जो किसी
 व्यावहारिक समस्या को मात्र व्यावधार का क्षितिय बनाते हैं। उनमें कोई
 गंभीर दर्शन और विद्वता भी नहीं दिलेगी। मैंने केवल ये सुखनव इस का
 प्रयत्न किया है जिन्हे भेरे विश्वास से सामाजिक विकास के प्रयोग मिला है। मैंने
 इस पुस्तक में जो युक्तियाँ बताई हैं उनके बारे में इनमा कोई कठोर व्यक्ति है
 कि वे भेरे अपने अनुभव और निराकाश की कल्पटी वर्ष सरो उत्तर जैकों हैं।
 और जब भी मैंने उन पर अमर किया है, भेरे जीवन में सुख की वृद्धि होई
 है। इसलिए मुझे आशा है कि जो लोग दुःख में आतंद का अनुभव किए जिना
 दुःख छोलते रहते हैं उनमें से कुछ इस पुस्तक की महादता से अपने दुःख के
 कारणों को लमझ सकेंगे और इस द्वारा से निकलनेका रास्ता भी उन्हें मिल
 सकेगा। भेरा विश्वास है कि बहुत में लोग जो दुःखी हैं, भुनिश्चिट प्रवास के
 द्वारा सुख की प्राप्ति में सकल हो सकते हैं और इसी विश्वास से प्रेरित होकर
 मैंने यह पुस्तक लिखी है।”^३ पुस्तक लिखने के उद्देश्यों में अन्तर है। रसेल
 की पुस्तक में उत्तरदेश नहीं, सुझाव है। आचार्य शुक्ल का दमकता विश्वास (अपने
 आयहों के साथ) रसेल की पुस्तक में नहीं है। ईर्ष्या पर दोनों ही के निवारणों
 से नीचे उदाहरण दिए जा रहे हैं:—

१. सुख की साधना—बट्टेंड रसेल—, अनुवादक श्वाजा बदौलज्जरा)
 अमुख से।

बट्टेंड रसेल के अनुसार

“ वास्तव में ईर्ष्या एक प्रकार का दुर्गुण है जो कुछ नैतिक भी है और कुछ बौद्धिक भी। उस्तुओं को अपने—आप में न देखना और सदा ही उन्हें उनको सापेक्षता में देखना इसकी विशेषता है निस्संदेह ईर्ष्या का प्रतियोगिता से गहरा संबंध है आधुनिक संसार में सामाजिक स्तर की अस्थिरता और लोकतन्त्र तथा समाजवाद के समानतामूलक मिद्दातों ने ईर्ष्या के क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया है। इस समय तो यह अनिष्ट है परन्तु यह ऐसा अनिष्ट है जिसे अधिक न्यायसमग्र समाज व्यवस्था तक पहुँचने के लिए सहन करना आवश्यक है।”^१

आचार्य शुक्ल के अनुसार

‘ ईर्ष्या एक संकर भाव है जिनकी सम्प्राप्ति आलस्य, अभिमान और नैराश्य के योग से होती है ईर्ष्या सामाजिक जीवन की कृतिमता से उत्पन्न एक विष है . . . न्यायाधीश न्याय करता है, कारीगर ईंटें जोड़ता है। समाज कल्याण के विचार से न्यायाधीश का साधारण व्यवहार में कारीगर के प्रति यह प्रकट करना उचित नहीं कि तुम हम से छोटे हो। जिस जाति में इस छोटाई—बड़ाई का अभिमान जगह—जगह जमकर ढूँढ हो जाता है, उसके भिन्न—भिन्न बर्गों के बीच स्थायी ईर्ष्या स्थापित हो जाती है, और सब—शक्ति का विकास बहुत कम अवसरों पर देखा जाता है। यदि समाज में उन कार्यों की जिनके द्वारा भिन्न—भिन्न प्राणी जीवन—निर्वह करते हैं परस्पर छोटाई—बड़ाई का फिंडोरा न पीटा जाय, बल्कि उनकी विभिन्नता ही स्वीकार की जाय, तो बहुत—मा असतोष दूर हो जाय, राजनीतिक स्वतंत्र की आकाश्चास से स्वियों को पुरुषों की हड्ड में न जाना पड़े, सब पढ़े—लिखे आदभियों को लौकरियों ही के पीछे न दौड़ा पड़े । (पृ. १०७, ११०, ११३ और ११४।)

दोनों विद्वानों के इन कथनों की तुलना की जा सकती है। ईर्ष्या के दुर्गुणों से दोनों ही परिचित हैं और उसकी नैतिक एवं बौद्धिक स्थिति को दोनों ही जानते हैं। अन्तर समाज के प्रति पाए जानेवाले दृष्टिकोण का है। रसेल के पूरे निबन्ध में ईर्ष्या को व्यक्ति के सदर्म में, दुख का कारण मानकर उसका विवेचन किया गया है। रसेल ईर्ष्या का विकास होने के कारणों से परिचित

१. सुख को साधना—बट्टेंड रसेल— (अनुवादक : ख्वाजा बद्रीउज्जमा)
—पृ. ७०—७१—७२।

है किन्तु इस परिचय को याचार्य स्वप्न में स्थीकार करने हूँ उसका कहना यह है कि लोकतंत्र और समाजनामूलक सिद्धांतों के कारण ईर्ष्यों का शेष विस्तृत हो गया। यह अनिष्ट होने पर भी समाज की भवाई के लिए इसे मरने करना आवश्यक है। आचार्य शुक्ल इनके विषयीत ज्ञानाजिक ग्रन्थि में परिवर्णन नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि छोटाई-बड़ाई का दिनांश न पीटकर, उनसी (समाज में पाए जानेवाले विभिन्न वर्गों की) विभिन्नता स्वीकार कर देने से ईर्ष्यों में कमी होती। असाक्षोद्य की मतला घटती। ईर्ष्यों का पूरुषों से हठ में जाना शुक्लजी को स्वीकार नहीं है। सामाजिक दृष्टि ने आचार्य शुक्ल के विचार पुराने प्रतीत होते हैं जब कि उनके विचारों में आधारितता है। यह होने पर भी आचार्य शुक्ल ने अपने पुराने विचारों को जा बोद्धिक आधार दिया है—व्यवस्था के प्रति यदि उनके विचार स्वीकार कर लिए जाते हैं—वह उनके सामाजिक अध्ययन को व्यक्त करनेवाला है। भारतीय सभापत्र-व्यवस्था का (आचार्य शुक्ल के अपने समय में बर्तमान) बीद्धिक विश्लेषण, पूरे मनोर्धीग एवं अपूर्व विश्वास के साथ शायद ही किसी लेखक ने किया है। आचार्य शुक्ल के इन निबंधों में भारतीय मनोभूमि सामाजिक परिवेश में दमक उठी है।

सबल व्यक्तित्व

आचार्य शुक्ल के विचारों में परिचिन होने पर अब उनके अपनीत्व का विश्लेषण किया जा सकता है। उनका अपनीत्व सबल है, हमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता। शुक्लजी के अपनीत्व की मव से बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने विचारों पर ढूँढ़ रहते हैं। अपने विचारों को ढूँढ़ना के माध्यम कहना जानते हैं और उन विचारों के लिए उनके पास पृष्ठ बीद्धिक प्रभाग है। शुक्लजी का खण्डन करना ही तो उनके विचारों का खण्डन करना होगा। शुक्लजी का खण्डन बीद्धिक घरातल पर समझ नहीं। दरि प्राप्त उनके एक वाक्य को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरा वाक्य उसी वाक्य की शूखला में होने के नाते स्वीकार करना होगा। काठना हो तो पढ़के वाक्य को काट दिया जाय, तब तो खण्डन हो सकता है। बीच में से काठना संभव नहीं। अपने निबंधों में उन्होंने अपनी गभीर मुद्रा को सदैव बनाए रखा है। परिहास और व्याघ्र भी करते चलते हैं किन्तु उन स्थलों पर भी उनकी मभीरता झलकती रहती है। परिहास, भावुकता एवं व्यंग्य के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं।

लोभियो । तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इतिहास निघह, तुम्हारी मानापमान-समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विगर्हणीय है । तुम धन्य हो ! तुम्हे विक्कार है ॥” (पृ. ८५) —परिहास

“रसखान तो किसी की ‘लकुटी अरु कामरिया’ पर तीनो पुरो का राजसिंहासन तक त्यागने को दैयार थे पर देश प्रेम की दुहाई देनेवालों में से कितने अपने किसी थके-मादे भाई के फटे-पुराने कपड़ों और धूलभरे पैरो पर रीझकर, या कम से कम खीझकर, बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे ? मोटे आदमियों तुम जरा-सा दुबले हो जाते—अपने अदेश से ही सही—तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता ।” (पृ. ७७) —भावुकता

“पर आजकल इस प्रकार का (देश का) परिचय बाबुओं के लिए लज्जा का विषय हो रहा है मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ साँची स्तूप देखने गया बसन्त का समय था । महुए चारों ओर टपक रहे थे । मेरे मुँह से निकला—महुओं की कैसी मीठी महुक आ रही है ।” इस पर लखनवी महाशय ने मुझे रोककर कहा, “यहाँ महुए सहुए का नाम न लीजिये, लोग देहाती समझेंगे ।” मैं चुप हो गया; ममझ गया कि महुए का नाम जानने से बाबूपन में बड़ा भारी बट्टा लगता है ।” (पृ. ७८-७९) —व्यग्र


इस प्रकार के और भी उदाहरण मिल सकते हैं । ऐसे स्थलों पर भी उनकी बौद्धिक प्रभा विद्यमान रहती है । शुक्लजी का आनन्द ज्ञानानन्द है । भावयोग की महत्त्वा बतलाने के लिए उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया है । मनोविकारों में उनका व्यक्तित्व जिन मनोविकारों में अधिक रमा है (उनके अपने व्यक्तित्व के अनुरूप उन्हे लगा है) उनसे सम्बन्धित निबन्धों में उन्होंने अधिक उदाहरण दिए हैं । उनकी बुद्धि की यात्रा में हृदय जहाँ-जहाँ रमा है या उनके बुद्धि के श्रम का परिहार जहाँ-जहाँ हुआ है, वे स्थल उनके व्यक्तित्व के निकट के स्थल हैं । ‘श्रद्धा-भक्ति’ एवं ‘लोभ और प्रीति’ दोनों निबन्ध सब से बड़े हैं ।) ‘श्रद्धा-भक्ति’ २७ पृष्ठों का है और ‘लोभ और प्रीति’ २८ पृष्ठों का है), उदाहरणों की सख्ता इन दोनों निबन्धों में ही अधिक है । इन वृत्तियों में शुक्लजी का मन अधिक रमा है । इन निबन्धों में उनका हृदय खुलकर बाहर आया है । ‘ईर्ष्या’ निबन्ध—उदाहरणों से रहित होने पर भी—

व्यवहार पूर्ण होते हुए भी विद्या प्रधान है। म. कह मठत ह कि 'कोई और प्रीति, श्रद्धा-भक्ति, 'कल्पना,' 'उत्साह' एवं 'लड़ाक और बार्फ़' निवारणी ; शुक्ल जी व्यक्ति-प्रधार हो गए हैं (अपेक्षाकृत) और 'धूम', 'दृष्टि', 'भय और 'कोध' में विषय प्रधान (आश्रामत) :

उपसंहार

बब अन्त में विषय का समाहार करने हुए यह जड़ा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल के मनोविज्ञानीरों से सम्बन्धित लिंग एवं पौर ये विद्या मनोविज्ञान या समाज-मनोविज्ञान से सम्बन्धित नहीं हैं। इनमें मनोविज्ञानेषण (मनोवैज्ञानिक अर्थ में) नहीं किया गया है। यस तुलना में कामाचरी में (मनु के चरित्र में) मनोविज्ञानेषण हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। वस्तुतः ये निबन्ध व्यक्ति-व्यक्ति, एवं व्यक्ति-समूह के सम्बन्ध की समाज-मनोविज्ञान (Social Psychology) के रूप में प्रस्तुत करनेवाले विद्यार्थी हैं। यहाँ भी यह समाज विशेष सास्कृतिक मूल्यों से प्रभृत है। अत. जिस विशेष समाज (तुलसी मानस की चित्तावधारानुरूप) के आदर्शों को लेकर ये विद्या लिखे गए हैं, उसका विश्लेषण वैज्ञानिक, नैतिक एवं बोलिंग (नैदृग्निक दृष्टिकोण से) है। अपनी स्थूल सामाजिक मान्यताओं की मनोविज्ञानी का विश्लेषण हुए हुए तथा अपने पाण्डित्य का पूरान्पुरा उपयोग करते हुए आचार्य शुक्ल ने विषय को अभीर स्वरूप दिया है। रसानुभूति के उद्घाटन में मनोविज्ञानीरों की विभिन्नि को स्पष्ट किया गया है। रससिद्धान्त का इन निवारणों ने मनोवैज्ञानिक दीर्घि दी है। हिन्दी के मौलिक आचार्यों में शुक्लजी का स्थान अखंकी अवह कामय है। शुक्लजी को आउट ऑफ डेट माननेवाले भी ये जानते हैं कि हिन्दी में अभीर चिन्तन उन्हीं से बहु दृश्य है। उनके विचार आउट ऑफ डेट हो सकते हैं किन्तु मौलिकता और प्रतिभा आउट ऑफ डेट नहीं होती। उनके विचार में मौलिकता है और इस विचार को मौलिकता के कारण हिन्दी का उत थर सदैव गर्व रहेगा।

२. कविता : प्रयोजन और आवश्यकता





२. कविता : प्रयोजन और आवश्यकता

‘कविता क्या है ?’ आचार्य रामचंद्र शक्ल द्वारा लिखा गया एक स्वतंत्र निबंध है। निबंध का जीर्णक एकदम स्पष्ट है। स्पष्ट यह है कि शुक्लजी इस निबंध में ‘कविता क्या है ?’ यदि उनसे पूछा जाय तो वे उसका उत्तर सीधे, जिम रूप में देना चाहेंगे, वही उत्तर डस निबंध में है। लगभग ४६ पृष्ठों (चितामणि, भाग १, १९६२ वाला संस्कारण) में यह निबंध लिखा गया है, इस पर भी कविता की स्पष्ट परिभाषा उन्होंने दो ही इस संबंध में प्रश्न उपस्थित किया गया है। डॉ. बच्चनसिंह ने लिखा है। “स्वभावतः प्रश्न उठता है कि शुक्लजी ने काव्य को परिभाषित क्यों नहीं किया ? किसी भी पुरानी परिभाषा को स्वीकार करने के बाद उन्हे एक सीमा में बध जाना पड़ता और नये अर्थात् की छूट नहीं मिल पाती। दूसरी बात यह कि स्वय काव्य क्या है, इसे विवेचित करना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था

कि काव्य का लक्ष्य क्या है ? ये कानून की भूमिका का इनकाल में कठोरक काव्य के प्रधोजन का विवेचन करते हैं । उनकी प्रार्थना में अद्यतन स्पष्टना, भौमिता, विश्लेषण—ज्ञानता दिखाई दती है, उसमें भवीतीयता भी है परं उसे महिमाधू आलीचना नहीं कह सकते । ”^१ डॉ. बुद्धभर्गिश के उस कथन में नस्त्री की जात है और इस कथन को तकात नहीं डा. सड़ाना । उन्होंने भास्त्राद्य युग्म की आलीचना पद्धति की बुनियादी सामिया एवं इन्हें हुए अपने निरूप दिया है और इसी सदर्भ में कविता भवती शूक्ल की भास्त्राद्यता का विवेचन किया है । सच तो यह है कि शूक्लजी ने ‘कविता क्या है ?’ प्रश्न का उत्तर दिया है । उनका यह उत्तर विस्तृत है । दो चार पक्षियों में विविध को परिचायित कर देना और कविता के प्रतिमान कविता के भीनर भास्त्रना उन्होंने उत्तिष्ठ नहीं समझा । ‘कविता क्या है ?’ का उत्तर ऐसे विस्तृत स्पष्ट में दिया गया है कि कविता सबंधी पारंपारिक एवं प्रचलित मान्यताओं पर उन्होंने लुकाए अपने विचार व्यक्त किए हैं । कोई उन विचारों से सहमत हो या न हो, उनके विचार उनके अपने हैं । और एकदम स्पष्ट है । यहाँ शूक्लजी की कविता संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया आ रहा है । इस निरूप में उनकी मौलिक उद्भावनाएँ भी हैं । उनकी मौलिक दृष्टिविश्वासी अव तक पृथ्वीम ली गई हैं ऐपा नहीं कहा जा सकता । नीचे कविता भवती शूक्लजी की मान्यताओं का विवेचन प्रयत्न करते हुए, उनकी (इस सदर्भ में) मौलिक उद्भावनाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया आ रहा है । यह सारा विवेचन शूक्लजी के एक मात्र निरूप ‘कविता क्या है ?’ के आधार पर किया जा रहा है ।

२

आचार्य शूक्ल ने ‘कविता क्या है ?’ निरूप की उपर्योगिताओं में विभाजित किया है उनके ये उपर्योगित निम्न रूप में लिखते हैं :

- १) मन्यता के आवरण और कविता ।
- २) कविता और सृष्टि-प्रसार ।
- ३) मार्मिक तथ्य ।
- ४) काव्य और व्यवहार ।
- ५) मनुष्यता की उच्छ्व-भूमि ।
- ६) भावना या कल्पना ।
- ७) मनोरूपन ।

१. कल्पना, करवरी १९७१, पृ. ५.

- c) सौंदर्य ।
- १) चमत्कारवाद ।
- २) कविता की भाषा ।
- ३) अलंकार ।
- ४) कविता पर अत्याचार । और
- ५) कविता की आवश्यकता ।

इन शीर्षकों में एक कम है । आदि से अन्त तक शुक्लजी को इस बात का ध्यान रहा है कि क्ये — 'कविता क्या है' ? का उत्तर लिखा रहे हैं । विषय की लीक पर चलने हुए गभीर विषय को छोटे-छोटे उपशीर्षक बनाकर कविता के सदर्भ में ही आचार्य शुक्ल ने यह सारा विवेचन किया है ।

३

निबन्धकार की एक बड़ी विशेषता यह होनी चाहिए कि जिस विषय पर भी निबन्ध लिखा जाय, उस विषय का समग्र बोध उसके मस्तिष्क में स्पष्ट हो और प्रथम पक्ष के लिखने से लेकर अन्तिम पंक्ति तक एकरूपता — विचारों में, तदनुसार विश्लेषण में एकरूपता — बनी रह सके । शुक्लजी के इस निबन्ध में (अन्य निबन्धों में भी हैं) यह विशेषता पाई जाती है । वैसे तो निबन्ध का प्रथम अनुच्छेद निबन्ध में सब से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है । "मनुष्य अपने भावों . . . उसे कविता कहते हैं ।" आचार्य शुक्ल की यह महत्वपूर्ण स्थापना है । सच्चाई यह है कि 'कविता क्या है' ? का उत्तर इन पक्षियों में दे दिया गया है । यदि शुक्लजी इतना कहकर रुक जाते तब भी काम चल जाता । इस अनुच्छेद के बाद मेरे लिखा गया सारा निबन्ध इसी अनुच्छेद को पृष्ठ करने के लिए ही है । प्रथमतः उनके इस प्रथम अनुच्छेद का विश्लेषण किया जाय और अनन्तर उनके बाद के विवेचन पर विचार किया जा सकता है ।

४

अपने प्रथम बाद मेरे शुक्लजी ने 'जीना' की परिभाषा दी है । इसी तरह दूसरे बाक्य में 'जगत्' का परिभाषा दी है । उसके बाद 'बद्ध-हृदय' एवं 'मुक्त-हृदय' को समझाया गया है । इसे समझने के लिए इस तरह लिखा जा सकता है ।—

जीना :- मनुष्य प्राणी भारों, विचारों और व्यापारों की लिये दिये दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों साथ को कही मिलता

कविता : प्रयोजन और आवश्यकता—३

और कठी लटाता हुआ अंत में उस सलता है और इसी
को जीना कहा गया है। (पृ. १४१)

जगत् - जिस अनन्त-द्वयात्मण क्षमा है वह न्यौताय (नृनाश किसे ऊर्ध्व
परिभासित किया है) चलता हुआ है। आपका नाम है जगत्।
(पृ. १४१)

बद्ध-हृदय - जय तरु कोई ब्राह्मी पूर्ण वर्ण की भवद्वय को नाम किया
इस धैर्य से जावा रुपी जैव जीवों को जाने द्वैषधार,
हार्षन-लाभ, नुण-दुख आदि से बचाव करने के लिया रहता है
तब तक उसका हृदय एक प्रशंसनीय रहता है। (पृ. १४१)
(इस वाक्य में 'इम भैश' का लाभार्थ जगत् ने है, जिसे ऊर्ध्व
परिभासित किया गया है ।)

मुक्त-हृदय - इन रूपों और व्यापारों (जगत्) के सामने दब जाता हृदय
अपनी गृह्णक सत्ता की भारता हो जाकर - दर्शन आपको
बिलकुल मूलकर्त्तव्यात्मक जन्मदीप मार रहे जाता है, तब वह
मुक्त-हृदय ही जाता है। (पृ. १४१)

इसके बाद आचार्य शुक्ल ने 'ज्ञानदशा' और 'रसदशा' को योग्यतामाप्त
है। वह इस प्रकार है :-

ज्ञानदशा - आत्मा की पूर्वावस्था ज्ञानदशा कहलाती है। (पृ. १४१)

रसदशा - हृदय की मुकुन्दावस्था रसदशा कहलाती है। (पृ. १४१)

ज्ञानदशा को शुक्लजी ने रसदशा के भगवत्याकृता है। इन गारी
भूमिका के बाद कविता को परिभासित किया है। परिभासा इस तरह है । -

"हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिये मनुष्य का बाधों जो
शब्द विवान करती आई है, उसे कविता कहते हैं।" (पृ. १४१)

यह कहने के बाद (कविता को परिभासित नहर्ते के बाद) विद्वाम
के साथ शुक्लजी अपनी मान्यता को भी अभिव्यक्त कर देते हैं। क्षिया है । -

"इस साधना को (कविता की साधना को) हम माजयोग कहते हैं
है और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं।" (पृ. १४१)

५

आचार्य शुक्ल ने निर्बन्ध के इस प्रथम अनुच्छेद में ही 'ओना', 'जगत्'
'बद्ध-हृदय', 'मुक्त-हृदय', 'ज्ञानदशा', 'रसदशा' आदि शब्दों का विस्तृत

अर्थ मे प्रयोग किया है और कविता को हृदय की मुक्ति का साधन माना है। कविता मनुष्य की वाणी है अवश्य पर वही वाणी जो हृदय की मुक्ति का साधन है, वही कविता है। (वाणी के साथ 'शब्द-विधान' शब्द जुड़ा हुआ है, यह अबलोकनीय है।) आचार्य शुक्ल की कविता के सन्बंध मे यह स्थापना अपने आप मे पूर्ण है और निबन्ध के अन्त तक वे अपनी इस स्थापना पर दृढ़ हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि शुक्लजी की यह स्थापना मौलिक है, उनकी अपनी है। इसे हम उनकी उद्भावना कह सकते हैं। शुक्लजी से मतभेद रखने वालों को उनकी इस स्थापना से मतभेद रखना चाहिए और यही पर इस स्थापना का खड़न करना चाहिए। यदि हम एक बार उनकी इस स्थापना को स्वीकार कर लेते हैं तो आगे उसका खड़न करना बहुत कठिन है। इस प्रथम अनुच्छेद के बाद आगे लिखा हुआ सारा निबध्द इस स्थापना को दृढ़ करने के लिए है। अपने इसी प्रथम अनुच्छेद के अन्तिम वाक्य मे वे कहते हैं। 'इस साधना को हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं।' यहाँ जिस साधना की बात कही गई है, वह कविता की साधना है। कविता की साधना हृदय की मुक्ति के लिए है। हृदय की मुक्ति लक्ष्य है, यह तथ्य ध्यान मे रखने योग्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं।

आचार्य शुक्ल ने इस अनुच्छेद के बाद मे कविता को परिभाषित नहीं किया। किया है, तो यही किया है और यहाँ भी लक्ष्य रूप मे किया है। इसे वे भावयोग कहते हैं (कविता की साधना को) और ज्ञानयोग और कर्मयोग के समकक्ष मानते हैं। भावयोग, कर्मयोग एव ज्ञानयोग ये शब्द प्राचीन प्रतीत होते हैं, गीता से भवधित जान पड़ते हैं। आचार्य शुक्ल इन शब्दों का प्रयोग कविता की साधना को समझाने के लिए करते हैं।

कविता की साधना = भावयोग = कर्मयोग = ज्ञानयोग।

६

'कविता क्या है?' निदान के इस प्रथम अनुच्छेद के संपर्क मे एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि १९०९ ई मे जब यह निबध्द प्रथमत लिखा गया उस समय यह प्रथम अनुच्छेद निबध्द मे नहीं था। सरस्वती मे शुक्लजी का यह निबध्द इसी शीर्षक से। कविता क्या है?) १९०९ ई मे प्रकाशित हुआ। इसके बाद ३० वर्षों के मनन-चितन के उपरात-शीर्षक वही रखते हुए-इसी को, बहुत रूप देकर चितानणि भाग १ मे, १९३९ ई. मे प्रकाशित

किया गया इत दोनों को (१९०० पत्र १२३६ ई. वाले निबंधी की) यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो इससे जागरूक शूक्र की विचार विषयका ही नहीं उनके बीड़िक विकास का भी ज्ञान होता है । १९२५ ई. में यिथे यह इस निबंध का प्रथम अनुच्छेद इस प्रकार है । —

“ कविता में यजुर्य-भाष्य की रक्षा होती है । मृदित के पदार्थ और व्यापार-विशेष को कविता “स तरह अथवा इसी है मालों के पदार्थ का व्यापार-विशेष नेत्रों के मामते भाष्यसे कठने है । उनकी उत्तमता का विवेचन कठन में बुद्धि से भास लेने की जल्हरत ही नहीं पड़ती । कविता की प्रेरणा ये यनोदेशों (जहो मनोवेगों का नाम अनंकारशास्त्र ये इस रक्षा गया है ।) के प्रवाह जोर से बहने लगते है । नाशपति यह कि कविता मनोवेगों का उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है । यदि फोष, वहना, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अनाकरण से निकल जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता । कविता हमारे मनोभावों की इच्छावा-सित करके हमारे जीवन में एक नया योद्धा डाल देती है , हम शृष्टि के सौनर्य को देखकर माँहित शोने लगते हैं ; कोई अनवित या निपुण काम हमें असहृष्ट होने लगता है । हमें ज्ञान प्रदत्त है कि हमारा जीवन कई गुना आदर्श हाकर भवन सभार में व्याप्त हो गया है । ”

बिल्लामणि प्रथम भाग में प्रकाशित निबन्ध में यह अनुच्छेद यही है । १९०९ ई. में प्रकाशित इस निबन्ध में भी ‘काव्यता क्या है ? ’ युख्य शोर्पक के अतिरिक्त अन्य लगार्यक भी हैं । ये उपशोर्पक निम्न रूप में हैं :-

- १) कार्यमें प्रवृत्ति ।
- २) मनोरजन और स्वभाव-मशोधन ।
- ३) कविता की अवश्यकता ।
- ४) शृष्टि आर मौर्दर्द ।
- ५) कविता का भाषा ।
- ६) श्रुतिसुवृद्धता ।
- ७) वलकर ।

-
१. सरस्वती-हीरक जयती, विशेषक, (१९००-१९५५ ई.)
पृ. ४८९-४९०

इन शीर्षकों का और बाद मे संशोधित निवन्ध में दिए गए शीर्षकों दोनों को मिलाकर तुलनात्मक दृष्टि से नीचे विचार किया जा रहा है। इससे भूर्त कहना यह है कि १९०९ ई. मे प्रकाशित निबध्न मे दिया गया प्रथम अनुच्छेद (ऊपर उद्धृत) १९३९ ई. मे शुक्लजी ने हटा ही दिया। वह उन्हे उचित नहीं लगा। इस समय उन्होंने नया अनुच्छेद लिख डाला और यह प्रथम अनुच्छेद निवन्ध मे उससे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव बाद के पूरे निबध्न मे है और इसी अनुच्छेद की व्याख्या विभिन्न परिप्रेक्षों मे शुक्लजी करते चलते हैं।

५

बाद के अनुच्छेदों को समझने के लिए उपर्योगिकों के क्रम से विवेचन किया जा रहा है। इसमे भी १९०९ ई. मे प्रकाशित उपर्योगिकों का क्रम पहले रखा जा रहा है और बाद मे १९३९ ई. के (चिंतामणि प्रथम भाग के) क्रम का विवेचन किया जायगा। इस विवेचन मे दोनों को तुलना एव उद्भावनाओं का उद्घाटन भी किया जा रहा है।

६

१. कार्य मे प्रवृत्ति : संशोधित निबध्न मे यह शीर्षक नहीं है। ध्यान से देखनेपर पना चलता है कि इस शीर्षक के अन्तर्गत दिए गए उदाहरणों के समान दूसरे उदाहरण मंशोधित निबध्न मे हैं और इन उदाहरणों के माध्यम से शुक्लजी यह कहते जान पड़ते हैं कि अर्थग्रहण और विवरण मे अंतर क्या है? यों कहना चाहिए कि 'कार्य मे अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, विवरण अपेक्षित होता है।' प्रह विधान बाद मे बना है। इस विधान की भूमिका (आरभिक विचार) इस शीर्षक के अन्तर्गत है। शुक्लजी ने यहाँ जो उदाहरण दिए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

" यदि किसी से कहा जाय कि अमुक देश तुम्हारा इतना स्वया प्रतिवर्ष उठा के जाता है, उसीसे तुम्हारे यहाँ अकाल दारिद्र्य बना रहता है, तो सभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण दृश्य दिखाया जाय, ऐट की ज्वाला से जरे (जले) हुए प्राणियों के अस्थियंजर सामने चेश किए जाएं और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आरंस्वर सुनाया जाय तो वह मनुष्य औष और कृषण से विहवल हो उठेगा और इन बातों को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो सकल्प अवश्य करेगा। पहले प्रकार की बात कहना राजनीतिज्ञ का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य

दिवाली कवि का कर्तव्य है। मानव भूत्य पर दीर्घी में ने किस पर अधिकार दी गयी है, यह बहलाने की जरबाइजना मही”।^१

यह सोचने की जात है कि कार्य में इतिहासिक शब्दों के कारण होती है, ऐसा शुकलजी यादने है। उमका यह मन १९०९ ई. में या और १९४९ ई. में भी इसमें छोड़ कर नहीं आया किम्बु १९५१ ई. में उभीने प्रसंग को संशोधित एवं तर्कनगत रूप में प्रस्तुत किया। इस समय उन्होंने इस वरद का विवेचन—‘मन्दिर’ के आवश्यक और ‘कविता’ शोषक के व्यवहार किया। विशेष रूप से उद्दहरणों को छोड़कर प्रियान्ती या न्यायभाषा पर विचार करें तो तिमालिकात असर दिखलाई देता।

१९०९ ई.

‘कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। केवल विवेचन के तल से हम किसी कार्य में बहुत कम प्रवृत्ति होती है। केवल इस बात को जानकार ही हम किसी कार्य के द्वारा या न करने के लिए प्राप्त नियार नहीं होते कि वह कार्य जल्दी है या दूरा, नाभायक या हातिकारक। यह उसकी या उसके परिणाम की छोई ऐसी बात हमारे सामने उपर्युक्त हो जाती है जो हमें आहुलाद, शोष और करणा आदि से विचित्रित कर देती है हमी हम उस कार्य को करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। केवल वृद्धि हमें कार्य करने के लिए उत्तराधिकत नहीं करती। कार्य करने के लिए मन हो हमको उत्तराधिक करता है। अतः कार्य में प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना आवश्यक है’।^२

१९३५ ई.

भावों के विषय

भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारा में अठिकार आने पर भी उमका मन्दिर भूत्य विषयों और मूल इतापारों से भीतर भीतर बना है और वहावर चला गया। (पृ. १४३)

कवि कर्म

पर यह प्रचलित रूप (मन्दिर के आवश्यक के बाबज्ञ या भावों के मूल विषयों को जातून कर लेने के कारण) बैसा मर्गलिपती नहीं की सकता। इसी से इससे प्रचलितता का उद्भाटन कवि-कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों उपों सम्बन्ध बहुती जामगी स्वैं स्थैं कवियों के लिए यह बात बहुत जायगा। (पृ. १४४)

१. सरस्वती—हीरक जयंती, विशेषक, (१९००—१९५९ ई.) पृ. ४९०.

२. वही पृ. ४५०.

काव्य का ढाँचा :

सारांश यह कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूर्त और गोचर न होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखनेवाले मूर्त और गोचर रूप न मिलें तब तक काव्य का वास्तविक ढाँचा खड़ा न हो सकेगा। (पृ. १४५)

अर्थग्रहण और विवरण :

काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, विवरण अपेक्षित होता है। यह विवरण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का हो सकता है। (पृ. १४५.)

हम देखते हैं कि १९०९ई. बाला अश १९३९ई. बाले अश की तरह प्रौढ़ नहीं हैं। दोनों अशों में विचारधारा में अन्तर इसलिए नहीं कि 'कार्य में प्रवृत्ति' कविता के कारण होती है, इस प्रवृत्ति के लिए मन में वेग आना जरूरी है, ऐसा शुक्लजी का पहले विश्वास हो गया था। १९०९ई. में उहोंने अपने इभ कथन को विश्वास एवं भावुकता के साथ कहा है। १९३९ई. में परिवर्तन यह हुआ कि 'मन के वेग' के लिए 'भाव' शब्द का प्रयोग हुआ। भाव के भाग साप किर भावों के विषय को स्पष्ट किया गया और विषयों में भी मूल विषय की खोज हुई। पता चला कि सम्यता के आवरण के कारण भावों के विषय प्रच्छन्न हो गए। प्रच्छन्न रूपों को हटाकर मूल विषय तक पहुँचना कविता का काम है या ये गुण कविता में होना चाहिए। इसीलिए भावों के विषय के बाद में 'कवि कर्म' को शुक्लजी स्पष्ट करते हैं। इसी तरह 'काव्य का ढाँचा' बतलाते हैं और तब अन्त में अपनी महत्वपूर्ण स्यामना करते हैं 'काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता; विवरण मात्र अपेक्षित होता है।' वास्तव में काव्य में विवरण को कहते समय शुक्लजी 'भावों के मूल विषय' (सम्यता के आवरण से मुक्त) को ही संदातिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। विवरण से भावों का कविता, प्रयोजन और आवश्यकता

मूल विषय ही समझ में आता है। अर्थप्रश्न से वो समझता कि वीर होता है।

२. मनोरंजन और स्वभाव-संशोधन । १९०७ ई. इस शीर्षक में से शुक्लजी ने 'स्वभाव-संशोधन' लिखा है। १९०८ ई. (वित्ताभिन्न भाग १) बाले संस्करण में शब्द 'मनोरंजन' शीर्षक रह गया है। १९०९ ई. में लिखे इस शीर्षक के प्रथम अंकुरों में उद्देश्य हटा दिया है। यह उन्नित ही हुआ। इस अंक में भाग १, २, ३, ४ उद्देश्य है—
स्वभाव-संशोधन इस भावुकता बाले जन में १. २. ३. ४. रखा दी रही है—

'कविता ही उम दुकानदार करता, वी पृथि भौतिक और आध्यात्मिक सुषिट के सौंदर्य की प्रीति के प्राप्ति, 'मनिला ही उसका व्यान अर्दे की आदरनाला की जैसी जानिए करैगी अंर उनकी दृष्टि करने की उच्चता उत्तम उरेग', कामना ही उसे उचित अवसर पर छोड़, देखा, भाँग। भाँगापद्मन विस्तृतगी, इसी प्रकार उम राजकर्मचारी वा गामी की जैसे कर्मी का प्रतिक्रिया स्वीकृतकर रखेगाँ और उनको जनपद या उपभक्तिया का आभास दिखलादेगाँ; वधा वैत्री नहा अपि युवर्जुनी हरये पहुँचाई दुई पीड़ा और बड़े जे सुअर में मृत्यु अस को दिखलाकर उसे देया दिखाने की शिक्षा देगी।'"

इस अनुच्छेद के बाद लिखा हुआ अनुच्छेद लक्षणित रूप में वित्ताभिन्न भाग १, में प्रकाशित है। तुलना के लिए दोनों वी अंक नीचे दिए जा रहे हैं—

१९०९ ई.

१९५९ ई.

प्रायः लोग कहा करते हैं कि कविता का अन्तिम उद्देश मनोरंजन है। पर मेरी समझ में मनोरंजन उद्देश नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर इसके सिवा कुछ

प्रायः मुनते हैं जाना है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। पर जैसा कि हम पहले कह थाए हैं उक्तिया का अन्तिम लक्ष्य जगन् का अभिन्न पथों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ

१. सरस्वती-हीरक-जयती, विद्याक, (१९००-१९५९ ई.) ५, ४९०-४९१

और भी होता है। मनोरंजन करना कविता का प्रबान्ध गुण है। इससे मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है। इधर उधर जाने नहीं पाता। यही कारण है कि नीति और धर्म सम्बन्धी उपदेश चित्त पर वैसा असर नहीं करते जैसा कि किसी काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा असर करती है। केवल यही कह कर कि 'परोपकार करो', 'सदैव सच बोलो', 'चोरी करना महापाप है', हम यह आशा कदाचिं नहीं कर सकते कि कोई अपकारी मनुष्य परोपकारी हो जायगा, और चोरी करना छोड़ देगा। क्यों कि पहले तो मनुष्य का चित्त ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यत ही नहीं होता, दूसरे मानव जीवन पर उसका कोई प्रभाव अकिञ्च हुआ न देखकर वह उनकी कुछ परवा नहीं करता। पर कविता अपने मनो-रजक शक्ति के द्वारा पठने या मुनने वाले का चित्त उच्चटने नहीं देती, उसके हृदय आदि अत्यन्त कोमल स्थानों को स्पर्श करती है, और सृष्टि में उक्त कर्मों के स्थान और सबध की सूचना देकर मानव जीवन पर उनके प्रभाव और परिणाम को विस्तृत रूप से अंकित करके दिखलाती है...
... मन को हमारे आचार्यों ने ग्यारहवीं इन्द्रिय माना है। उसका रजन करना और उसे सुख पहुँचाना ही यदि कविता का धर्म माना जाय तो कविता भी केवल विलास की

मनुष्य हृदय का सामंजस्य-स्थान है। इतने गभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरजन का हलका उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन-पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जानेवाले पथिक के समान हैं। कविता पढ़ते समय मनोरजन अवश्य होता है, पर उसके उपरान्त कुछ और भी होता है और वही सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिसमें कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थित किए रहती है, इसे इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छी में अच्छी बात को भी कभी-कभी लोग केवल कान से मून भर लेते हैं, उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता। केवल यही कह कर कि 'परोपकार करो', 'दूसरों पर दया करो', 'चोरी करना महापाप न है', हमे यह आशा कदाचिं न करनी चाहिए कि कोई अपकारी, कोई कूर दयावान, या कोई चोर साधु हो जायगा। क्यों कि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे व्यापारों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव-जीवन के बीच कोई मामिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता। (पृ. १६२)

सामग्री है। परन्तु क्या हम जहाँ
मकते हैं कि आत्मीयिक का आदि काव्य
तुलसीदास का रामचरितमाला मा-
सूरदास का सूरभाष्मर विलास की
सामग्री है? अति इन प्रयोगों से मनो-
रजन होगा ता चतिन्द्र-संशोधन भी
अवश्य ही होगा। खेद के माध्य कहना
पड़ता है कि हिन्दी भाषा के अनेक
विद्यों ने शून्यगार रम की उमाद कारि-
णी उक्तियों से माहित्य को इनता भर
दिया है कि कविता भी विलास की
एक सामग्री समझी जाने लगी है”।

ऊपर दिए गए दोनों ही अंग विस्तृत हो गए किन्तु यूठ के
व्यक्तित्व को मध्यजने के लिए इन्हें लिखना अवश्यक इर्दोंत हुआ। अब इनका
विश्लेषण तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है :

जैसे कि पहले ही कहा दिया है कि यूठजी ने १९४३ ई. में ‘स्वभाव-
संशोधन’ शब्द शीर्षक से हटा दिया और केवल ‘मनोरजन’ शब्द रखा है।
स्वभाव-संशोधन से मम्बन्धित प्रथम अनुच्छेद (गियरा शुक्र) परम छार
उद्घृत किया गया है) और अतिम अनुच्छेद शुक्रजी ने हटा हो दिया।
‘स्वभाव-संशोधन’ वाले भाग में कविता के प्रति यूठजी भविकृता का गुट
है, ऐसा शुक्रजी ने अनुभव किया है। इसी से बहु भाग छटा दिया।

मनोरजन के मम्बन्ध में लिखते मम्ब ‘कविता के उद्देश्य’ की बात
कही गई है। इस सत्त्वन्ध में १९०९ ई. में लिखे हुए भाग में मनोरजन और
कविता के प्रति आस्था की भावना शुक्रजी से दिलकाई रही है। इस मम्ब के
लेखन में दृढ़ता और आत्मविद्वास की कमी है। उम गम्भीर शुक्रजी शी
टूक बात करते प्रतीत नहीं होते। इसी तरह अग्ने विलासों की वौद्धिक
आवार भी प्रदान नहीं कर सके। इस कथन को पुष्ट करने के लिए हमें उन
वाक्यों पर चिनार करना पड़ेगा, जो दोनों ही स्थानों पर हैं किन्तु कुछ हैरानी-

के साथ है। यह हेर-कर ही बदलते व्यक्तित्व को पहचानने का प्रमाण है। कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं और फिर उन पर विचार प्रस्तुत किए जाएँगे।

'प्राय, लोग कहा करते हैं कि कविता का अन्तिम उद्देश मनोरंजन है। पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका उद्देश्य नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर इसके सिवा कुछ और भी होता है।' (१९०९-ई.) 'प्राय' सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि कविता का अन्तिम लक्ष्य जगत् के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का समर्जन-स्थापन है। (१९३९ ई.)

प्रथम अश में 'लोग कहा करते हैं' है और दूसरे में 'सुनने में आता है' है। इसी तरह प्रथम अश में 'मेरी समझ में' है जब कि दूसरे अश में 'मेरी समझ में' कट गया है। इस के स्थान पर 'जैसे कि हम पहले कह आए हैं' है। शुक्लजी पहले बाले अश में कुछ विनीत प्रतीत होते हैं जब कि बादबाले अश में दृढ़ता और आत्मविश्वासः शुलकता है। पहले बाले अश में अपने विचारों को सम्मुख रखते हुए भी औरों के विचारों का तीव्र खण्डन नहीं करते जब कि बादबाले अशों में उन्होंने तीव्र खण्डन किया है। पहले बाले अश में विचारों का विखाराव है, उसमें सशिलष्टता नहीं है। यहीं नहीं सिद्धान्त निरूपण भी बादबाले अश में है। जैसे ऊपर के इन दोनों अशों में कविता का अन्तिम उद्देश्य, की बात (दोनों अशों में) है। पहले अश में - कविता का अन्तिम उद्देश्य मनोरंजन कहा गया है (लोग कहा करते हैं) इसका खण्डन शुक्लजी तीव्र रूप से न कर केवल यह कह देते हैं कि 'मेरी समझ में मनोरंजन उसका उद्देश्य नहीं है'। यह कथन अपने को विनीत रूप में प्रस्तुत करनेवाला है। अगले वाक्य में शुक्लजी यह स्वीकार कर लेते हैं कि कविता से मनोरंजन होता है पर साथ द्वी नम्भ भाव से यह भी कहते हैं कि इसके सिवा कुछ और भी होता है। इसके विपरीत बाद बाले अश में शुक्लजी विश्वास के साथ कहते हैं और डटकर कहते हैं। यहाँ पहले तो उन्होंने अन्तिम उद्देश्य के स्थान पर केवल उद्देश्य रखा, यह कहते हुए रखा कि सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। इसका खण्डन करने के लिए इस समय में शुक्लजी के पास कविता के उद्देश्य का उत्तर मौजूद है। (यह उत्तर पहले बाले अश में नहीं है।) उत्तर है-- 'कविता का अन्तिम लक्ष्य जगत् के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का साम-जस्य-स्थापन है।' अपनी बात को दोहराने के स्वर में (जैसे कि हम पहले कह

आए हैं।) कहन के बाद बड़ी शक्ति के साथ कविता का अद्वेष्य मर्मोरब्रह्म मनोरजन के लिए कहते हैं—‘इनसे दौरीर उद्देश्य के स्थल पर चैतक मनोरजन का हुलका उद्देश्य मायने रखकर जो शक्ति का प्रदूषप्राप्ति वा विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जानेवाले परिक दें मर्मान् ॥’ अद्वितीय तथ्यों की कल्पना शुक्लजी की बाद का वर्णन है। १९०३ ई. में इसके निबन्ध में ‘मासिक तथ्य’ उद्दर्शीषक नहीं है। कविता के माध्यम में भी ऐसा एक शुक्लजी की अपनी मीलिक उद्भावना है (इस निबन्ध में अब ने निकाल का रहा है।) इस उद्भावना में कविता के अन्तिम लकड़ को शोकना शुक्लजी ने निश्चित की है। मनोरजन अन्तिम लकड़ नहीं है। कोई परिक ना यान देखा है तो वह रास्ते से रह जानेवाला परिक ही माना जायगा, ऐसी धूकरी की दृढ़ मान्यता है।

इस मनोरजनवाले अश में एक बात और लिख दें जोर वह प्रह दि १९०१ ई. वाले इस अंश में किसी कविता का उश्मदण महा दिवा भया, जब कि १९३९ ई. वाले इस अश में गर्भी और ग्रिशिर के सुस्थें और ममाले वाले कवित दिए गए हैं। यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि इन उद्धरणों द्वारा शुक्लजी कविता का (मनोरजन को लकड़ मान लेने के कारण) लक्ष्य घट्ट होने से बचाना जाहूते हैं।

सेढान्निक रूप से यही पर मनोरजन को एक नया सदृश उमानेवाली शक्ति (कविता की) के रूप में स्पीकार जिया गया और इसी मटभै में शुक्लजी ने पंडितराज जगन्नाथ का उत्तेज उठाने ने सदृश निश्चित किया है, यह कहकर किया है। शुक्लजी लिखते हैं—‘कविता की इसी रमानेवाली शक्ति (मनोरजन) को देखकर जगन्नाथ पंडितराज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा योरपीय सभीक्षकोंने ‘आनन्द’ को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अन्तिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड्ढबड्ढाला हुआ।’ (पृ. १६३.) निश्चित ही इन पक्षियों में शुक्लजी लक्ष्य हैं और दो टूक बात कहते हैं। कोई माने या न माने, वे मानते हैं कि मनोरजन कविता का अन्तिम लक्ष्य नहीं हैं।

मेरे यह अनुच्छेद निबंध के अत महेरे इस अनुच्छेद के साथ निवाप समाप्त हो जाता है। यहाँ अबलोकनीय तथ्य यह है कि कविता की आवश्यकता (अन्तिम अनुच्छेद) उपस्थार रूप मेरे लिखा हुआ भाग बहुत परिवर्तित नहीं है। विचारधारा मेरे विशेष परिवर्तन नहीं। वाक्य भी लगभग वे ही हैं। कुछ शब्दों मेरे अतर अवश्य हैं। जिस तरह प्रथम अनुच्छेद (१९३९ ई. का और जिसके सबध मेरे ऊपर विस्तार से लिखा गया है), महत्वपूर्ण है, उसी तरह यह अंतिम अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है। प्रथम अनुच्छेद मेरे 'कविता क्या?' (निबंध का मूल शीर्षक) का उत्तर है तो इस अन्तिम अनुच्छेद मेरे (उपस्थार मेरे) उसकी महत्ता का और आवश्यकता का कारण बतलाया गया है।

प्रथम अनुच्छेद की तरह इस अंतिम अनुच्छेद का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है और बाद मेरे प्रथम अनुच्छेद के साथ इसका सबध दिखलाया जायगा। अन्तिम अनुच्छेद इस प्रकार है।

१९३९ ई.

१९३९ ई.

कविता इतनी प्रयोजनीय बस्तु है कि सासार की सभ्य सभी जातियों मेरे पाई जानी है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता अवश्य ही होगी। इसका क्या कारण है? बात यह है कि ममार के प्रनेक कृत्रिम व्यापारों मेरे पासे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है। अतएव मानुषों प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी धैर्यधि बनाई है। कविता यही प्रयत्न करता है कि प्रकृति मेरे मनुष्य को दृष्टि किरने न पावे। जानवरों को इसका आवश्यकता नहीं।”

कविता इतनी प्रयोजनीय बस्तु है कि सासार की सभ्य असभ्य सभी जातियों मेरे, किसी न किसी रूप मेरे पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का सघन और जटिल मड़ल बौद्धता चला आ रहा है जिसके भीतर बैंधा-बैंधा वह शेष सूचित के साथ अपने हृदय का सबध भूला-सा रहता है। इसी परिस्थिति मेरे मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अन्तः प्रकृति मेरे मनुष्यता को समय भमय पर जगाते

१. लरस्वनी, हीरक जयती, विशेषाक (१९०-१९५९ई) -पृ. ४९१

कविता : प्रयोजन और आवश्यकता

४५

रहन क लिए कविता मनूष्य काहि,
के गमय लगी भली वा नहीं है और उन्हीं
भली जल्दी : आवश्यकी का इसकी
जगह रही (प. १०५ और १८६)

तुलनात्मक दृष्टि से दोनों भी मेर कविता के प्रति विश्वासी में अंतर नहीं है। बाद बाले प्रश्न में विश्वासी की बौद्धिक आवार विश्वास फिरा यादा है। प्रथम अश में 'कृत्रिम व्यापार' का उल्लेख है। यह उल्लंघन के बावजूद रूप से है हूँ दूसरे अश में इस 'कृत्रिम व्यापार' का विश्लेषण है। इस विश्लेषण में सूनोवैज्ञानिक पुट है। कहा गया है कि 'मनूष्य अपने ही आवारने का सघन आर जटिल मंडल विधिता चला आ रहा है' जिसके भीतर बैधा-बैधा वह शेष सूष्टि के साथ अपने हृदय का मद्यम भूमा-सा रहता है। इस परिस्थिति में मनूष्य का अपनी मनूष्यता खोने वा डर वशावर रहता है। वास्तव में कविता की आवश्यकता का कारण इन विधियों द्वारा बदल हुआ है। इस स्पष्टता में बौद्धिक प्रमाण है। पहले वाले अश में यहाँ कान नहीं है। इस उपस्थार के नाथ यदि प्रथम अनुच्छेद का सबसे प्रोड़ी ला कपड़न श्रीर स्पष्ट हो जाता है। प्रथम अनुच्छेद में 'मुका-हृदय' की काने करो गई है। कविता हृदय की मुक्ति का साथन है। बद्ध-हृदय होने से बचता है और मुक्त-हृदय होना है। बद्ध होना और मूक्त होना यह अपन के साथ विवरी पर निर्भर है, जिसे फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं। बद्ध होने से व्यापार कृत्रिम होते हैं 'यहीं सञ्चयाका अवश्य है, जह मूल भूमि रखय (कृत्रिम व्यापारों का) ही बोध रहा है। इसके कारण मनूष्यता नहीं (खोने का डर बना हुआ है। पहले बाले अश में (१९०९ ई. बाले) इश्वर का उल्लेख है। शुक्लजीने बाद बाले अंश में इश्वर को जाता किया है। इससे बाद बाले अश बौद्धिक है यह प्रमाणित हुआ। शुक्लजी ने पहलान लिया कि कविता मनूष्य की सूष्टि है, ईश्वर की नहीं। 'ईश्वर ने कविता लियी औषधि बनाई है' इसमें भावूकता है। शुक्ल जैसा व्यक्तित्व ऐसा भी लिख सकता। लिखा है, तो काट दिया। वैसे इस लेखन में अव्यक्त सत्ता के प्रति विश्वास है थार वह विश्वास गलत नहीं किन्तु विश्वास का बौद्धिक आधार प्रदान करता शुक्लजी ने उचित समझा। इसालिए यह परिवर्तन दिखाई देता है। 'कविता क्या है?' निवध के प्रथम अनुच्छेद में (१९३९ ई.) ही शुक्लजी ने स्वीकार कर लिया कि हृदय की इसी मुक्ति की साथना के लिए मनूष्य की बाणी जो शब्द विश्वास करती आई है, उसे कविता कहते हैं।"

(पृ. १४१.) यहाँ स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि कविता मनुष्य की वाणी है। अत ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है, इस अश को काटना आवश्यक था। इसी तरह पहले वाले अश में 'कविता यही प्रथत्न करती है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने न पावे।' लिखा है, जब कि सशोधित अश में 'अन्तःप्रकृति में मनुष्यता को (हृदय को मुक्त करने को, मुक्त-हृदय मनुष्यता है) समय भमय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी।' बाद का कथन प्रौढ़ है, यह कहने की आवश्यकता नहीं।

११

४. सृष्टि और सौदर्य - इस शीर्षक में से बाद में सृष्टि शब्द हटा दिया गया है। केवल सौदर्य शीर्षक ही बाद में रह गया। इस अश में शुक्लजी ने बहुत परिवर्तन किया है। आरंभवाले अश में सौदर्य के सबध में शुक्लजी की धारणा स्पष्ट नहीं थी; यहाँ नहीं इस अश में भावुकता का पुट अधिक है। इस भावुकता में भी शुक्लजी का नैतिक बोध जाग्रत है, यह कहना पड़ेगा और इस नैतिक बोध को ही शुक्लजी ने आगे चलकर बौद्धिक आधार प्रदान किया है। सौदर्य बाहर है या भीतर है? इस संबंध में निर्णय न देते हुए भी १९०९ ई में इस अलगाव को उन्होंने अनुभव कर लिया था। दोनों ही प्रकार के सौदर्य को शुक्लजी ने महत्त्वपूर्ण माना है। १९०९ ई की कुछ पक्षियाँ इस प्रकार हैं :-

"कविता सृष्टि-सौदर्य का अनुभव करती है और मनुष्य को सुदर वस्तुओं में अनुरक्त करती है ... भौतिक सौदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार सतोष होता है उसी प्रकार मानसिक सौदर्य से भी महाकवियों ने प्रायः इन दोनों सौदर्यों का (भौतिक और मानसिक) मेल कराया है जो किसी को अस्वभाविक प्रतीत होता है।" ३ यहाँ तक तो ठीक था। किन्तु निम्न लिखित अश विचारणीय है।

"किन्तु मसार मे प्राय देखा जाता है कि रूपवान् जन सुशील और कोमल होते हैं और रूपहीन जन कूर और दुशील।

१. सरस्वती, हीरक-जयंती, विशेषाक (१९००-१९५९ ई.)
पृ. ४९१-४९२,

इनके भिन्न मनुष्य सम्बन्ध का अधिकार भी चैहूँ
पर पड़कर उस होकर पर अद्वितीय बना देता है। यात्रिक
सौर्य का सम्बन्ध लगते हुए भास्तुतिक अवधिक सौर्यके
की ओर प्राप्तिक होता है। अन्यथा यदि भौर्य का विषयत्व
कर्ति का प्रभाव कर्म है।” १

शुक्लजी ने ‘प्राप्ति’ कहा है अब ग्रन्थाद की सम्बन्धता का ज्ञानेय
स्वीकार किया है, यह बहुत रोचक है यह सुन्दर
होगा और मात्र भी कोपण होगा और उक्ते विषयों भी, उन विषय
की स्वीकार कर लेना पड़ेगा। शुक्लजी ने यह अथ उठा ही दिया है और
यह हटाना उचित ही हुआ।

१३३९ ई. बाले अथ में-ग्रन्थने नैतिक शाप को जागत रखने हृषि-
शुक्लजी ने सौर्य के सम्बन्ध में अपने स्वप्न विषय अधिकार लिए हैं। (इस
सम्बन्ध में उनकी विचारशास्त्र जो निम्नलिखित रूप से नम्भा जा सकता है—

अ) ‘जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से विश्वासार परिणति;
जितनी ही अधिक हाथी, उतनी ही यह वस्तु दमारे लिए
सुन्दर कही जायगी।’ (पृ. १६५.)

आ, ‘प्रनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुँची हुई संसार की सब
सभ्य जातियों में सौर्य के सामान्य आदर प्रतिष्ठित है (यदि)
अधिकतर अनुभूति को मात्रा में पाना चाहता है।’ (पृ. १६५.)

इ) ‘कविता के बल वस्तुओं के ही रंग-कला के भौतिकी की उठा नहीं
दिखाती, इन्हें कर्म और मनोशुलि के सौर्य के शी अत्यन्त
मापिक दृश्य सामने रखती है .. जिन मनोशुलियों का अधि-
कतर वुग रूप हम संसार में देखा करते हैं उनका भी सुहर
रूप कविता हृड़कर दिखाती है।’ (पृ. १६६.)

ई) ‘सुन्दर और कुरुप-काष्ठ में बस ये ही दो पक्ष हैं। भजा-बूरा,
सुभ-प्रदूष, पाद-पूष्य, मंगल-अभगल, लप्योगी-अनुपयोगी-ये सब
शब्द काव्यक्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, ध्यवहार, धर्म-
शस्त्र, धर्मदेव शब्द हैं।’ (पृ. १६७.)

१. सरस्वती, हीरक जदेजी, विशेषक (१९००-१९५९ ई.)
पृ. ४३२.

इन प्रपत्तियों की अपारुद्या विस्तृत रूप से की जा सकती है और इन प्रपत्तियों पर कविता के सदर्भ में विचार किया जा सकता है। निबन्ध के विस्तार को देखते हुए विवेचन संक्षेप में ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

शुक्लजी मानते हैं कि सौन्दर्य बाहर है और भीतर भी है। इस ज्ञानडे को वे गडबड़ज़ाला कहते हैं। बीरकर्म से पृथक् बीरर्द्व कोई पदार्थ नहीं अतः सुन्दर वस्तु से पृथक् सौन्दर्य कोई पदार्थ नहीं। ये विचार ऐकेवम स्पष्ट है। सुन्दरता का बोध कैसे होगा? इसका उत्तर शुक्लजी के 'यास' में है 'प्रपत्ति नं. अ' वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या उससे सम्बन्धित भावना के अभाव में सौन्दर्य की कल्पना करना व्यर्थ है। इस प्रपत्ति में यह मान लिया गया कि 'सौन्दर्य' बाहर है, वस्तुओं में है। यही पर यह भी मान लिया गया कि वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान (भावना रूप में) होना आवश्यक है। शुक्लजी जब प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं तो उसके आगे 'या भावना' लिखते हैं। अर्थात् भावना को वे विशेष अर्थ में अयुक्त कर रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान कहो या भावना कहो (दोनों एक अर्थ में)। जब वस्तु के सम्बन्ध में तदाकार की स्थिति जाग्रत् कहें वही सौन्दर्य का अनुभव होगा। यों कहना चाहिए कि सौन्दर्य का अनुभव या तदाकार की स्थिति वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना पर निर्भर है। सौन्दर्य की अनुभूति को बतलाने के बाद उनकी दूसरी महत्वपूर्ण प्रपत्ति 'अ' यह है कि अनुभूति की मात्रा में अत्तर होने पर भी संसार की सभी सम्य जातियों में सौन्दर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। इस सम्बन्ध में उनकी स्पष्ट धारणा यह है कि सौन्दर्य के ये सामान्य आदर्श मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुँचे हुए हैं। इस दूसरी प्रपत्ति के आधार पर ही शुक्लजी कविता के सौन्दर्य का विश्लेषण करते हैं। इस सम्बन्ध में उनकी भावना यह है कि कविता केवल वस्तुओं के ही रग-रूप के सौन्दर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौन्दर्य के भी अत्यन्त मार्मिक दृश्य सामने रखती है। काव्य में इस दृष्टि से शुक्लजी ने दो ही पक्ष माने हैं—सुन्दर और कुरुम। यह सब कहते समय शुक्लजी यह नहीं भूलते कि काव्य का सुन्दर पक्ष मनुष्यता की सामान्य भूमि से सम्बन्ध रखनेवाला है।

१२

५-६ कविता की भाषा तथा श्रुतिसुखदत्ता : इन दोनों शीर्षकों का विवेचन एकत्र रूप में इसलिए किया जा रहा है कि बादवाले निबन्ध में शुक्लजी ने 'श्रुतिसुखदत्ता' शीर्षक हटा ही दिया है और १९०९ ई. में दोनों शीर्षकों के अन्तर्गत लिखे गए अश को एक ही शीर्षक 'कविता की भाषा' के अन्तर्गत

रखा है। इसोलिए दोनों शीर्षकों का विवेचन एकजू रूप में किया रहा है।

१९०९ई. वाले अंश में शुक्लजी ने कविता को भागा पर विस्तार से लिखा है और इस समय लिखे गए अपने इन निबन्ध में इसी अंश में कविता के कुछ उदाहरण दिए हैं। उनमें से कुछ उदाहरण लावतारे निबन्ध (१९३६ई.) में भी हैं। कविता की भाषा का विवेचन करने समय शुक्लजी ने कविता की भाषा में पाए जानेवाले कुछ प्रमुख लक्षणों (विशेषार्थों) का विवेचन किया है। इस संदर्भ में ध्यान में रखने की आत यह है कि शुक्लजी का व्याप्त इत्याध्य भाषा पर है। इस दृष्टि से उन्होंने 'शब्दों' पर विचार किया है। शब्दों पर विचार करते समय भी उन्होंने कविता की भाषा की सामान्य विशेषताएँ देखने का प्रयास किया है। इस तरह में देखने में उनकी दृष्टि वैज्ञानिक की है। (भाषा वैज्ञानिक की कह मङ्कते हैं।) उनका यह विवेचन तथ्यों के आधार पर है और बाद में निर्णय भी दिए गए हैं।

१९०९ई. में लिखा गया प्रथम अनुच्छेद (कविता की भाषा के अन्तर्गत) शुक्लजी ने बाद में पुर्णतः हटा दिया है। किन्तु इस अनुच्छेद को भी ध्यान से देखें तो इस अनुच्छेद में भी किसलेखक दृष्टि है। कविता में प्रयुक्त पुराने शब्दों को देखते हुए उन्होंने यह सोचा कि "मनुष्य इत्यभाव ही से प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को शब्द की दृष्टि में देखता है। पुराने शब्द लोगों को मालूम ही रहते हैं। इसी से कविता में कुछ न कुछ पुराने शब्द आ ही जाते हैं।" ^१ यह ध्यान में रखने की आत है कि जिस समय शुक्लजी यह निबन्ध लिख रहे थे उस समय कविता में (खड़ी बोली में लिखी गई कविताओं में) ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग होता था। शुक्लजी लिखते हैं :— "हिन्दी में 'राजते हैं', 'गहते हैं', 'लहते हैं', 'मरसाते हैं' आदि प्रयोगों का खड़ी बोली तक की कविता में बना रहना कोई अज्ञमर्मी की आत नहीं।" ^२ इस सम्बन्ध में वे आगे लिखते हैं— "पर ऐसे शब्द बहुत थीं आने चाहिए, वे भी ऐसे जो भद्रे और गंवार न हो।" ^३ इसी तरह शुक्लजी का ध्यान सयुक्त क्रियाओं पर भी गया है। लिखा है— "खड़ी बोली में सयुक्त क्रियाएँ बहुत लम्बी होती हैं। जैसे— 'लाभ करते हैं', 'प्रकाशते हैं' आदि। कविता में इनके स्थान पर 'लहते हैं', 'प्रकाशते हैं' कर देते से कोई

१. सरस्वती; हीरक-ज्यंती, विशेषाक, (१९००-१९५९ई.)-५४१,

२. — वही—पृ० ४९२

३. — वही—पृ० ४९२

हानि नहीं, पर यह बात इस तरह के सभी शब्दों के लिए ठीक नहीं हो सकती।”^१ शुक्लजी ने यह सारा अंश हटा ही दिया। १९३९ ई. तक स्थङ्गी बोली पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुकी थी और इस समय में ब्रजभाषा के शब्दों को रखना आवश्यक नहीं माना गया, अतः इस प्रसग को शुक्लजी ने छोड़ दिया। एक और बात यह कि उस समय में शुक्लजी द्वारा देखा गया तर्क वजनदार नहीं है। यह कहना कि ‘पुराने शब्द हमें मालूम ही रहते हैं।’ तर्कसगत नहीं है। तर्क वजनदार नहीं है, पर तथ्य सही है। यह सब इसलिए लिखा गया कि इस समय भी (वजनदार तर्कों के न हीने पर भी) शुक्लजी की दृष्टि तथ्यों पर रही है। जो तथ्य शुक्लजी ने दिए हैं, वे सही हैं। शुक्लजी ने आरम्भ से ही तथ्यों पर ध्यान दिया है।

अब हम १९३९ ई. में लिखे ‘कविता की भाषा’ पर विचार करें। इस समय में उन्होंने कविता की भाषा की चार विशेषताएँ बतलाई हैं। वे इस प्रकार हैं :—

- १) अगोचर बातों या भावनाओं को भी, जहाँ तक हो सकता है, कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। (पृ. १७५)
- २) कविता की भाषा की दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति सकेतवाले शब्दों की अपेक्षा विशेष-रूप-व्यापार-सूचक शब्द अधिक रहते हैं। (पृ. १७६)
- ३) तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्णविन्यास की है। (पृ. १७९)
- ४) हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो सस्कृत से ही आई है। वह यह है कि कही-कही व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप-गुण या कार्य-बोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। (पृ. १८०)

इन चारों विशेषताओं में से दो विशेषताओं का उल्लेख १९०९ ई. बाले अंश में ‘कविता की भाषा’ शीर्षक के अन्तर्गत हुआ है और बाद की

१. — वही — पृ. ४९२.

विशेषताओं का उल्लेख 'श्रृंतिसुखदत्ता' कीर्यक के बनामें हुआ है। कविता :
 भाषा की इन विशेषताओं के प्रति डॉ. अच्छनसिंह ने लिखा है :- उन्होंने
 (शुक्लजी) 'कविता क्या है?' निवेद में भाषा की धार विशेषताओं का उल्लेख
 किया है ? १. मूर्ति विद्यान २. जातिसूचक शब्दों की अवैज्ञानिक-ध्यापार
 सूचक शब्दों का प्रयोग, ३. वर्ण विकास (वर्णविद्याम् शीमा चाहिए) और
 ४. व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके मूण्डोधार शब्दोंका व्यवहार। इसमें
 पहले और दूसरे में कोई भेद नहीं है। तीसरा वर्णोंकी मधुराम-कहना से
 सबढ़ है। इसी के अन्तर्गत वे नाद-सौन्दर्य को भी लिने हैं। बुलिविद्यात,
 लय, अन्त्यानुप्रास आदि को नाद सौन्दर्य वा साधन मानने हैं। यद्यपि कि इस
 संबंध में उन्होंने ऊपरले स्तर के ही विचार लिये हैं - नाद-सौन्दर्य
 से कविता की आयु बढ़ती है.... स्पष्ट है कि नाद-सौन्दर्य को कविता के
 बाह्य ढाँचे से संबद्ध करते हैं, उसके आनंदरिक अर्थ से नहीं।" ५ यह कहना
 यह है कि (यह कहना शुक्लजी के बचाव में नहीं) कविता की भाषा की
 विशेषताओं का उल्लेख करते समय शुक्लजी ने कविता की भाषा में पाए
 जानेवाले तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और जो तथ्य दिखाईदू
 दिए उन्हें उन्होंने सप्रभाण लिखा है। शुक्लजी वा निवेद अवतरण लग में
 कविता की भाषा पर नहीं है, वह 'कविता क्या है?' लिपण पर है। भ्रमः
 विषयानुरूप उन्होंने निवन्ध की शीमा को वहचानते हुए कविता की भाषा की
 कठिपय विशेषताएँ लिखी हैं और जो तथ्य दिए हैं वे आज भी अष्टी हैं।
 बाहरी तथ्यों के आधार पर ही हम भीतर पहुँच सकते हैं या यो कहिए
 कि जो भीतर है उसका बोध बाहर आने पर ही होता। अतः वैज्ञानिक अध्ययन
 के लिए बाहरी तथ्यों को प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है। नाटक के अभाव
 में शास्त्रीय विवेचन सभव ही नहीं। आचार्य शुक्ल ने भाषा की जिन न्यून
 विशेषताओं (कविता की भाषा की) की ओर ध्यान आकृष्ट किया है,
 वे बाहरी तथ्य हैं और सामान्य तथ्य हैं, जिनका सम्बन्ध कविता से ही हैं
 (प्रायः कविता से हैं)। साहित्य के भीतर अनेक विधाएँ हैं और उन विधाएँ
 में प्रत्येक कविता की भाषा की अपनी विशेषताएँ हैं। नाटक की भाषा, कहानी
 की भाषा, कविता की भाषा, आदि आदि। इस दृष्टि से शुक्लजी के आदि
 सीचा तो जा रहा है किन्तु शास्त्रीय प्रयाम अब भी आगे बढ़ गया एंसा
 नहीं कहा जा सकता। डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक 'भाषा और भवेषना'
 एक उत्तम प्रयास है; किन्तु ध्यान से देखें तो शुक्लजी द्वारा लिखा गया

‘कविता की भाषा’ वाला अंश और रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा ‘काव्य भाषा’ वाला अंश दोनों में शुक्लजी वाले अश में वैज्ञानिकता अधिक मिलेगी। (यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों को प्राप्त या उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार करना चाहिए) कविता की भाषा में सामान्य रूप से पाए जानेवाले स्थूल तथ्यों को पकड़ लेना साधारण बात नहीं है। सामान्य होने के नाते वे हमें ऊपर के प्रतीत होते हैं किन्तु इनको पकड़ना कितना कठिन है? यह तब समझ में आ जाएगा जब हम रामस्वरूप चतुर्वेदीजी की पुस्तक पढ़ ले और सोचें कि साहित्य की विधाओं की भाषाओं के अन्तर को पहचानने के लिए तथ्यों को खोजना कितना कठिन है? रामस्वरूप चतुर्वेदीजी की पुस्तक में खोज की छटपटाहट है (यह अच्छा है) जब कि शुक्लजी की पुस्तक में पूर्ण आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास के कारण ही विषय को स्पष्ट रूप से लिखना सभव हुआ है।

‘श्रुतिसुखदता’ शीर्षक हटाने के साथ, इस शीर्षक के अन्तर्गत लिखा हुआ वह भाग हटा दिया गया है, जो भावुक है और आवेश में लिखा गया है। नाद-सौन्दर्य से कर्मविता की आयु बढ़ती है, इस विचार में परिवर्तन तो नहीं हुआ किन्तु शुक्लजी ने यह अनुभव कर लिया कि क्यन कुछ सीमातीत हो गया। जैसे :-

“हमारी छन्दोरचना तक की कोई कोई अवहेलना करते हैं—वह छन्दोरचना जिसके माधुर्य को भूमण्डल के किसी देश का छन्द-शास्त्र नहीं पा सकता और जो हमारी श्रुतिसुखदता के स्वाभाविक प्रेम के सर्वथा अनुकूल है आदि आदि”

इस भावुक अश को छोड़कर १९३९ ई का अंश जब कि विचारधारा स्थिर हो गई और यह निश्चय हो गया कि यह सब साधन है।—“काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्ति विधान के लिए कविता चित्र-विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है उसी प्रकार नाद-सौष्ठव के लिए वह सगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। श्रुति-कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग वृत्ति-विधान, लय, अन्त्यानुप्रास आदि आदि नाद-सौन्दर्य साधन के लिए ही है।”
(पृ. १७९.)

१. सरस्वती, हीरक-जयंती, विशेषांक, (१९००-१९५९ ई.) पृ. ४९३.

७ अलंकार : १९०९ ई. और १९३९ ई. वाले दोनों अव्ययों की (इस शीर्षक के अन्तर्गत लिखे गए विवरण की) तुलना करें तो यूक्ल व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है। विशेष स्थप से यूक्ल की प्रतिभा स्पष्ट करने की दृष्टि से तुलना की जा रही है।

शॉपिनहावर का कहना है : 'प्रतिभा केवल कर्म-विवरण का पृष्ठ रूप है—अर्थात् मन की विषयगत प्रवृत्ति है।' ^१ मन की विषयगत प्रवृत्ति के कारण विषयवस्तु का सारभूत एवं आवश्यक अंश स्पष्ट रूप ये विचार्देता हैं। प्रतिभा के जाग्रत होने पर विचार शब्दिन विलयन का आवश्य हटाकर बाहर आती है और वस्तुओं का आन्तरिक रूप प्रकट कर देती है। प्रतिभा की दृष्टि से देखें तो १९०९ ई. में शुक्लजी ने अलंकार के सम्बन्ध में जो लिखा, वह १९३९ ई. में विशेष परिवर्तित नहीं हुआ है। यह अद्य नीचे लिखा जा रहा है :-

'अलकार हैं क्या ? सूक्ष्म वृजित्वालों ने काव्यों के लुन्दर—मुन्दर स्थल छुने और उनकी रमणीयता के कारणों की व्योज करने की थीं। वर्णन—दोनों या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो—ओ विशेषताएँ मान्यम होतीं गई, उनका वे नामकरण करते गए। जैसे, 'विकल्प' अलकार का निरूपण पहले—पहल राजानक रूप्यक ने किया। कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीय स्थल हैं, सब ढूँढ आले गए, वर्णन की जितनी मुन्दर प्रणालियाँ ही सकती हैं, सब निरूपित हो गईं अथवा जो स्थल रमणीय लगे, उनकी रमणीयता का कारण वर्णनप्रणाली ही थी ? आदि काव्य नामगम से लेकर इवर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन—प्रणालियाँ भरी पड़ी हैं, जो न निर्दिष्ट की गई हैं और न जिनके कुछ नाम रखे गए हैं।' (पृ. १८८—१८५.)

अलंकार से सबधित ये पंक्तियाँ कुछ शब्दों के ह्रेर-फेर के गाथ १९०९ ई. वाले अंश में भी हैं। अलकारों के नामकरण, वर्गीकरण एवं उनकी विशेषताओं के संबंध में विशेष विस्तार इन पंक्तियों में न होने पर भी समस्या को मूलरूप से पहचानने की दृष्टि इन पंक्तियों में है :

अलकारों का (किसी भी प्रकार के अलंकार का) अन्तर्बाहिय अवलोकन इन पंक्तियों में है । इस अवलोकन में प्रतिभा की झलक है । यह कहना कि आदि काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन-प्रणालियाँ भरी पड़ी हैं, जो न निर्दिष्ट की गई हैं और न जिनके कुछ नाम रखे गए हैं, आज भी सही है । अलकारों की पहचान सूक्ष्म दृष्टि वालों ने ही की है । काव्य के सुन्दर-सुन्दर स्थलों को उन्हींने चुना और नामकरण किया । शुक्लजी मानते हैं कि अलकार वर्णन-प्रणाली है । साथ ही उनकी यह भी मान्यता है कि अलकार साधन है । इसी तरह शुक्लजी ने यह भी लिखा कि “ अलकार लक्षणों के बनने के बहुत पहले कविता होती थी और अच्छी होती थी । अथवा यो कहना चाहिए कि जब से इन अलकारों को हठात् लप्ते का उद्योग होने लगा तब से कविता कुछ बिगड़ चली । ” १

अलकार के सबन्ध में दृष्टिकोण में (ऊपर लिखे गए) अन्तर न आने पर भी १९३९ ई का अंश १९०९ ई के अंश से दुगुने से भी अधिक है और प्रौढ़ है । प्रतिभा बिना परिष्रम के चमकती नहीं । १९०९ ई के निबंध में अलंकार सप्रदाय, रस सप्रदाय आदि का उल्लेख नहीं है । शास्त्रीय दृष्टि से शुक्लजी ने उस समय में कोई विवेचन भी नहीं किया । यह विवेचन १९३९ ई के निबंध में है । इस समय में अलकार के प्रति आचार्यों में पाई जानेवाली उद्भावनाओं पर भी शुक्लजी ने अपना मत व्यक्त किया है । उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए अलंकारों के रमणीय और चमत्कारिक रूपों पर भी इस समय में विचार किया गया है । भरत मूनि से विश्वनाथ तक सब को एक ही अनुच्छेद में समेटते हुए शुक्लजी ने लिखा है । .-

“ भरत मूनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था, पर भामह, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र्य का पहला पकड़ अलकारों को प्रधानता दी। इनमें बहुतेरे आचार्यों ने अलकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में..... रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होनेवाली सारी सामग्री के अर्थ में—किया है । पर ज्यों—ज्यो शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया त्यों—त्यों साध्य और साधनों को विविक्त करके

१ सरस्वती, हीरक-जयती, विशेषाक, (१९००-१९५९ ई)
पृ. ४९४.

काव्य के तिल्ल स्वरूप या मर्मे शरीर को अक्षय निकालने का प्रयास बढ़ता गया। हट्ट और प्रभुत के समय से ही काव्य का प्रकृत स्वरूप उभरते—उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य—दर्शन में साफ आर जा गया।” (प. १८०.)

इस विवेचन में शुक्लजी का अकाव्य विश्वनाथ की ओर है, वह स्पष्ट है। रम को शुक्लजी अलकार की तुलना में अधिक विभानता रखते हैं। वर्ष वस्तु और वर्णन—प्रणाली दोनों में वर्ष—वस्तु को प्रयास भागना चाहिए, प्रेसा शुक्लजी का आग्रह है। अलकार वर्णन—प्रणाली ही है।...“अब यह स्पष्ट हो गय कि अलकार प्रस्तुत या वर्ष-वस्तु नहीं; बस्ति वर्णन की भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ हैं, कहने के लिये डंग हैं।” (प. १८३.) वर्ष—वस्तु से संबंधित स्वभावोक्ति, उदास और अत्युक्ति पर शुक्लजी ने स्वतत्र रूप से विचार किया है। इनके सम्बन्ध में भी साफ लिखा है कि इन्हें अलंकार नहीं कहा जा सकता। इनको अलंकार कहने वाले आचार्यों का उल्लेख करके शुक्लजी ने उनका विषय किया है। अलंकारों की ओर अधिक शुक्ल के कारण कविता में चमत्कार का प्रयोग हुआ है। इस प्रवेश को शुक्लजी अच्छा नहीं मानते। १९३१ ई. वाले निबन्ध में अलंकार शीर्षक से अलग, ‘‘चमत्कारवाद’’ शीर्षक पर उन्होंने अपने विचार अस्त्र से व्यक्त किए हैं।

१४

अब तक के विवेचन में १९०९ ई. के निबन्ध का कम या और साथ ही उस कम में १९३९ ई. के परिवर्तित अद्यों पर भी तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया। इससे आचार्य शुक्ल के अविकल्प (क्रियारों की दृष्टि से बदलते व्यक्तित्व) को विश्लेषित करने में सुविधा हुई। अब नीचे १९३९ ई. के नए कम की एवं निबन्ध में पाई जानेवाली उद्भावनाओं को अस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा है।

१५

१९३९ ई. में लिखे गए निबन्ध में कविता के प्रति आस्था व्यक्त है। साथ ही कविता के प्रयोजन पर भी विचार व्यक्त किए गए हैं। कविता के अगों को अलग अलग रूप से देखने का प्रयास भी इसमें है। विशेष रूप से भाषा की विशेषताएँ; सौदर्य और अलंकार को स्वनंग रूप से लोजने का—तथ्यान्वेषण की दृष्टि से—प्रयास इस निबन्ध में है। कविता की आवश्यकता

१६

कविता : प्रयोजन और आवश्यकता

पर शुक्लजी ने बहुत जोर दिया है। इस तुलना में १९३९ ई. में इन मूलभूत (कविता सम्बन्धी) अंगों का विवेचन करते हुए भी विषय को अध्ययन का आधार, उपयुक्त प्रमाण एवं विचारों की दृढ़ता, खण्डन-मण्डन में आत्म-विश्वास और सब से बढ़कर एक सुनिश्चित क्रम प्रदान किया गया है।

इस नए क्रम में प्रथम अनुच्छेद पूर्णतः नया है और इसी अनुच्छेद में 'कविता क्या है?' का उत्तर आचार्य शुक्ल ने दिया है (इस सम्बन्ध में ऊपर लिखा गया है।) इसके बाद के शीर्षकों को (उपशीर्षकों को) स्थूल रूप में दो भागों में बाँटा जा सकता है। इन दोनों भागों को आरम्भ और उपसंहार से भिन्न मानना चाहिए। आरम्भ में मुख्य शीर्षक-'कविता क्या है?'—है और उपसंहार में 'कविता की आवश्यकता' है। इनके बीच वाले शीर्षकों को 'मनुष्यता की उच्च भूमि' तक को शेष-आगे आने वाले-उपशीर्षकों से अलग किया जा सकता है: इनको नीचे स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है:-

आरम्भ। : कविता क्या है? (निबन्ध का मुख्य शीर्षक)

- पु : सम्यता के आवरण और कविता
- र्वा : कविता और सृष्टि प्रसार
- र्ध : मार्मिक तथ्य
- . काव्य और व्यवहार
- . मनुष्यता की उच्चभूमि, (चरम रूप)

उ : भावना या कल्पना।

त : मनोररजन।

रा : सौदर्य।

र्ध : चमत्कारवाद।

: कविता की भाषा।

: अल्कार।

कविता पर अत्याचार।

उपसंहार : कविता की आवश्यकता

मनुष्यता की उच्च भूमि तक का निबन्ध शेष निबन्ध से कुछ अलग प्रतीत होता है। मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत अपनी महत्वपूर्ण स्थापनाओं के के बाद 'मनुष्यता की उच्चभूमि' तक शुक्लजी कविता के सम्बन्ध में अपने अभिमतों को व्यक्त करते जाते हैं। १९०९ ई. वाले निबन्ध में 'कार्य में प्रवृत्ति' वाला अंग यहाँ कुछ सीमा तक 'सम्यता के आवरण और कविता'

शीषक के अन्तर्गत आ गया है। जोकी सब-कविता और बृहिं प्रसार, भाष्मिक तथ्य, काव्य और अवद्वार नशा मनुष्यना की उच्च भूमि-नगरी किला यह है। मनुष्यता की उच्चभूमि तक जाने भाव की बड़ि पूर्वार्थी यात्रा है (यह आप उत्तरार्द्ध से कह होने पर भी) तो यह कहुन। यहाँ कि कविता सम्बन्धी शुक्लजी की निजी मानवनाएँ-स्थापना सूध भट्टन की इटिंग ने इसी भाग में अधिक है।

निवन्ध का उत्तरार्द्ध भाग अपेक्षाकृत बड़ा है। अन्तर्गत यह इटिंग से यह भाग अधिक महत्वपूर्ण है। याइस वाला स्थापना प्राप्त यही है। कविता के सम्बन्ध में आवार्यों, पादचार्य विचारकों वें मर्नों का उद्देश्य एवं उन विचारों से सहस्रति-असहस्रति इस भाग में ही है। वर्णन करने के लिए विषय का (उस विषय का जिसका लेण्डल करता हो) व्यापयन गम्भीर करता रहता है, उदाहरण भी देने पड़ते हैं। यह सब उत्तरार्द्ध में है।

१६

बब हम पूर्वार्थ को देखें और कविता अपने कविता मानवगी आवार्य शुक्ल की स्थापनाओं पर विचार करें। निवन्ध के अन्त महत्वपूर्ण का विवरण ऊपर प्रस्तुत किया गया है। अब उगाहो व दावरण हुए उम्मी आवार्य की स्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है।

१. सम्यता के आवरण और कविता, आवार्य में प्रत्युति के अन्तर्गत इस शीर्षक का संक्षिप्त विवेचन ऊपर किया गया है। स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्घावनाएँ ये हैं:-

सम्यता के आवरण के कारण भावों के मूल या आदिम रूप बाहृत हैं, छिप गए हैं या प्रचलित हैं। इस प्रचलितता का उद्घावन कवि कर्म का मुकुर अग है। काव्य में अर्थग्रहण से काम नहीं बदलता, विभवग्रहण अविभवत है। यह विभवग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का हो हो सकता है।

२. कविता और सूख्त-प्रसार : यह शीर्षक पूर्णः स्थार है। भावों के विषय सम्यता के आवरण से प्रचलित हो गए कहने के बाद और इसी तरह प्रचलित रूप को दूर कर भावों के आदिम रूपों का साक्षात्कार कराने में कविता को विवरण में प्रस्तुत करने के लिए कहने के बाद, अब शुक्लजी भावों के सृष्टि में प्रसार को स्पष्ट करते हैं। शुक्लजी किलते हैं। “ हृदय पर निर्य प्रभाव रखने वाले रूपों और ध्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता

बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अत प्रकृति का सामजस्य घटित करती हुई उसकी भावसत्ता के प्रसार का प्रयास करती है । ” (पृ १४५-१४६) यहाँ एक प्रकार से भावों के विषय बतलाए गए हैं । (भाव के ये विषय सम्प्रता के आवरण से मुक्त तथा आदिम रूप में हैं) शुक्लजी भावों के इन विषयों का वर्णकरण प्रस्तुत करते हैं । भावों के विषय की ओर जो दृष्टि जाती है, वह काव्यदृष्टि है । शुक्लजी लिखते हैं— “ काव्यदृष्टि कही तो १ नरक्षेत्र के भीतर रहती है २. कही मनुष्येतर बाह्य भूष्टि के और ३. कही समस्त चराचर के । ” (पृ. १४६.) शुक्लजी विस्तार के साथ उदाहरण देते हुए इन सबको समझाते हैं । इन सब को लिखते समय (काव्यनृद के बोध से) शुक्लजी भावुक हो जाते हैं और उदाहरणों की माला प्रस्तुत करते हैं । उदाहरणों की यह माला ‘ काव्य में प्रकृति चित्रण ’ से सबध रखनेवाली है । (इस विषय पर शुक्लजी ने स्वतत्र निबंध लिखा है, चिता-मणि भाग २) शुक्लजी के प्रकृति प्रेम को कमज़ोरी माना गया है । इस सबध में आलोचना-प्रत्यालोचना न करते हुए प्रसग के अनुसार ही यह विवेचन यहाँ किया जा रहा है ।

नरक्षेत्र के सबध में कहा गया है कि ..“ ससार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है । नरत्व की बाह्य प्रकृति और अन्तः प्रकृति के नाना सबधों और पारस्परिक विधानों का सकलन या उद्भावना ही काव्यों में । मुक्तक हों या प्रबध अधिक तर पाई जाती है । ” (पृ १४६.) इस सबध में और आगे लिखा है ..“ मनुष्यों के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य, साधर्म्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु-व्यापार आदि लाए जाते हैं उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए । वे नर सबधी भावों को तीक्र करने के लिए ही है । ” (पृ. १४७.) मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को आलबन मानकर लिखी गई कविता परिमाण में कम है । संभृत के प्रबध काव्यों के दीच-दीच में इस प्रकार के उदाहरण मिल जाते हैं । शुक्लजी इस प्रकार की कविता को... जहाँ मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को आलबन माना गया है—अच्छी मानते हैं । मेघदूत की इस दृष्टि से शुक्लजी ने बहुत प्रशंसा की है । इसी प्रसग में अन्तः साहचर्य-सभूत-रस का उल्लेख शुक्लजी ने किया है । इस रस के कारण सामान्य सीधे—सादे चिर-परिचित दृश्यों में माधुर्य की अनुभूति होती है ।

‘ कविता और सृष्टि प्रसार ’ प्रसग का समापन करते हुए शुक्लजी कविता संबधी अपनी मान्यता को दोहरा देते हैं (प्रथम अनुच्छेद में लिखी कविता : प्रयोजन और आवश्यकता

गई) और प्रस्तुत प्रमाण को उम मान्यता दे साव और हो है इस सम्बन्ध में
लिखा गया निम्नलिखित अंश महत्वपूर्ण है -

“ मंपूर्ण सत्ताएँ एक ही परम सत्ता और गण्डि भाव एक
ही परम भाव के अन्तर्भूत हैं । अतः शुद्धि को किया भे हमसे
ज्ञान जिस अद्वितीय भूमि पर पहुँचता है उसी भूमि तक हमारा
भावात्मक हृदय भी रस्तरन के प्रभाव से पहुँचता है । इस
प्रकार अन्त में जाकर दोनों पक्षों की विद्यों का समन्वय ही
जाता है । इन समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी तरह
हो लकड़ी । ” (पृ. १५१.)

व्यान से देखें तो यहाँ पर शुक्लजी अपनी इस मान्यता को बोझारते
हैं - “इस साधना को (कविता की) हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और
ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं” । (पृ. १८१.) शुक्लजी इस मान्यता को
मनुष्यत्व की साधना कहते हैं ।

३. मार्मिक तथ्य . निवेद का यह भाग या यह जट्ठमात्रा की
दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । कविता की साधना को भावयोग साधना और उसे
ज्ञानयोग तथा कर्मयोग के समकक्ष मानना, उसी तरह अद्वेष सूमि
में पहुँचने की बात कहना (ज्ञान की दृष्टि से), परम भाव में अन्तर्भूत
होना (भावों की दृष्टि से) ये सब विचार ऐसे हैं, जिससे यह अनुभव होता है कि
कविता का प्रयोग मनुष्यत्व है । और मनुष्यत्व की पहचान ज्ञानयोग,
भावयोग तथा कर्मयोग है । कविता की दृष्टि से यह भावयोग है । शुक्लजी
अपने निबन्ध में भावयोग का विश्लेषण करते चलते हैं । भावयोग के मार्ग में
सम्यता बाधा है (आवरण है), सम्यता में अर्थग्रहण होता है, इसे दूर करना
कठि कर्म है । कवि का यह कर्म अर्थग्रहण से नहीं विम्बग्रहण से मंभव है ।
विम्बग्रहण में भावों के विषय का प्रश्न सामने आया तो शुक्लजी ने उसका
वर्गीकरण किया और सृष्टि प्रसार के अन्तर्गत भावों के आलम्बनों का वर्गी-
करण प्रस्तुत किया । इसके बाद इस सृष्टि प्रसार के भीतर ही (भावों
के आलम्बनों के भीतर ही) तथ्यों की खोज हुई । भावयोग के तथ्यों को
शुक्लजी ने ‘मार्मिक तथ्य’ कहा है । व्यान देने का बात यह है कि कविता के
तथ्यों को पहचानने में शुक्लजी की दृष्टि वैज्ञानिक है । तथ्यों के भीतर ही तथ्य
निहित होता है और सत्य शुद्ध ज्ञान है । तथ्यों का यह विवेचन ‘ज्ञान के
सिद्धान्त’ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । वैसे शुक्लजी ‘ज्ञान का सिद्धान्त’ नहीं
लिख रहे हैं । उन का यह लेखन आनुवंशिक रूप से हो गया है । ज्ञान प्रशार

भाव प्रसार के बिना सभव नहीं। और ज्ञान प्रसार तथ्यों के बिना सभव नहीं। सभी तथ्यों का सबध ज्ञान से है उन में से (भाव के आलम्बन की दृष्टि से) रसात्मक तथ्य, मार्मिक तथ्य है। शुक्लजी ने लिखा है... 'ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेन्द्रियों उपस्थित करती है। फिर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के सचार के लिए मार्ग खोलता है, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भावप्रसार होता है।' (पृ. १५६.)

मार्मिक तथ्यों के आधारपर ही बद्ध-हृदय, मुक्त-हृदय में परिवर्तित हो सकेगा। लिखा है—' नरक्षेत्र के भीतर बद्ध रहनेवाली काव्यदृष्टि की अपेक्षा सम्पूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र में मार्मिक तथ्यों का चयन करनेवाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गम्भीर कही जायगी' (पृ. १५६)

और अन्ततः इन तथ्यों के सम्बन्ध में शुक्लजी अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इन तथ्यों की खोज-मार्मिक तथ्यों की--कविकर्म का मुख्य अग है। — 'विचारों की क्रिया से, वैज्ञानिक विवेचन और अनुसन्धान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी— उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलम्बन हो सके— कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा।' (पृ. १५७)

४. काव्य और व्यवहार : ज्ञानप्रसार के बाद भावप्रसार होता है, उसी तरह भावप्रसार के बाद ही कर्मप्रसार होगा। (संभावना यही है)। शुक्लजी मानते हैं कि कर्म में प्रवृत्त करनेवाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। व्यावहारिक दृष्टि से शुक्लजी मानते हैं कि 'कविता तो भावप्रसार द्वारा कर्मण के लिए कर्मक्षेत्र का और विस्तार कर देती है।' (पृ. १५८) अपनी इस धारणा को व्यक्त करते समय विपरीत धारणा रखनेवालों का (काव्य का व्यावहारिक उपयोग न माननेवालों का) शुक्लजी ने खण्डन किया है। एक प्रकार से शुक्लजी यहाँ भावयोग और कर्मयोग का साम्य दिखला रहे हैं। मार्मिक तथ्यों के विवेचन में ज्ञानयोग के साथ भावयोग की बात जैसे कही गई, वैसे ही यहाँ भावयोग की समानता व्यावहारिक दृष्टि से कर्मयोग के साथ दिखलाई गई है। यह दिखलाते समय शुक्लजी स्वयं आवेद में आ गए है (शुक्लजी की भावात्मिका वृत्ति जाग गई है।) और इस नाते उन्होंने अर्थपरायणों को फटकारा है।

५ मनुष्यता की उच्चभूमि सम्भवता के साथरण और कविता 'कविता और मृष्टप्रसार,' 'मार्मिक तथ्य' तथा 'काव्य और अवधार' के अन्तर्गत जो कुछ कहा गया उसका समाहार शुक्लजी ने यहाँ (मनुष्यता की उच्चभूमि के अन्तर्गत) किया है । इस समाहार में अपनी पूर्वस्थापना (प्रथम अनुच्छेद की—'कविता क्या है ?' के उत्तर की) को पुष्ट किया है । भावयोग कविता की साधना है और यह साधना मनुष्यत्व की उच्चभूमि के लिए है, ऐसी शुक्लजी की मान्यता है । इस सम्बन्ध में ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं :—

"कविता ही हृदय को प्रहृत दशा में लाती है और अगस्त के बीच कमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्चभूमि पर ले जाती है । भावयोग की सब से उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत् के साथ पूर्ण तादातम्य हो जाता है उभरी अल्प भावसत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय, विश्वहृदय हो जाता है ।" (पृ. १६१)

एक प्रकार से इन पंक्तियों के साथ शुक्लजी कविता के सम्बन्ध में सकारात्मक रूप में (Positively) जो कुछ कहना चाहते हैं, कह देते हैं । वैसे तो प्रथम अनुच्छेद में ही उन्होंने कह दिया था किन्तु बाद का विस्तार—मनुष्यता की उच्चभूमि तक का विस्तार—उस अनुच्छेद का अधिक विस्तैरण है । इस क्रम में पूर्णता है और अपनी स्थापनाओं के सम्बन्ध में शुक्लजी को पूर्ण आत्मविश्वास है ।

अपनी इन स्थापनाओं में शुक्लजीकी प्रतिभा व्यक्त हुई है । हिंदी में आचार्य शुक्ल से पहले इतनी स्पष्ट धारणा—कविता के संम्बन्ध में—किसी की नहीं दिखलाई देती ।

१७

उत्तरार्द्ध भाग में शुक्लजी को अधिक परिचय करना पड़ा है । इस भाग में 'मौलिक स्थापना' नहीं है । यों कहना चाहिए कि कविता के संबंध में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के पारम्परिक एवं प्रचलित मान्यताओं के संबंध में शुक्लजी की जो धारणाएँ (प्रतिक्रिया रूप में) रही हैं, वे यहाँ व्यक्त हुई हैं । अपना मत या अपनी विचारधारा स्थिर हो जाने पर अन्य विचारधाराओं से यदि टकराहट हो तो लंडन—मैंडन होता ही है । इस के लिए अपने जान पर विश्वास चाहिए और विरोधियों के पक्ष का ज्ञान भी अपेक्षित है । विरोधी पक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घैरु एवं सतत अध्यवसाय की

आवश्यकता है। एसा काय गभीर व्यक्तित्व के अभाव म सभव नहीं। पूर्वाधि में शुक्लजी का आचार्य पक्ष प्रबल है (मौलिक उद्भावनाओं के कारण) तो उत्तराधि मे उनका समीक्षक या आलोचक (खडन-पंडन के कारण और उदाहरणों की अधिकता के कारण) पक्ष प्रबल है। वैसे पूर्वाधि की छाया उत्तराधि पर अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। उस के अभाव में खंडन-पंडन मे इतना बल न आ पाता।

१९०९ ई. की तुलना मे इस उत्तराधि मे नए आनेवाले शीर्षक तीर्थ है। भावना या कल्पना, चमत्कारवाद और कविता पर अत्याचार। मनो-रजन, सौदर्य, कविता की भाषा एवं अलकार इन शीर्षकों पर ऊपर-तुलना करते समय-विचार हो चुका है। अत. यहाँ नए आनेवाले शीर्षकों पर ही विचार किया जा रहा है।

१. भावना या कल्पना : इस शीर्षक की आरभिक पंक्ति से ही निबध के बदले हुए स्वर का बोध हो जाता है। यहाँ से आगे शुक्लजी पूर्वाधि की मान्यताओं को बार-बार दोहराते रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है।

“ इस निबध के आरंभ मे ही हम काव्यानुशीलन को भावयोग कह आए हैं और उसे ज्ञानयोग के समक्षक बता आए हैं। ” (पृ. १६१)

इस तरह अपनी मान्यता (पूर्व मान्यता को) दोहराकर विषय की ओर आते हुए कहते हैं कि... “ उपासना भावयोग का ही एक अग है। (पृ. १६१.) धार्मिक लोग जिसे उपासना कहते हैं, साहित्य वाले उसी की ‘भावना’ कहते हैं। और आजकल के लोग उसी को कल्पना कहते हैं। शुक्लजी ने कल्पना को भावना के बजन पर स्वीकार किया है। इसीलिए अपने शीर्षक में उन्होंने भावना या कल्पना लिखा है। है। उनके अनुसार कल्पना के दो प्रकार हैं। विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित है जब कि श्रोता या पाठक में ग्राहक। कल्पना को शुक्लजी इसी रूप मे स्वीकार करते हैं। योरपीय विद्वानों ने कल्पना के संबंध में विस्तृत विवेचन किया है। शुक्लजी उनसे अपना मतभेद व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि “ यह (कल्पना) काव्य का अनिवार्य साधन है पर है साधन ही, साध्य नहीं। ” (पृ. १६२)

२ अमर्तकारवाद अलकार पर स्वतंत्र सप्त में लिखा हुए भी शुक्लजी को शुक्लजी ने अलग से स्वतंत्र लिया है। शुक्लजी अमर्तकार को अकेरंजन की सामग्री मानते हैं। अमर्तकार का लाप्त्यव्यष्टि करने हुए वे लिखते हैं:- “अमर्तकार से हमारा अभिप्रय यहीं प्रस्तुत अस्तु के अद्भुतत्व या वैलक्षण्य से नहीं जो अद्भुत-रस के आकृत्यत में होता है। अमर्तकार से हमारा तात्पर्य उकित के अमर्तकार से है जिसके अन्तर्गत वर्णविधास की विवेचना (जैसे अनुप्रास में) शब्दों की क्रीटा (जैसे छेष, यथा आदि में), बाक्य के वक्ता या वचनभंगी (जैसे काव्यार्थपति, परिसंबद्ध, विरोधाभास, असंगति इत्यादि में) तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व प्रधाना दूराकृत करना (जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि में) इत्यादि बातें जाती हैं।” (पृ. १५८) इस प्रसंग पर विस्तार से लिखने का एक कारण यह है कि अमर्तकार को कविता में महत्वपूर्ण माना जाने लगा। आजाएं शुक्लने इस सम्बन्ध में उदाहरण दिए हैं। केशवदास की रामचन्द्रिका से उदाहरण दिए गए हैं। केशव से पूर्व मंडन और ठाकुर कवि के भी उदाहरण दिए हैं। मंडन और ठाकुर की जहाँ—(अमर्तकार होने पर भी)—शुक्लजी प्रशंसा करते हैं, वही केशवदास के सम्बन्ध से देसा नहीं कहते। सूरदास की भावप्रेरित वक्त उक्तियों की शुक्लजी प्रशंसा करते हैं। इस सम्बन्ध में अपना निषेध देने हुए शुक्लजी लिखते हैं—‘उकित की वहीं तक की वचनभंगी या वक्ता के सम्बन्ध में हम से कुन्तलजी का “वकोमितः काव्यजीवितम् भावते बनता है, जहाँ तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अन्तर्भूति से सम्बन्ध हो, उसके आगे नहीं।” (पृ. १७४) शोधे को शुक्लजी ने विलापती वकोमितवादी कहा है। इस तरह हम देखते हैं कि कविता में अमर्तकार की बहुती प्रवृत्ति का शुक्लजी विरोध करते हैं।

३. कविता पर अस्याचार : ‘सन्देशता की उच्चभूमि’ में जैसे निबन्ध के पूर्वार्थ का समाहार है (मण्डन आले पक्ष का या अपनी स्थापनाओं का), वही ही इस शीर्षक के अन्तर्गत उत्तरार्थ का समाहार है। ‘भावता या कल्पना’, ‘मनोरंजन’, ‘सौदर्य’, ‘अमर्तकारवाद’, ‘कविता की भाषा’ एवं ‘अलकार’ इन सब शीर्षकों के अन्तर्गत वह कम नहीं है, जो पूर्वार्थ के शीर्षकों के अन्तर्गत है। पूर्वार्थ के शीर्षकों में शृंखलाबद्ध विवेचन है। यों कहना चाहिए कि ‘कविता क्या है?’ का उत्तर प्रथम अनुच्छेद में देखे के बाद उक्त उत्तर का विश्लेषण बौद्धिक दृष्टि से शृंखलाबद्ध रूप में पूर्वार्थ में किया गया है। उत्तरार्थ में दिए गए शीर्षकों का विवेचन स्वतंत्र है और

शुक्लजी की यह मायता है कि साध्य को ही साधन मान लेने के कारण कविता पर अत्याचार हुआ है। उत्तरार्थ के शीर्षक जरा ध्यान से देखे तो काव्य में प्रचलित सिद्धान्तों से सम्बन्धित शीर्षक हैं, ऐसा जात होगा। योरोपीय प्रभाव के कारण 'कल्पना' को कविता में बहुत महत्व दिया जा रहा था, 'मनोरंजन' शीर्षक का सम्बन्ध पंडितराज जगन्नाथ के रमणीयता से ही तथा काव्य के लक्ष्यबहुत होकर 'आनन्द' लक्ष्य मान लेने से है; इसी तरह 'सौदर्य' में बाहर भीतर का झगड़ा है तो 'चमत्कारवाद' का सम्बन्ध वक्रोक्तिवाद एवं कोचे के विलायती वक्रोक्तिवाद (अभिव्यजनावाद) से है। 'कविता की भाषा' में शुक्लजी ने मौलिक रूप से कविता की कतिपय विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तरार्थ में यह एक शीर्षक ऐसा है जिसमें मौलिक रूप से कुछ कहा गया है। यह कहना स्थायना के रूप में है, व्यष्टिन के रूप में नहीं। 'अलकार' शीर्षक में अलकार को साधन माना गया है। वैसे देखा जाय तो भाषा को भी एवं भाषा की शक्तियों या विशेषताओं को भी शुक्लजी ने साधन ही माना है। जहाँ तक काव्य के इन उपकरणों का प्रश्न है, साधन रूप में इन सब की महत्ता शुक्लजी स्वीकार करते हैं। किन्तु इन्हीं को साध्य मान लेने का वे विरोध करते हैं, साध्य मान लेने से कविता पर अत्याचार होता है। कविता अपने लक्ष्य से च्युत हो जाए, अपने प्रयोजन को भूल बैठे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, यह शुक्लजी को पसद नहीं। लिखा है—

'लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कही अपाओं की — आसमान पर चढ़ानेवाली — स्तुति कराई है, कही द्रव्य न देनेवालों की निरावार निन्दा। ऐसी तुच्छवृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं।'

(पृ. १८५).

इस तरह उत्तरार्थ में 'कविता पर अत्याचार' शीर्षक के अन्तर्गत उत्तरार्थ के शीर्षकों का समावाह है : यहाँ कोई नई बात नहीं कही गई है। शुक्लजी यहाँ कुछ आवेग में आ गये हैं और भावुकता में उन लोगों का विरोध करते हैं, जो कविता पर अत्याचार करते हैं।

समय उन्होंने कविता की आवश्यकता का अनुभव किया था उस समय के निवास लेखन में समस्या का बोध तो उनके मन में था किन्तु समस्या का हल उनके पास उस समय नहीं था। कम से कम 'कविता क्या है?' इस संबंध में उनकी स्पष्ट भारती उस समय नहीं बनी थी। निवास का पूर्वार्द्ध प्रायः १९३९ ई. का लिखा हुआ है। १९०१ ई. के निवास में उत्तरार्द्ध भाग अधिक है। उस समय के उस भाग में १९३९ ई. के पूर्वार्द्ध की छापा नहीं है। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि निवास का प्रथम अनुच्छेद मध्यसे अधिक महत्वपूर्ण है। 'कविता की आवश्यकता' का अनुभव करने पर 'कविता क्या है?' का उत्तर देते समय आचार्य शुक्ल कविता के कठोर या प्रयोजन पर ही अधिक विचार करते जान पड़ते हैं। कविता को भावना को शुक्लजी ने भावयोग कहा है और उसे ज्ञानयोग और कर्मयोग के समकक्ष माना है। इस साधना-भावयोग की साधना-के लिए मनुष्य की बाणी जो दृष्टिविद्वान् करती थाई है, वही कविता है। शुक्लजी ने यदि कविता की परिभाषा की है तो यही की है। कहने में यह सब सरल होने पर भी इसको स्पष्ट करना और अपनी इस स्थापना को बृहत् रूप में बीद्धिक आधार प्रस्तुत करना कितना कठिन है, यह तब समझ में आएगा जब हम उनके पूरे निवास को पढ़ लेते हैं और फिर उनकी इस स्थापना पर विचार करते हैं। कविता सबसी शुक्लजी की। सारी स्थापनाएँ 'भावयोग' से उद्भूत हैं, भावयोग की साधना, कविता की साधना है। अन्त में शुक्ल की इन मान्यताओं को इस रूप में लिखा जा सकता है :—

'कविता : मनुष्य की बाणी,
 'हृदय की मुकिन का साधन,
 'वही भावयोग है।
 'भावयोग = कर्मयोग = ज्ञानयोग।'

सम्भव के आवरण में बढ़ है,
 सम्प्रता का बोध अर्थप्रहृण है,
 कविता अर्थप्रहृण नहीं विषयप्रहृण करती है।

'भाव' के विषय (अ) नरक्षेत्र।
 (आ) मनुष्येतर बाह्य सृष्टि।
 और (इ) समस्त चराघर।

भाव के विषयों पर दृष्टि : काव्यदृष्टि ।

ज्ञान प्रसार (तथ्यों के कारण) भावप्रसार के मार्ग स्थोलता है । भावयोग के लिए आवश्यक तथ्य ' मार्मिक तथ्य ' हैं ।


मार्मिक तथ्यों का उद्घाटन ' कवि कर्म ' है ।

कर्म में प्रवृत्ति भावों के कारण होती है, हम ज्ञान के कारण कर्म में प्रवृत्त नहीं होते ।

ज्ञान प्रसार से भाव प्रसार हो और भावप्रसार से कर्मप्रसार हो तो इससे भावयोग से सम्बन्ध रखनेवाली कविता का प्रयोजन सिद्ध होता है । और इस आधार पर मनुष्यता की उच्चभूमि तक पहुँचा जा सकता है ।

: मनुष्यता की उच्चभूमि तक पहुँचना हृदय का मुक्त होना है और हृदय का मुक्त होना भावयोग से सम्बन्ध है और इसके लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करते आई है, वही कविता है ।

ये शुक्लजी की महत्वपूर्ण स्थापनाओं का विश्लेषण है ।



३. अभिरुचि और समीक्षा

आचार्य रामचंद्र शुक्ल समीक्षक के रूप में रुयात हैं। एक समीक्षक होने के नाते उनकी समीक्षाओं पर उनकी अभिरुचि (साहित्यिक अभिरुचि) का प्रभाव पड़ा है। इस नाते चितामणि भाग १ के निबंधों का विश्लेषण शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि के आधार पर किया जा सकता है। यह प्रयास नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

२

चितामणि भाग १, में समीक्षा के दृष्टिकोण से निकल्य लिखे हए नहीं है। तीन निबंध ऐसे मिलते हैं जिन्हें अन्य निबंधों की तुलना में अपेक्षाकृत समीक्षात्मक कहा जा सकता है। वे निबंध हैं। १. भारतीन्दु हरिश्चन्द्र २. तुलसी का भक्तिमार्ग और ३. मानस की वर्म-भूमि। ऐसा भी इसलिए कहा जा सकता है कि पहले दो निबंधों के शीर्षक रचनाकारों से सम्बन्धित हैं और

तीसरे का सम्बाध स्वयं रचना से है। इस निवधों के शीर्षक मनाधिकारों से सम्बन्धित या काव्यशास्त्र के सिद्धांतों में सम्बन्धित नहीं है। इन निवधों को छोड़कर अन्य निवधों में यहाँ-यहाँ शुक्लजी का वैयक्तिक स्वर उदाहरणों को देते हुए उभर आया है, यहाँ-यहाँ शुक्लजी को साहित्यिक अभिरुचि व्यक्त होती दिखलाई देनी है। उनकी इस विशेष साहित्यिक अभिरुचि ने उनकी समीक्षा को प्रभावित किया है। समीक्षक ने अभिरुचि में गमीकाक का वैयक्तिक आग्रह होता है और इस आग्रह के कारण ही समीक्षक की साहित्यिक मान्यताओं पर प्रकाश पड़ता है। इसी दृष्टिकोण की ध्यान में रखते हुए यह विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

३

किसी समीक्षक में साहित्यिक अभिरुचि का निर्माण समीक्षक द्वारा पठित साहित्यिक कृतियों के आधार पर होगा। जो रचनाएँ पढ़ते समय, रस-चरण करते समय, समीक्षक को भा जाती है (प्रचली भगती है), वे रचनाएँ समीक्षक के साहित्यिक स्वरूप बनाने में सहायक निद लेती हैं। यहाँ तक कि पढ़ते पढ़ते जब मन किसी एक कवि एवं एक कृति पर आकर लिप्त हो जाए और वह विशेष कवि एवं वह विशेष रचना हिसी भमीकाक की दृष्टि में आदर्श हो जाए तो समीक्षक अन्य रचनाओं का उत्तराध्ययन करते समय अपने आदर्श कवि एवं आदर्श रचना के माध्यमन ही मन उत्तर रचना की सुलभा करते रहता है और इस तरह करते समय वह साहित्यिक अभिरुचि का ध्यान अधिक रखता है। इस समय में काव्यशास्त्र के मिदांतों पर अपेक्षाकृत उत्तराध्यान कम होता है। शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि को पहचानने के लिए हमें शुक्लजी को प्रिय लगनेवाली रचनाओं और प्रिय लगनेवाले कवियों पर ध्वनिभाव करना होगा। जो तीन निर्देश चितामणि में है, उनमें से एक 'तुलसी का भक्ति-मार्ग' कवि पर है और दूसरा निवध उसी कवि को रचना 'मानस की धर्म-भूमि' पर है। इस अधार पर यह तो कहा जा सकता है कि शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि गोस्वामीजी के आधार पर निर्मित हुई है और गोस्वामीजी की रचनाओं में भी 'मानस' उनकी प्रिय पुस्तक है। कवि और कवि की रचना में शुक्लजी का ध्यान कवि के भक्ति-मार्ग और रचना की धर्म-भूमि पर रहा है। अपने साहित्यिक मूलधारमें शुक्लजी का नैतिक-बोध सदैव जाग्रत रहा है। उनके इस नैतिक-बोध ने साहित्य और काव्य (यहाँ काव्यशास्त्र) दोनों को प्रभावित किया है। इस नैतिक-बोध से मुक्त रहने वाले भी नानित्य को मात्रक अनुभूति का बोध शुक्लजी में मिलता है। शुक्लजी ने इन प्रकार के तथ्यों को 'मार्मिक तथ्य' कहा है। यहाँ शुक्लजी

की साहित्यिक अभिरुचि समझने के लिए ऐसे उदाहरणों और ऐसे स्थलों का चुनाव किया जा रहा है, जिससे शुक्लजी के नैतिक-बोध की तुलना में साहित्यिक-बोध अपेक्षाकृत अधिक झलक सके। (यह इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों प्रकार के बोध को अलग करता कठिन है।) शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि को पहचानने के लिए ऐसे ही उदाहरणों का चुनाव किया गया है। यो कहना चाहिए कि नैतिक-बोध से मुक्त रहकर जहाँ-जहाँ शुक्लजी ने साहित्य की समीक्षा साहित्य होने के नाते की है, उसी आधार पर यह विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

४

आचार्य शुक्ल ने मेघदूत के संबंध में लिखा है :-

‘मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। ‘पूर्वमेध’ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोरम झाँकी या भारतभूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी-कभी मग्न हुआ करता है वह धूम-धूम कर बक्तृता दे या न दे चन्दा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की क्रीढ़ा है, न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सब से मावृक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप-माघुरी पर सीधी-सादी प्रेम-दृष्टि।’ (पृ. १४९)

इन पंक्तियों में मेघदूत के प्रति शुक्लजी के जो विचार व्यक्त हुए हैं, उनमें शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि का बोध नैतिक-बोध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। यही नहीं, यहाँ तो साहित्यिक-बोध, नैतिक बोध से बाजी मार ले गया है। हम देखते हैं कि साहित्यिक-बोध के आधार पर नैतिक-बोध परखा जा रहा है। चन्दा इकट्ठा करना, देशवासियों की आमदनी का औसत निकालना या धूम-धूम कर बक्तृता देना, ये सब देशप्रेम के द्योतक कार्य हैं। संभवतः इस प्रकार के कार्य में लोग देशप्रेम का भाव समझें कितु शुक्लजी इस का यहाँ विरोध करते हैं। देशप्रेम शुक्लजी को मान्य है। इस प्रेम की अभिव्यक्ति और व्यवहार दोनों की ओर शुक्लजी का ध्यान गया है। मेघदूत में अभिव्यक्ति है, व्यवहार की बात वहाँ नहीं है। इस अभिव्यक्ति पर शुक्लजी रीझ गए हैं और इस अभिव्यक्ति को उन्होंने व्यवहार से अधिक महत्त्व दिया है। महत्त्व ही नहीं दिया, न्यायसंगत माना है। उनका यह झुकाव मेघदूत को साहित्यिक महत्त्व देने के नाते है।

भेषदूत के उक्त उदाहरण में यह आत हो गया कि रचना का मूल्यांकन करने में शुक्लजी की डिटिं रचना में पाए जाने वाले साहित्यिक युग्मों पर रहने पर भी अप्रत्यक्ष रूप में वे साहित्य के नैतिक-गत्त पर भी विचार करते रहते हैं। कहीं उन्होंने इस प्रकार के विचार खुलकर व्यक्त किए हैं और कहीं व्यक्त नहीं कर पाए। जहाँ उन्होंने इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त नहीं किए वहाँ भी उतका ध्यान साहित्य के नैतिक-गत्त पर है। यह बात शुक्लजी के निवन्धों को ध्यात से पढ़ने से समझ में आ जाती है। यह हीने पर भी रचनाओं के साहित्यिक मूल्य को शुक्लजी ने पहचाना है। किसी रचना की विचारधारा से मतभेद होने पर भी उस रचना के साहित्यिक मूल्यांकन में शुक्लजी ने अपनो साहित्यिक इमानदारी का परिचय दिया है। इसीलिए हम देखते हैं कि रसखान, धनामन्दु, मुमिनामन्दुन पत्त, भारतेन्दु, हरिश्चन्द्र, देव एवं अन्य अनेक कवियों की रचनाओं के उदाहरण चित्तामणि में देख समय इन कवियों की रचनाओं के साहित्यिक महत्व को शुक्लजी ने स्वीकारा है।

अब हम शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता का विश्लेषण करें। साहित्य में हृदय बद्ध न रहकर मुक्त होना नाहिए, ऐसी शुक्लजी की मान्यता है। सम्यता के आवरणों में हृदय बद्ध है। यह आवरण जितना अटिल होता जाएगा, कविता की (साहित्य की) आवश्यकता उतनी ही तीव्र होगी। साहित्य (कविता) हृदय की मुक्ति का साधन है। अतः किसी रचना को पढ़कर हृदय मुक्त हो जाता है, तो उस रचना में साहित्यिक गुण है, और मान लिया जा सकता है। किसी रचना की विचारधारा से मतभेद होने पर भी यदि रचना में हृदय को मुक्त करने का गुण है तो उस रचना के साहित्यिक महत्व को स्वीकार किया जा सकता है। विचारधाराकी बात हृदय की मुक्ति के अनन्तर उठनेवाली है। वह बाद में सोची गई बात है। शोरों का मेल हो जाए तो उत्तम मानना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने दोनों में मेल स्थापित करने का प्रयत्न किया है। इस मेल की स्थापित करने में जहाँ उन्हें कठिनाई हुई वहाँ उन्होंने अपना मतभेद भी व्यक्त किया है। मतभेद हीने पर भी रचना के साहित्यिक मूल्य को स्वीकार किया गया तो केवल इसीलिए कि रचना से गुज़रने पर हृदय मुक्त होता है।

शुक्लजी प्रकृति वर्णन पर मुख्य होते हैं। जिन रचनाओं में प्रकृति वर्णन मिलता है, उनकी (उन रचनाओं की) शुक्लजी ने प्रायः प्रशंसा की है। प्रकृति प्रेम को अत्यधिक महत्व देने का एक कारण यह भी है कि संस्कृत काव्यों में शुक्लजी ने प्रकृति वर्णन का अनन्यतम् रसास्वादन किया है। शुक्लजी का साहित्यिक-संस्कार संस्कृत काव्यों के आधार पर हुआ है। बाद से हिन्दी रचनाओं में उन्हें वह व्रात नहीं मिली तो रह-रह कर मन कचोट उठता था कि हिन्दी में वह रंग नहीं जो संस्कृत रचनाओं में है। शुक्लजी ने लिखा है :-

“प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के झण्डों में रमाने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों ने मूक्तक-रचना में तो प्राकृतिक वस्तुओं का अलग-अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में जो योड़ा-बहुत संशिलष्ट विवरण किया है वह प्रकृति की विशेष रूप-विभूति को लेकर ही।” (पृ. १५०)

इस कथन से यह स्पष्ट है कि शुक्लजी का साहित्यिक संस्कार संस्कृत की रचनाओं के आधार पर हुआ है। साथ ही प्रकृति के रमानेवाले वर्णन संस्कृत में हिन्दी की अपेक्षा अधिक मिलते हैं।

प्रकृति-प्रेम को शुक्लजी की साहित्यिक कमजोरी भी कहा जा सकता है। इस दृष्टि से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं।

- १) देते हैं घुड़की यह अर्थ ओज-मरी हरि,
जीने का हमारा अधिकार क्या न गया रह ?
पर प्रतिपेष के प्रसार बीच तेरे, नर
कीड़ामय जीवन-उपाय है हमारा यह।
दानी जो हमारे रहे, वे भी दास तेरे हुए,
उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह।
फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू,
छेंकता है जाता, हम जायें कहुँ तू ही कह।
(पृ. १५३)

- २) कवचित्प्रकाश कवचिदप्रकाश,
नभः प्रकीणमिवृद्धन् विभाति ।

क्वचित् क्वचित्पर्वतसनिदद्,
 रूपं यथा दान्तमहार्णवम् ।
 व्यामिश्रितं सर्जकदम्बपृष्ठैः-
 नंब जल पर्वत—यानुमाग्नम्
 मयूरकेकाभिरनुप्रयाते
 शैलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति ॥

(पृ. १९५.)

- ३) तरनि तनुजा तट तमाल तंचवर बहु छाए ।
 सुके कूल सो जल परमन हित मनहुँ भृदाए ॥
 किंवि मुकुर में लखत उसकि सब निज—निज सोभा ।
 के प्रनवत जल जाति परम पाषन फूल लोभा ॥
 मन आतप—वारन तीर को सिमिटि सबै छाए रहत ।
 के हरि—सेवा हित नै रहे, निरक्षि नैन मन सुख लहत ॥

(पृ. १९९.)

ये तीनों ही उदाहरण प्रकृति वार्ता में सम्बन्धित हैं। प्रथम उदाहरण के सम्बन्ध में शुक्लजी लिखते हैं—‘यदि काई बन्दर हमारे भासने से लाने—पाने की चीज उठा ले जाय और किसी पेड़ के ऊपर बैठा—बैठा हमें घुड़की दें, तो काव्यदृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि’ (पृ. १५२) यहाँ काव्यदृष्टि शब्द ध्यान देने योग्य है। इस उदाहरण को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इससे शुक्लजी ‘तथ्यों की मार्मिक व्यजना’ की प्रतीत कराना चाहते हैं। इस प्रकार की प्रतीति को उन्होंने ‘काव्यानुभूति’ कहा है। जहाँ तक काव्यानुभूति की बात (संदान्तिक रूप से) कही गई है, वह ठीक है। किन्तु उदाहरण को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर लक्षण बतलाकर बाद में उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में सहज काव्यानुभूति का बोध नहीं है। इस उदाहरण से शुक्लजी का शृष्टिकोण (प्रकृति—वर्णन के प्रति) व्यक्त होता है। अपने निबन्धों में प्रकृति—वर्णन की महिमा बतलाने के लिए गद्य रूप में (खण्ड—खण्ड ही क्यों न हों) उदाहरणों की माला शुक्लजीने प्रस्तुत की है। इस प्रकार के अशों को लिखते समय शुक्लजी अत्यधिक भावुक हो गए हैं। अपने साहित्यिक मोहू को (अपनी विशेष अस्तित्व को) वे संवरित नहीं कर सके हैं। गद्य रूप में प्रस्तुत प्रकृति—वर्णन का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :—

‘पर्वत की ऊंची चोटियों में विशालता और अव्यता का, बातविलोडित जल—प्रसार में झोभ और आकुलता का विकीर्ण—धन खण्ड मण्डित रश्मि-

रजित साध्य-दिगंचल में चमत्कारपूर्ण सौन्दर्य का, ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंधड के प्रचण्ड झोकों से उग्रता और उच्छृङ्खलता का, बिजली की कौपानेवाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलत स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है। ये सब विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएँ या कल्पनाएँ हैं। स्वार्थ-भूमि से परे पहुँचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दृष्टा मात्र होते हैं।' (पृ. १५५)।

गद्य रूप में लिखा हुआ यह भाग प्रकृति-वर्णन की काव्यमहिमा दिखलाने वाला है। शुक्लजी ने इन्हे 'विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएँ, भी कहा है। उदाहरणों के रूप में मावृकता में शुक्लजी गद्य-खण्डों में प्रकृति के जो चित्र प्रस्तुत करते हैं, वे चित्र निश्चित ही प्रथम-उदाहरण (देते हैं घुड़की कवित) से अच्छे हैं। बन्दर के इस उदाहरण में प्रयोजन और नैतिक-बोध हावी हो गया है। इसीलिए सहज काव्यानुभूति का बोध नहीं होता। जहाँ तक सिद्धान्त की बात है और शुक्लजी समझाकर लिखते हैं, वहाँ तक ठीक है। इस उदाहरण से शुक्लजी के दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिलती है। :

दूसरे और तीसरे उदाहरणों का सम्बन्ध भी प्रकृति वर्णन से है। ये दोनों ही उदाहरण 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, निबन्ध के हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वर लिखा हुआ यह निबन्ध एक प्रकार से शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि और समीक्षा को समझने के लिए उत्तम उदाहरण है। हम देखते हैं कि 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' की मुक्त कठ से प्रशंसा करते हुए भी जहाँ साहित्यिक मूल्यांकन की बात आ जाती है, वहाँ स्पष्ट रूप से लिखने में शुक्लजी क्षिणकरते नहीं। इस निबन्ध के आरम्भ में भारतेन्दु के भाषा-संस्कार एवं देशभक्ति का विवेचन शुक्लजी ने किया है। भारतेन्दु का यह कार्य निस्सदेह सराहनीय है। यों कहना चाहिए कि प्रयोजन की दृष्टि से (काव्य के प्रयोजन) भारतेन्दु के कार्य शुक्लजी की रुचि एवं आदर्श के अनुकूल थे। अतः इस सम्बन्ध में उन्होंने भारतेन्दु की सुलकर प्रशंसा की है। भारतेन्दु की प्रशंसा में शुक्लजी ने लिखा है— "वे सिद्ध-वाणी के अत्यन्त सरस हृदय कवि थे। हमसे एक और तो उनकी लेखनी में शृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मर्मस्पर्शी कवित-संवेदे निकलते थे जो उनके जीवन काल में ही इच्छा-उधर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे थे। और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरे हुए उनके लेख और कविताएँ चारों ओर देश के मगल का मत्र सा फूँकती थी।" (पृ. १९२.) भारतेन्दु की प्रशंसा में यह सब कहने के बाद शुक्लजी

साहित्यिक मूल्याकन में प्रवृत्त होने हैं । (अपनी साहित्यिक अभिरुचि का अनुसार) । कवि रूप में जब भारतेन्दुजी का मूल्याकन करने लगते हैं तो फिर उन्हे सस्कृत के कवि याद आ जाते हैं और भारतेन्दुजी के निबन्ध में अपनी साहित्यिक अभिरुचि को व्यक्त करने की दृष्टि से बाल्मीकि, भवभूति, कालिदास तथा मर्तूहरि के उदाहरण देते हैं । इन उदाहरणों को देते समय सच्चे कवि की विशेषता बतलाते जाते हैं । इस प्रकार से कवि का मूल्याकन करने के लिए (कवि रूप में) वे लिखते हैं—“अब यह देखना है कि यदि वे (भारतेन्दु) कवि थे तो किस ढंग के थे ?” (पृ. १९४) यह लिखने के बाद उन्होंने कवियों के तीन ढंग बतलाए—(१) नर-प्रकृति के वर्णन में लोन रहने-वाले, (२) बाह्य-प्रकृति के वर्णन में लोन रहने-वाले और (३) दोनों में समान रुचि रखने-वाले । शुक्लजी का विद्वास है (जिसे उचित कहा जा सकता है) कि पिछले वर्ग में (तीसरे वर्ग में) बाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि सस्कृत के प्राचीन कवि ही आते हैं । इस प्रसग में शुक्लजी सस्कृत काव्य और हिन्दी काव्य दोनों की तुलना करने लगते हैं । इस तुलना में हिन्दी काव्य को शुक्लजी ‘भाषा कवियों’ का काव्य कहते हैं । बाबू हरिश्चन्द्र को वे भाषा-कवि का अपवाद नहीं मानते । भाषा-कवि से संस्कृत कवियों की दृष्टि विस्तृत थी, ऐसी शुक्लजी की मान्यता है । शुक्लजी स्पष्ट रूप से लिखते हैं—“बात यह थी कि हिन्दी-साहित्य का उत्थान ही ऐसे समय में हुआ जब लोगों की दृष्टि बहुत कुछ संकुचित हो चुकी थी । बाल्मीकि, कालिदास, और भवभूति के आदर्श लोगों के सामने से हट चुके थे ।” (पृ. १९५) इस प्रसग में सूर तुलसी के सम्बन्ध में केवल इतना कहते हैं—“सूर और तुलसी आदि स्वच्छन्द कवियों ने हिन्दी कविता को उठाकर लड़ा ही किया था कि रीतिकाल के शूगारी कवियों ने उसके पैर छानकर उसे गँदी गँड़ियों में भटकने के लिए छोड़ दिया...” (पृ. १९७) और इसी प्रसग में अपने विषय की ओर आते हुए (भारतेन्दु के सम्बन्ध में लिखते हुए) स्पष्ट रूप से लिखते हैं—“बाबू हरिश्चन्द्र ने यथापि समयानुकूल प्रसंग छेड़ नए-नए सस्कार उत्पन्न किए पर उन्होंने भी प्रकृति पर प्रेम न दिखाया । उनका जीवन-वृत्तान्त पढ़ने से भी पता लगता है कि वे प्रकृति के उपासक न थे । उन्हें जंगल, पहाड़, नदी आदि को देखने का उतना शौक न था । वे अपने भाव ‘दस तरह के आदमियों के साथ उठ-बैठकर’ प्राप्त करते थे । इसी से मनुष्य की भीतरी-बाहरी वृत्तियाँ अंकित करने में ही वे तत्पर रहे हैं और नाटकों की ओर उन्होंने विशेष रुचि दिखाई है ।” (पृ. १९७)

अब हम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र निबन्ध से दिए गए दोनों उदाहरणों का विवेचन कर सकते हैं। एक उदाहरण ('दूसरा') वाल्मीकि का है और बाद का ('तीसरा') भारतेन्दुजी का है। वाल्मीकि के उदाहरण में 'वर्षा-वर्णन' है। इस उदाहरण को देने के बाद शुक्लजी अत्यधिक भावुक होकर कहते हैं—“उपर्युक्त वर्णन में किस सूक्ष्मता के साथ कविकुलगुरु ने ऐसे प्राकृतिक व्यापारों का निरीक्षण किया है जिनको बिना किसी अनूठी उक्ति के गिना देना ही कल्पना का परिष्कार और भाव का संचार करने के लिए काफी है ..” (आगे कालिदास और भवभूति के सम्बन्ध में लिखा गया है) (पृ. १९५) ऐसे स्थलों पर शुक्लजी तर्क न देते हुए भावुक हो जाते हैं और कहने लगते हैं—“भवभूति का तो कहना ही क्या है, देखिए” (पृ. १९५)। इस तरह यह देखा जा सकता है कि जिन कवियों पर और जिन रचनाओं पर शुक्लजी मुश्व हो जाते हैं, उस का उदाहरण देने का लोम सवरण नहीं कर सकते। और उदाहरण देते समय ‘कहना ही क्या ?’ कहने लगते हैं। ऐसे स्थलों पर (जहाँ वे बहुत मुश्व हो जाते हैं) शुक्लजी ने कलम-तोड़ भाषा का प्रयोग किया है। भारतेन्दुजी का उदाहरण देने में पुर्व शुक्लजी लिखते हैं—‘चन्द्रावली नाटिका में एक जगह यमुना-तट का वर्णन आया है, पर वह भी परम्पराभुक्त (Conventional) ही है। उसमें उपमानों और उत्प्रेक्षाओं आदि की भरमार इस बात को मूर्चित करती है कि कवि का मन प्रस्तुत प्राकृतिक वस्तुओं पर रमता नहीं था, हट-हट जाता था।’ (पृ. १९८) यह लिखने के बाद ‘तरनि तनूजा तट ..’ का उदाहरण दिया गया है।

८

ऊपर शुक्लजी के प्रकृति-प्रेम का सक्षेप में विवेचन किया गया है। चित्तामणि भाग १ के निबध्नों में अनेक स्थानों पर उनका यह प्रकृति-प्रेम व्यक्त हुआ है। अपने बौद्धिक एवं शास्त्रीय विवेचन के बीच भी स्थान निकाल कर शुक्लजी ने अपने इस प्रेम को व्यक्त किया है। शुक्लजी के इस प्रकृति-प्रेम को शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि का एक मापदण्ड कहा जा सकता है। हिंदी में प्रकृति-प्रेमी कवि जो जो मिले हैं, उनकी शुक्लजी ने खुलकर प्रशासा की है। शुक्लजी के इस प्रकृति-प्रेम का उनकी साहित्यिक अभिरुचि के संदर्भ में विवेचन में भव है। यह विवेचन शुक्लजी की साहित्यिक पात्ता को स्पष्ट करते हुए किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करने से उनकी समीक्षाएँ (कवियों और रचनाओं की) अधिक स्पष्ट होंगी। यह प्रयास नीचे किया जा रहा है।

आचार्य शुक्ल ने लिखा है—“हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले रूपों और व्यापारों को भावना के मामने लाकर कविता बाह्य-प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्तःप्रकृति का सामजस्य घटिन करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है।” (पृ १४५—१४६) इन पक्षियों को शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता कहा जा सकता है। इस मान्यता के सदमें में शुक्लजी ने कवियों की एवं उनकी रचनाओं की समीक्षाएँ लिखी हैं।

बाह्य प्रकृति एवं मनुष्य की अन्तःप्रकृति इन दोनों के सामंजस्य पर शुक्लजी विशेष बल देते हैं। उन प्रकृतियों के सामंजस्य में (कविता में) विवग्रहण होगा तो भावप्रसार होगा और भाव प्रसार होगा तो हृदय मुक्त होगा। यह तो शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता का विश्लेषण हुआ। शुक्लजी ने अपनी (इम) मान्यता के अनुरूप (उन्हें अच्छे लगनेवाले) काव्य से अनेक उदाहरण दिए हैं और उदाहरणों की समीक्षाएँ की हैं। इन उदाहरणों में यदि यह मान्यता ठीक चैठनी है, तो यह भावा जा सकता है कि साहित्यिक-अभिरूचि, साहित्यिक-मान्यता के अभ्युरूप है।

साहित्यिक-अभिरूचि की दृष्टि से देखें तो कवितामणि भाग १ में ही बाह्य-प्रकृति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कविता रूप में (अन्य कवियों के) एवं गद्य-रूप में अनुच्छेद के अनुच्छेद शुक्लजी ने स्वयं लिख डाले हैं। गद्य-रूप में दिए गए उदाहरणों में (अवतरणों में) शुक्लजा ने बाह्य-प्रकृति और मनुष्य की अन्तःप्रकृति का सामजस्य दिल्लाया है। कवियों के उदाहरण देते समय शुक्लजों को इस प्रकार के उदाहरण (उनकी साहित्यिक अभिरूचि के अनुकूल) सस्तुत कवियों में ही मिले। हिन्दी कवियों में इस प्रकार की प्रवृत्ति का अभाव उन्हे स्लता है। ऐसी स्थिति में जहाँ कही (हिंदी में) उन्हें किसी कवि में किसी रूप में व्ययों न हों, यदि प्रकृति का वर्णन मिल गया तो शुक्लजी ने उसका उल्लेख किया और तदनुरूप अपने विचार (बाह्य प्रकृति के प्रति कवियों के अपनाए गए दृष्टिकोण को) व्यक्त किए।

मनुष्य की अन्तःप्रकृति पर विचार किया जा सकता है। शुक्लजी के ही शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि मनुष्य की अन्तःप्रकृति जहाँ भी व्यक्त होगी, वहाँ हृदय मुक्त होगा। अन्तःप्रकृति के अंतर्गत मनुष्य

की सहज प्रवृत्तियाँ आती हैं। सहज प्रवृत्तियाँ आवेगों के द्वारा, अभिव्यक्त होती रहती हैं। इस अभिव्यक्ति पर सम्पत्ता का आवरण है। सम्पत्ता के कारण हृदय बढ़ जाता है। मनुष्य के 'मूल रूप' और 'मूल व्यापार' (दोनों ही शब्द शुक्लजी के ही हैं) को काव्य का आलंबन बनाना या इन रूपों पर 'और और लक्षणों की' जो स्थापनाएँ होती गई हैं, उन लक्षणों से मुक्त होकर हृदय की वृत्तियों से (मनुष्य की अन्तःप्रकृति से) सीधा सबंध रखनेवाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करना मनुष्य की अन्तःप्रकृति का उद्घाटन करना है। इस उद्घाटन में बाह्य-प्रकृति का सामजस्य हो, ऐसा शुक्लजी का आश्रय है। इस दृष्टि से शुक्लजी ने अपनी अभिव्यक्ति (साहित्यिक अभिव्यक्ति) के अनुकूल जो उदाहरण दिए हैं, उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। :-

- १) सुनि सीतापति सील सुभाउ ।
मौद न मन, तम पुलक, नयन जल सो नर खेहर साउ ।
(पृ. ४२ 'शदा-भक्ति' निबंध और पृ. २०३
'तुलसी का भक्ति-मार्ग' निबंध)
- २) मानुष हो तो वही 'रसखान' बसी संग गोकुल गाँव के ग्वारन ।
जो पसु हो तो कहा बस मेरो चरौं नित नंद के घेनु मझारन ।
पाहन हों तो वही मिरि को, जो किए-हुरि छन्न पुरदर-धारन ।
जी सग हो तो बसेरो करौं मिलि कार्लिदी कुल कट्टब के ढारन ।
(पृ. ४१ 'शदा-भक्ति' निबंध)
- ३) या निरमोहिनि रूप की रामि जऊ उर हेतु न जानति हूँ वै है ।
बारहि बार बिलोकि धरी धरी सूरति तौ पहचानति हूँ वै है ।
ठाकुर या मन की परतीति है, जो पै सनेह न भानति हूँ वै है ।
आवत है नित मेरे लिए, इतनों तो विशेष कै जानति हूँ वै है ।
(पृ. ८६ 'लोभ और प्रीति' पृ. १६९, कविता
कथा है ? निबंध)

यहाँ केवल तीन उदाहरण दिए गए हैं। इनमें से पहला और तीसरा उदाहरण दो-दो स्थलों पर आए हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि शुक्लजी को ये उदाहरण बहुत ही धिश हैं। रसखान वाला (दूसरा उदाहरण) उदाहरण भी शुक्लजी की रुचि का है।

इन उदाहरणों में मनुष्य की अन्तःप्रकृति का उद्घाटन हुआ है। प्रथम उदाहरण तुलसी की विनयपत्रिका का है। गोस्वामीजी राम के (अपने नायक-

आदर्श नायके-भगवान् राम के) शील स्वभाव पर मुग्ध हैं और तन्मय होकर मुदितावस्था में; पुलकित गात स्थिति में सथन जलपूरित हैं। गोस्वामीजी की जो स्थिति है (जिसे वे अनुभव कर रहे हैं), उस स्थिति में यदि (राम के शील स्वभाव को सुनकर या जानकर) कोई नहीं पहुँचता तो गोस्वामीजी ने कहा है, सो नर (वह मनुष्य) खेहर खाउ। एक प्रकार से ऐसे मनुष्य तुच्छ हैं। इतना कहने से बहुत समव है कि दसे कोई 'कोरा उपदेश' मान ले और इन पंक्तियों में मनुष्य की अन्त प्रकृति का दर्शन न करे। अन्त प्रकृति का दर्शन करने के लिए 'शील' शब्द का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। 'सुनि-सीताप्रति सील सुमाउ' तुलसी की इस पवित्र का 'सील' (शील) शब्द आचार्य शुक्ल ने पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त किया है (यद्यपि अर्थ वही है जो तुलसीदास को भान्य रहा है।) शुक्लजी ने 'शील दशा' की व्याख्या करते हुए लिखा है— 'किसी भाव के प्रकृतिस्थ हो जाने पर वह एक ही ओलम्बन से बढ़ नहीं रहता। समय समय पर भिन्न भिन्न ओलम्बन ग्रहण करता रहता है। यदि राग या लोभ प्रकृतिस्थ हो गया है तो वह किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के प्रति रति या प्रीति के रूप में परिमित न रहेगा, अनेक अपक्रियों या वस्तुओं को और लक्षका करेगा और अपने आश्रय को प्रेमी, रसिक अथवा 'लोभी, लपट अदि लोक से कहलाएगा... (इसी तरह अन्य भावों के लिए भी उदाहरण दिए गए हैं) ...' इन उदाहरणों के पश्चात् 'शील दशा' की परिभाषा शुक्लजी इस रूप में लिखते हैं— 'भाव के इस प्रकार (इस प्रकार को समझाने के लिए इससे पूर्व का अश लिखा गया है) प्रकृतिस्थ हो जाने की अवस्था को हम 'शील दशा' कहेंगे।'^१ अब इस शील स्वभाव का उद्घाटन तुलसी के उक्त पद मे (राम के शील स्वभाव का) हुआ है, उसका एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है:-

सिसुपत तें पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाउ।
कहुत राम-विघु-ब्रदन रिसी है सपनेहुँ लख्यो न काउ।
(विनयपत्रिका पद संख्या १००)

राम का प्रकृत स्वभाव है 'सदैव प्रसन्न रहना और औरी को प्रसन्न रखना।' राम किसी पर क्रोध नहीं करते। उनका यह भाव उनके स्वभाव का प्रकृत लक्षण है। राम का यह सहज गुण है। इसे मनुष्य की अन्तःप्रकृति कह सकते हैं। उनके इस स्वभाव की घोषणा वे लोग करते हैं जो राम के साथ

१. रस मीमांसा—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पृ. १८२—१८३.

२. —वहीं पृ. १८३.

शंशावावस्था से हैं माता, पिता, बधु, गुरु, सेवक तथा सचिव इन में से किसी से भी पूछ लिया जाय कि राम का स्वभाव कैसा है? राम को क्रोध कब आता है तो सभी एक मत होकर यह कहेंगे कि राम का चन्द्रवदन किसी भी समय क्रोध युक्त नहीं देखा गया। स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती। आलम्बन बदलने पर भी भाव की प्रकृत दशा में अन्तर नहीं आता। सब के साथ उनका व्यवहार समान है। इसी तरह राम के जीवन से अनेक प्रसंगों में राम के शील स्वभाव का वर्णन तुलसीदासजी ने उक्त पद में किया है। इस शील स्वभाव को सुनकर किसी का भी हृदय मुक्त हो सकता है, मन मुदित होगा, हृत पुलकित होगा और नयन जलपूरित होंगे। यह स्थिति हृदय के मुक्त होने की है मनुष्य की अन्तःप्रकृति का उद्घाटन करनेवाला (प्रकृत स्वभाव को दिखानेवाला) ऐसा उदाहरण अन्यत्र दुलंभ है। नायक प्रभु रामचन्द्र है, कवि कविकुलचूडामणि गोस्वामी तुलसीदास है और समीक्षक आचार्य प्रवर रामचन्द्र शुक्ल है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं।

मनुष्य की अन्तःप्रकृति का उदाहरण ऊपर देख लिया गया। रसखान-बाला दूसरा उदाहरण, (मानुष हो तो") अन्तःप्रकृति के साथ बाह्य प्रकृति के सामजस्य की दृष्टि से उत्तम उदाहरण है। इस उदाहरण में प्रकृति-वर्णन (बाह्य-प्रकृति का वर्णन) भी है। इस उदाहरण में रसखान की (कवि की) अन्तःप्रकृति का उद्घाटन हुआ है। रसखान हर स्थिति में कृष्ण (अपने प्रेमी रूप में—प्रेमलक्षणा—भवित कह सकते हैं) का साहचर्य चाहते हैं। साथ रहने में जो सुख है, वह सुख रसखान की आन्तरिक इच्छा (रसखान की अन्तःप्रकृति) का द्योतक है। वह रसखान के भाव की प्रकृत दशा है। सर्वैये की चारों पक्षितयों में प्रकृति के आलबन बदले हैं। 'मानुष, 'पशु', 'पाहन' और 'खग' ये चारों आलंबन अलग अलग हैं। आलबन बदलने पर भी भाव की प्रकृत दशा में अन्तर नहीं आता। भाव की प्रकृत दशा कृष्ण के साहचर्य से संबंध रखनेवाली है। यह प्रकृत दशा 'साहचर्य-सम्भूत रस' (शुक्लजी के शब्दों में) से संबंधित है। प्रत्येक आलम्बन की स्थिति में प्रकृति का एक अलग बातावरण सामने आता है। यह बातावरण बाह्य-प्रकृति से संबंधित है। इस बाह्य-प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्तःप्रकृति का सामंजस्य दिखलाया गया है। इस सामजस्य को शुक्लजी चाहते हैं। शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि में यह उदाहरण ठीक बैठता है और उनकी साहित्यिक मान्यता के अनुरूप है।

तीसरा उदाहरण ठाकुर का है। यह उदाहरण दो स्थानों पर 'लोभ और प्रीति' मिलंब में (वितामणि में ही) दिया गया है एवं 'कविता क्या है?"

निबंध में। यह उदाहरण मनुष्य की अन्तःप्रकृति को समझने के लिए काफी अच्छा उदाहरण है। शुक्लजी ने इस उदाहरण को देने से पूर्व इस उदाहरण में व्यक्त मनुष्य की अन्तःप्रकृति को समझाया भी है। ठाकुर के इस सबैये में 'प्रेम' की सहज अभिव्यक्ति है। सहज अभिव्यक्ति होने के नाते मनुष्य की अन्तःप्रकृति एक-दूसरे को प्रभावित करती रहती है। यह सहज अभिव्यक्ति सबैये में विवरण में है। शुक्लजी की इस सबैये के सवन्ध में टिप्पणि यह है—“इस प्रवृत्ति (सबैये में व्यक्त प्रवृत्ति) के मूल में कई चाते दिखाई पड़ती हैं। पहली बात तो तुष्टि का विधान है। लोभी या प्रेमी, सान्निध्य या सम्पर्क द्वारा तुष्ट होना चाहता है। वस्तु के सान्निध्य या सम्पर्क के लिए तो वस्तु की ओर से किसी प्रकार की स्वीकृति या प्रयत्न की अपेक्षा नहीं। पर किसी चेतन प्राणी से प्रेम करके कोई उसके सान्निध्य या सम्पर्क की आशा तब तक नहीं कर सकता जब तक उसमें भी सान्निध्य या सम्पर्क की इच्छा उत्पन्न न कर ले। दूसरी बात यह है कि प्रेम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर क्रमशः लिचते हुए मिल जाते हैं। इस अन्तर्योग के बिना प्रेम की सफलता नहीं मानी जा सकती। अतः प्रिय को अपने प्रेम की मूलना देना उसके मन को अपने मन से मिलाने के लिए न्योता देना है।” (पृ ८७) यह सारा विश्लेषण 'लोभ और प्रीति' निबंध में है, जब कि 'कविता क्या है?' निबंध में केवल यह लिखा गया है—“ठाकुर की यह अत्यात स्वाभाविक वितर्क-व्यजना देखिए” (पृ १६९) कविता में पाए जानेवाले चमत्कारवाद का विरोध करते हुए, कविता का अत्यत स्वाभाविक वितर्क व्यजना से सम्बन्धित वक्ता उन्होंने इसी सबैये के रूप में प्रस्तुत किया है।

११

मनुष्य की अन्तःप्रकृति से सम्बन्धित तीन उदाहरण ऊपर दिए गए हैं। इन में से दो उदाहरण (प्रथम दो उदाहरण) तो ऐसे हैं, जिन्हे शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता और नैतिक मान्यता दोनों दृष्टि से ठीक माना जा सकता है। तीसरा उदाहरण (ठाकुर का सबैया) साहित्यिक मान्यता के अनुकूल है। इस उदाहरण को नैतिक मान्यता में स्थान मिलेगा ही, यह नहीं कहा जा सकता। वास्तव में हमें शुक्लजी के ऐसे उदाहरणों की खोज करनी है, जो उनकी नैतिक मान्यता के दायरे में न आने पर भी साहित्यिक महत्व रखने के नाते शुक्ल की समीक्षा में स्थान पा गए हैं।

शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि को समझने के लिए हमें उनके रीतिकालीन कविता के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण को देखना चाहिए। जहाँ


तक नैतिक मान्यताओं का प्रश्न है, रीतिकालीन साहित्य शुक्लजी के नैतिक दायरे में नहीं आता। इस वृष्टिकोण को शुक्लजी ने स्पष्ट रूप से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र निबन्ध में व्यक्त कर दिया है। लिखा है—‘सूर और तुलसी आदि स्वच्छन्द्र कवियों ने हिन्दी कविता को उठाकर खड़ा किया ही था कि रीतिकाल के शुगारी कवियों ने उमके पैर छानकर उसे गम्भीर गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया। फिर क्या था, नायिकाओं के पैरों में मखमल के सुखं बिछौने गड़ने लगे ... अदि आदि।’ (पृ. १९७.) शुक्लजी के थे विचार शुक्लजी की नैतिक मान्यता को अधिक व्यक्त करते हैं, साहित्यिक मान्यता की अपेक्षाकृत इन पक्षियों में कम स्थान मिला है। साहित्यिक मान्यता की वृष्टि से यदि देखें तो शुक्लजी ने रीतिकाल के अनेक कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन किया है और उस मूल्यांकन को आज भी मान्यता प्राप्त है। कोई कृति या कोई कवि यदि समीक्षक की ‘नैतिक मान्यता’ के विपरीत हो तो उसके साहित्यिक महत्व को अस्वीकार कर देना समीक्षक के दायित्व से मुकर जाना है। हम देखते हैं कि शुक्लजी ऐसा नहीं करते। देव, विहारी, मतिराम, धनानन्द, मडन, पदाकर आदि रीतिकालीन कवियों के साहित्यिक महत्व को शुक्लजी ने स्वीकार किया है। इन मन्त्र से सम्बन्धित उदाहरण चित्तामणि भाग १, में मिल जाएँगे। इन उदाहरणों में विवेचन का आधार साहित्यिक है। विहारी के विद्योग वर्णन का विरोध, साहित्यिक विरोध है। इसी तरह केशवदास का विरोध (रामचंद्रिका के उद्भूत अंशों का विरोध) भी साहित्यिक विरोध है। इस तुलना में ठाकुर और देव का समर्थन साहित्यिक समर्थन है।

१२

और अन्तः: यह कहना है कि एक आदर्श समीक्षक के गुण आचार्य शुक्ल में मिलते हैं। आदर्श गुण यह कि विपरीत विचारधारा से सबंध रखनेवाली रचनाओं का शुक्लजी ने साहित्यिक इमानदारी से अध्ययन किया और इस अध्ययन के उपरात्त ही उन्होंने अपना साहित्यिक निषंय दिया। शुक्लजी ने किसी कवि या किसी रचना पर यों ही चलती सम्मति नहीं दी है। सच्चाई तो यह है कि जिन वर्षों का खड़न शुक्लजीने किया है, उसका अध्ययन उन्होंने अधिक इमानदारी से किया है। इस अध्ययन में शुक्लजी को कवियों एवं कवियों की रचनाओं में साहित्यिक गुण भी मिले हैं। ऐसे गुणों की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। चित्तामणि भाग १, में अनेक उदाहरण शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता के विपरीत बैठनेवाले भी हैं। इन उदाहरणों को देने में शुक्लजी का एक उद्देश यह रहा है कि कविता के नाम पर (साहित्य के नाम पर) जो कुछ चल रहा है, जो प्रवृत्तियां प्रचलित रही

हैं और साहित्यिक मान्यताओं का भ्रम व्याप्त है वह दूर हो एक समीक्षक को अपनी साहित्यिक मान्यताओं की स्थापना के लिए प्रचलित साहित्यिक मान्यताओं का कड़ा विरोध करना पड़ता है। शुक्लजी ने समीक्षक के इस धार्यत्व को पूर्ण किया है। शुक्लजी की साहित्यिक मान्यताओं का उनकी जीतिक मान्यताओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम विरोध हुआ है। आज भी एक आदर्श समीक्षक के रूप में हमारी दृष्टि शुक्ल पर आकर स्थिर हो जाती है। हम उनसे मतभेद रख सकते हैं किन्तु उनकी साहित्यिक इमानदारी को अस्वीकार नहीं कर सकते।

४. सिद्धान्त और व्यवहार



४. सिद्धान्त और व्यवहार

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 'आचार्य' कहलाते हैं। उनका आचार्यत्व काव्यशास्त्र के सम्बन्ध में उनकी सैद्धान्तिक मान्यताओं के कारण स्थात है। इस आचार्यत्व का विवेचन उनके द्वारा विवेचित सैद्धान्तिक मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। इन मान्यताओं पर उनके मौलिक चिन्तन की छाप है। साथ ही अपने चिन्तन के अनुरूप शास्त्रीय विवेचन करने के उपरान्त उस चिन्तन के व्यावहारिक वरातल पर पहुँच शास्त्र की गहरी छान-बीन भी शुक्लजी करते चलते हैं। शुक्लजी का आचार्यत्व केवल शास्त्र निर्माण तक ही सीमित नहीं है। वह शास्त्र के व्यावहारिक पहलुओं को लेकर चलने वाला भी है। काव्यशास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्त और उन सिद्धान्तों का व्यावहारिक पक्ष शुक्लजी की दृष्टि में जो रहा है, उसका विवेचन नीचे किया जा रहा है। यह विवेचन 'चिन्तामणि भग् १' के आधार पर ही किया जा

चिन्ताभणि भाग १, के निबन्धों के शीर्षकों को ध्यान से देखें तो कुछ निबन्ध काव्य शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाले दिखलाई देंगे। इस प्रकार के निबन्धों में (१) कविता क्या है?, (२) काव्य में लोक-मण्डल की साधनावस्था (३) साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्रियवाद और (४) रसात्मक बोध के विविध रूप। ये चारों ही निबन्ध इसी प्रकार के (काव्यशास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाले) प्रतीत होंगे। अन्य निबन्धों पर भी शास्त्रीय विवेचन की छाप है।

‘इन चारों निबन्धों में ‘कविता क्या है?’ का विवेचन पीछे हो चुका है। दूसरा निबन्ध ‘काव्य में लोक-मण्डल की साधनावस्था’ का सम्बन्ध काव्य के सैद्धान्तिक (शास्त्रीय) पक्ष से उतना नहीं है, जितना काव्य के नैतिक पक्ष से है। सैद्धान्तिक दृष्टि से सब से अधिक प्रौढ़ निबन्ध ‘साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्रियवाद’ है। ‘रसात्मक बोध’ के विविध रूप को इस निबन्ध के उपरान्त स्थान दिया जा सकता है।

काव्यशास्त्र सम्बन्धी इन निबन्धों को देखते समय एक बात जो स्पष्ट रूप से कही जा सकती है, वह यह है कि शुक्लजी का शास्त्रीय चिन्तन व्यावहार से सिद्धान्त की ओर बढ़नेवाला है, सिद्धान्त से व्यावहार की ओर नहीं। किसी स्थिर सिद्धान्त पर पहुँचने के लिए शुक्लजी ने दीर्घकाल तक चिन्तन किया है। व्यावहारिक रूप से जिस बात को उनका हृदय स्वीकार करता रहा है, उसके लिए बौद्धिक आधार खोजने में शुक्लजी ने लम्बे समय तक मनन और चिन्तन किया है। इसके प्रमाण में ‘कविता क्या है?’ निबन्ध, सब से अच्छा उदाहरण है। १९०९ ई. में लिखे गए इस निबन्ध और १९३९ ई. में इसी निबन्ध के सशोधित रूप को देखने से यह बात तत्काल समझ में आ जाएगी।^१ १९०९ ई. वाले निबन्ध में व्यावहारिक पक्ष अधिक है जब कि १९३९ ई. वाले उसी निबन्ध में सैद्धान्तिक पक्ष को प्रथम स्थान मिला है और बाद में व्यावहारिक पक्ष आया है। इससे पता चलता है कि दीर्घ काल तक कविता पढ़ते-पढ़ते (कविता का रसग्रहण करते-करते) शुक्लजी

१. ‘कविता . प्रयोजन और आवश्यकता’ – अध्याय में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया है।

कविता के सम्बन्ध में चिन्तन करते रहे हैं अपने चिन्तन के लिए उहोन शास्त्रीय प्रथो का आधार ग्रहण किया है। आश्चर्य इस बात का होता है कि शुक्लजी का आधार पारम्परिक रूढ़ रूप में नहीं है। रीतिकालीन शास्त्रीय परम्परा से हिन्दी को मुक्त कर हिन्दी को नया शास्त्रीय आधार शुक्लजी ने प्रदान किया है। शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि, संस्कृत काव्यों के आधार पर निर्मित हुई है; किन्तु हिन्दी काव्यों ने भी (विशेष रूप से तुलसी, सूर, जायसी आदि) उनकी अभिरुचि का भस्कार किया है। कहना यह है कि साहित्यिक अभिरुचि के संस्कार के बाद, शुक्लजी ने, शाहित्य का शास्त्रीय चिन्तन किया है। इस चिन्तन में उन्होंने साहित्य (काव्य को) को प्राथमिकता दी है और शास्त्र को इसके अनन्तर स्थान दिया है। इस तरह से शास्त्र को स्थान देने से (अपने शास्त्रीय विवेचन में) उन्होंने अपने साहित्यिक अनुभव (रसग्रहण शक्ति) का बार-बार शास्त्र से संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। इस प्रयास में शुक्लजी अन्य आचार्यों से मतभेद रखते हुए प्रतीत होते हैं। अन्य आचार्यों की मान्यताओं को अपने साहित्यिक अनुभव के आधार पर परखते जाते हैं (शास्त्र के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करते जाते हैं) और जब इस परख में कोई आचार्य उनके अनुभव से मतभेद रखता प्रतीत होता है तो शुक्लजी इस मतभेद को वेष्टक व्यक्त कर देते हैं। शास्त्रीय 'गडवड़काला' को शुक्लजी पसंद नहीं करते। वैसे देखा जाय या मच कहा जाय तो शुक्लजी, काव्य-शास्त्र का योजनाबद्ध ग्रंथ नहीं लिखते। उनका उद्देश्य ऐसा प्रतीत नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि अपने साहित्यिक अनुभव को शास्त्रीय मान्यताओं के अनुकूल परिणाम का शुक्लजी ने प्रयास किया है। इस प्रयास में अन्य आचार्यों से उनका मतभेद हो गया। इस मतभेद को व्यक्त करते समय अपने चिन्तन के अनुरूप शुक्लजी ने जगह जगह अपनी निजी सम्मतियाँ दी है। ये सम्मतियाँ काव्यशास्त्र की (संस्कृत काव्यशास्त्र की) शब्दावली को अपनाते हुए दी गई हैं। इस शब्दावली में शुक्लजी ने (अपने अनुभव-साहित्यिक-अनुभव-के अनुरूप) सखोधनात्मक प्रस्ताव रखे हैं। शब्द वे ही हैं, अर्थ उनका अपना दिया हुआ है। यो कहना चाहिए कि शास्त्रीय शब्दो-पारिभाषिक शब्दों-को वैज्ञानिक आधार देते हुए शुक्लजी अपने चिन्तन के अनुरूप शास्त्र का संस्कार करते चलते हैं। इस शास्त्रीय संस्कार में उनके मौलिक किचार युक्तिमिल गए हैं। हमको अलग करना कठिन कार्य है। इनको अलग करने से ही हम शुक्लजी के आचार्यत्व की मीमांसा ठीक अर्थों में कर सकते हैं। यद्यपि यह कार्य बहुत कठिन है किन्तु एक दो उदाहरणों के आधार पर इस कथन को प्रमाणित करने का प्रयास नीचे किया जा रहा है।

शुक्लजी का शास्त्रीय चिन्तन उनकी नैतिक मान्यताओं से प्रभावित है। समाज का शुभ और भगल उनके शास्त्र में भी अप्रत्यक्ष रूप से है। अतः शुक्लजी के शास्त्रीय विवेचन में शुक्लजी का नैतिक दृष्टिकोण अपने आप गया है। इस बात का ध्यान रखते हुए ही यह विवेचन नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

४

जैसे कि पहले ही कह किया गया है कि शास्त्रीय दृष्टि से सब से प्रीढ़ निबन्ध 'साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्रप्रवाद' निबन्ध है। इस निबन्ध में मनोविकारों से सद्विष्ट निबन्धों, 'कविता क्या है?', ''रसात्मक बोध के विविध रूप' और 'काव्य में लोकमंगल की सावनावस्था' निबन्ध का उपयोग है। दूसरे सब निबन्धों का शास्त्रीय चिन्तन इस निबन्ध में स्थान पा गया है। निबन्ध पूर्णतः मौलिक है और शुक्लजी के आचार्यत्व को समझने के लिए सब से उत्तम है। अपनी मौलिक स्थापनाओं में शुक्लजी संस्कृत काव्यशास्त्र का उपयोग करते हुए कुछ इस प्रकार से लिखते जाते हैं, जिससे पता चलता है कि शुक्लजी नई बात नहीं कह रहे हैं। जैसे शुक्लजी का यह वाक्य है—'इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है।' (पृ २२७) इस वाक्य में 'हमारे यहाँ' शब्द यह कहता है कि यह कथन नया नहीं है, भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से (हमारे काव्यशास्त्र की दृष्टि से), यह बात कही जा रही है। इस तरह से कहने पर भी कथन में शुक्लजी की मौलिकता है। इस मौलिकता को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। साधारणीकरण की परिभाषा शुक्लजी ने इस प्रकार दी है :-

'किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य-भावों आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखनेवाले नहीं होते; मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं। इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुननेवाले सहकर्तों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाओं का थोड़ा या बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलंबन हो सके तब तक उसमें रसोद्वेष्टन की पूर्ण शक्ति

नहीं जाती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणी-करण कहलाता है।' (पृ. २२७)।

इन परिभाषा में सब से पहले यह बात कही गई है कि श्रोता और पाठकों के मन में भाव होते हैं। पहला वाक्य ही श्रोता या पाठक की भावात्मक सत्ता को व्यक्त करनेवाला है। यह भावात्मक सत्ता, मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाली होती है। प्रथम वाक्य में ही शुक्लजी ने बहुत भी याति एक साथ समेट ली है। 'किसी काव्य का श्रोता या पाठक' कहकर याति श्रोता और पाठक पर केन्द्रित किया गया है। अर्थात् शुक्लजी श्रोता और पाठकों के सम्बन्ध में बल देकर धूह रहे हैं। साधारणीकरण श्रोताओं और पाठकों में होता है। अतः श्रोताओं और पाठकों के सम्बन्ध में बल देकर कहा गया है। पाठक और श्रोता किसके? उत्तर होगा 'काव्य के'। (यहाँ काव्य को समझने के लिए 'कविता क्या है' निबन्ध में शुक्लजी ने जो लिखा है, उसी शारण के अनुसार काव्य का अर्थ किया जाय) 'काव्य' के श्रोता और पाठक' के बाद 'जिन विषयों को यन में लाकर' कहा गया है। कौनसे विषय? और कौन मन में लाते हैं? उत्तर होगा, काव्य के विषय और मन में लानेवाला पाठक और श्रोता होगा। काव्य के विषय ('कविता क्या है?' निबन्ध में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया है। इन विषयों का शुक्लजी ने शर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है।) को श्रोता या पाठक मन में लाता है। 'नावारणीकरण' काव्य के विषय का होता है। इसे आलम्बन बहा गया है। यहाँ काव्य के विषय का अर्थ आलम्बन के रूप में लिया जा सकता है। संक्षेप में काव्य के विषय हुए आलम्बन तथा श्रोता और पाठक हुए आवश्य। आगे कहा गया है-'रति, करणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों का अनुभव करता है,' (भावों और मनोविकारों वाले विषयों में शुक्लजी ने इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा है।) यहाँ परल अर्थ यह है कि काव्य के विषय, काव्य के श्रोता और पाठक के यन में भाव जागाने हैं। शुक्लजी ने श्रोता और पाठक पर वाक्य में बल दिया है इसलिए वाक्य श्रोता और पाठक के दृष्टिकोण को अधिक व्यक्त करता है। इस अर्थ में यह कहा भी गया है। श्रोता और पाठक काव्य के विषयों को मन में लाकर रति आदि भावों का अनुभव करता है। एक प्रकार से साधा-रणीकरण की भूमिका शुक्लजी ने इस वाक्य-खण्ड में प्रस्तुत कर दी है। आगे शुक्लजी लिखते हैं-'वे अकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध रखनेवाले नहीं होते। मनुष्य यात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं।'

यहाँ 'वे' सर्वनाम महत्वपूर्ण है। वे क्या? उत्तर होगा, वे भाव। कौनसे भाव? उत्तर होगा, जिन्हे श्रोता या पाठक काव्य के विषयों के कारण मन में लाकर अनुभव करते हैं, वे भाव। आगे कहा गया है—'अकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध रखनेवाले नहीं होते, मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं।' इस कथन से साधारणीकरण सिद्धान्त का एक पहलू स्पष्ट हो जाता है। वे भाव, पाठक और श्रोता, काव्य के विषयों को मन में लाकर अनुभव करते हैं, उनका यह अनुभव उनका अकेले का अनुभव नहीं होता, यह अनुभव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाला होता है। एक प्रकार से यह सारा कथन साधारणीकरण की स्थिति को सैद्धान्तिक रूप से स्पष्ट करनेवाला है।

आगे का वाक्य है—'इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुनने वाले सहस्रों मनुष्य उन्होंने भावनाओं का थोड़ा या बहुत अनुभव कर सकते हैं: यहाँ, 'इसी से' की व्याख्या फिर करनेकी आवश्यकता नहीं। 'इसी से' के भीतर पहला वाक्य—बोध समेट लिया गया है। अब यह कहा गया है कि 'उक्त काव्य को' (यहाँ उक्त काव्य का अर्थ, बहुत काव्य है, जिसे श्रोता या पाठक मन में लाकर अनुभव करते हैं।) एक साथ पढ़ने या सुननेवाले (पढ़नेवाले पाठक होंगे और सुननेवाले श्रोता होंगे) सहस्रों मनुष्य (मनुष्य मात्र कह सकते हैं) उन्हीं भावों या भावनाओं को (वे भाव जिनकी व्याख्या पहले वाक्य की व्याख्या करते हुए दी गई हैं) थोड़ा या बहुत अनुभव कर सकते हैं। इस थोड़ा या बहुत की व्याख्या विस्तार से व्येक्षित है और इसी पर मतभेद की सभावना है। इस मतभेद की सभावना से शुक्लजी सजग हैं इसलिए उन्होंने 'थोड़ा या बहुत' शब्द सोच समझकर ही रखा है। सब लोग (मनुष्य मात्र) एक ही प्रकार का अनुभव करे, यह तो आदर्श स्थिति है। इस स्थिति तक पहुँचना लक्ष्य है और सैद्धान्तिक स्थापना का आदर्श है। शुक्लजी इस दृष्टि से अपनी बात कहते हैं कि काव्य का एक (कोई) पाठक या श्रोता काव्य के विषय को मन में लाकर विषयानुसार भावों को (रति आदि) इन में अनुभव करता रहता है, उसको यदि दूसरा भी मन में (दूसरा पाठक या श्रोता, उसी काव्य के भाव को) लाकर अनुभव करता है तो दोनों का अनुभव कहाँ तक मेल खाएगा? दो ही क्यों? सख्या बढ़ सकती है और मनुष्य मात्र को यह अनुभव किस रूप में हो सकता है?, यह प्रश्न है। शुक्लजी कहते हैं कि सभी श्रोताओं और पाठकों का यह अनुभव 'थोड़ा-बहुत' अनुभव, समान रूप से संभव है। अब यह अनुभव 'जिस हद तक या जिस सीमा तक सब लोगों को समान रूप से होगा, उस हद

तक या उस सीमा तक वी स्थिति को साधारणीकरण की स्थिति कहा जा सकता है।

भूमिका प्राप्त करने के बाद शुक्लजी साधारणीकरण की परिभाषा देते हुए कहते हैं 'जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलम्बन हो सके तब तक उसमें रसोद्वीधन की शक्ति नहीं आती।' इस वाक्य का विश्लेषण विस्तार की अपेक्षा रखता है। इसके आधार पर ये उपपत्तियाँ कही जा सकती हैं :-

- (१) साधारणीकरण भाव का होता है।
- (२) साधारणीकरण का अनुभव पाठक या श्रोता करते हैं।
- (३) यह अनुभव (भाव का अनुभव) काव्य के विषय के आधार पर होता है।
- (४) काव्य का विषय आलम्बन होता है।
- (५) यह आलम्बन इस रूप में लाया जाय (काव्य का विषय इस रूप में लाया जा) कि सामान्यतः, वह सब के उसी भाव का आलम्बन हो।
- (६) काव्य का विषय (आलम्बन) सामान्यतः सब के भाव का आलम्बन होगा, तो उसमें रसोद्वीधन की शक्ति होगी।

अब इस विषय में इस तरह से कहा जा सकता है :-

"इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है।" (यह शुक्लजी का वाक्य उसी तरह ही लिख दिया गया है, इस की व्याख्या की आवश्यकता नहीं।)

५

साधारणीकरण के सम्बन्ध में जो स्थापना शुक्लजी ने आरम्भ में प्रस्तुत की है; वह स्थापना सिद्धान्तिक है। सिद्धान्त रूप में यह कथन उचित प्रतीत होता है। इस स्थापना के बाद आगे का मारा निबन्ध हम पढ़ जाएँ तो कोई नई स्थापना नहीं मिलेगी। इस स्थापना के बाद शुक्लजी 'साधारणीकरण' सिद्धान्त की विशेषताएँ बतलाने हैं और पश्चात् इस सिद्धान्त के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करते हैं। उनकी यह मीमांसा सिद्धान्त की स्थापना से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। इस मीमांसा के बाद उन्होंने

इस सिद्धान्त के विपरीत व्यक्तिवैचित्रयवाद का विवेचन किया है। वास्तव में 'व्यक्तिवैचित्रयवाद' का विवेचन अपने आप में स्वतंत्र प्रतीत होने पर भी, वह साधारणीकरण की अनुपम्यित स्थितियों पर विचार करनेवाला है। इस तरह से काव्य के विषय (आलम्बन) का जो अनुभव पाठक—वृद्ध या श्रोता—वृद्ध करते रहते हैं, उसकी सभी वैकल्पिक स्थितियों (शोड़ा—बहुत अनुभव) पर शुक्लजी ने विचार किया है। इन वैकल्पिक स्थितियों—व्यक्तिवैचित्रयवाद वाली स्थितियों-का वर्गीकरण भी शुक्लजी ने प्रस्तुत किया है। इन सब वैकल्पिक स्थितियों पर विचार करते समय शुक्लजी ने आचार्यों से—भारतीय एव पाश्चात्य आचार्यों से—अपना मतभेद भी व्यक्त किया है। मतभेद का एकमात्र कारण सिद्धान्तों के व्यावहारिक पहलुओं से है। पहले साधारणीकरण की स्थितियों पर और अनन्तर व्यक्तिवैचित्रयवाद को स्थितियों पर शुक्लजी के अनुसार ही यह विवेचन नीचे किया जा रहा है।

६

साधारणीकरण और नैतिकता : शुक्लजी ने इस सिद्धान्त के माध्य नैतिकता को कुछ इस रूप में जोड़ दिया है कि उसे अलग नहीं किया सकता। इस सम्बन्ध में उनकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :—

“ यह सिद्धान्त (साधारणीकरण वाला सिद्धान्त) यह घोषित करता है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक-हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विवित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक-हृदय में लोन होने की दशा का नाम रस-दशा है। ” (पृ. २२७)

यह आदर्श स्थिति है। ‘लोक-हृदय’ शुक्लजी का अपना शब्द है। साधारणीकरण के सिद्धान्त के अनुरूप (मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता को प्रभावित करनेवाला, काव्य—काव्य का विषय सामान्यतः सभी के भावों का आलम्बन।) जो काव्य लिखा जायगा, उस काव्य में मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को पहचानने की शक्ति होगी। इस आधार पर शुक्लजी ने सच्चे कवि का लक्षण भी बतलाया है। सच्चा कवि वही है, जिसे ‘लोक-हृदय’ की पहचान होगी। और आगे शुक्लजी ने ‘रस-दशा’ को भी स्पष्ट किया है। ‘लोक-हृदय’ में लोन होने की दशा का नाम ‘रस दशा’ है। एक साथ इस सिद्धान्त (साधारणीकरण) के आधार पर शुक्लजी ने इतने निष्कर्ष निकाले हैं। एक प्रकार से इन निष्कर्षों में सिद्धान्त के साथ नैतिक पक्ष जुड़ गया है। ‘लोक-हृदय’ की मीमांसा नैतिक-पक्ष के विवेचन के अभाव में नहीं की जा

सकती, अत्यार्थ शुक्ल स्वयं इस सिद्धान्त के व्यवहारिक वहूँओं पर विचार करते समय 'सोक-हृष्ण' की भीमांसा करते चलते हैं।

३

प्रथम अनुच्छेद में सिद्धान्त की स्थापना और अनन्तर उसके साथ नैतिक पक्ष जोड़ने के बाद शुक्लजी सिद्धान्त के व्यवहार पर विचार करने लगते हैं : उदाहरण दिया गया है : कुरुप और दुश्मोस्त स्त्री पर किसी पात्र का (किसी काव्य में वर्णित) प्रेम हो सकता है, किन्तु ऐसी स्त्री का वर्णन करने से, अपर रस का आलम्बन लाला नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति को शुक्लजी ने एक धन्य नाम दिया है। इस वर्णन को शुक्लजी 'भाव-प्रदर्शक' कहते हैं। कारण यह है कि इस प्रकार का वर्णन (काव्य का विषय, आलम्बन) मनव्य-भाव के भाव का आलम्बन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में विभाव-पक्ष कमज़ोर रहेगा। एक प्रकार में 'भाव-प्रदर्शक' साक्षारणीकरण की एक अपवाद मिथ्यि है। यह स्थिति सिद्धान्त का व्यवहार से मेल न खानेवाली स्थिति है।

इसके बाद सामान्य और विशेष (काव्य के विषय का), का अन्तर स्पष्ट किया गया है। शुक्लजी के अनुमार काव्य का विषय सदा 'विशेष' होता, वह सामान्य नहीं हो सकता। किन्तु उस 'विशेष' विषय में जिस धर्म की प्रतिष्ठा होगी, वह सामान्य की होगी। इस, विशेष और सामान्य का अन्तर स्पष्ट करने तुष्ट शुक्लजी अर्थग्रहण और विम्बग्रहण का अन्तर स्पष्ट करने लगते हैं (यह सब 'कविता क्या है?' निबन्ध में कह दिया गया है।) यहाँ उनका विशेष बल उस बात पर है कि विम्बग्रहण (जो कि काव्य का एक लक्षण है।) जब भी होगा 'विशेष' का ही होगा। इस प्रसग को विस्तार से लिखते हुए अन्त में शुक्लजी ने अपना निर्णय इस प्रकार दिया है :—

"इन्यना में (पाठक या श्रोता के) मूर्ति तो विशेष ही की होगे, पर वह मूर्ति ऐसी होगी, जो प्रस्तुत भाव का आलम्बन हो सके, जो उसी भाव को पाठक या श्रोता के मन में भी जगाए, जिसकी आजना आथवा अथवा कवि करता है। इससे सिद्ध हुआ कि साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है।"

(पृ. २३०)

प्रथम अनुच्छेद में साधारणीकरण सिद्धान्त की जो परिभाषा दी गई है उसमे शुक्लजी ने 'हमारे यहाँ' क्षब्द कहा था। किन्तु यहाँ ऊपर साधारणीकरण के व्यावहारिक पहलू पर विचार करते हुए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। विशेष और सामान्य का अन्तर और इस अन्तर के अनुसार पाठक या श्रोता के मन में व्यक्ति-विशेष की मूर्ति कल्पना में रहने पर भी सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा होना और यह सामान्य धर्म जिसकी व्यंजना आश्रय अथवा कवि करता है और जिसके साक्षात्कार से श्रोताओं और पाठकों के मन में एक ही भाव का थोड़ा-बहुत उदय होता रहता है। यह सारा कथन शुक्लजी का अपना कथन है। शुक्लजी ने जिस बात पर विशेष बल दिया है, वह है— 'इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है।' (पृ. २३०) इस कथन की व्याख्या यों भी की जा सकती है कि आलम्बन तो विशेष रहता है और इस आलम्बनत्व धर्म (आलम्बन विशेष के सामान्य धर्म) को सामान्य कहा जा सकता है। साधारणीकरण सामान्य धर्म का होता है। यह सामान्य धर्म आलम्बन में प्रतिष्ठित रहता है।

८

शुक्लजी इस सिद्धान्त में एक और संशोधन अपनी ओर से प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने से पूर्व पुराने आचार्यों का उल्लेख करते हैं। इस सम्बन्ध में पुराने आचार्योंने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन जिस रूप में किया उस सम्बन्ध में शुक्लजी का मत है कि रम की अवस्थाओं पर आचार्योंने पूर्णतः (व्यावहारिक दृष्टि से) विचार नहीं किया है। शुक्लजी लिखते हैं—'

‘साधारणीकरण के प्रतिपादन में पुराने आचार्योंने श्रोता (या पाठक) और आश्रय (भाव-व्यंजना करनेवाला यात्र) के तादात्म्य की अवस्था का ही विचार किया है जिसमें आश्रय किसी काव्य या नाटक के पात्र के रूप में आलबन-रूप किसी दूसरे पात्र के प्रति किसी भाव की व्यंजना करता है और श्रोता (या पाठक) उसी भाव का रस रूप में अनुभव करता है।’ (पृ. २३०-२३१)

यहाँ पुराने आचार्यों का तात्पर्य भट्टनायक और अभिनवगुप्त से लिया जा सकता है। इन आचार्यों ने श्रोता और आश्रय के तादात्म्य का ही विचार किया है। शुक्लजी ने इन आचार्यों की तादात्म्यवाली स्थिति को स्वीकार किया है; किन्तु इसे स्वीकार करते हुए किस किस में तादात्म्य और किस बात का तादात्म्य, इसे, इन आचार्यों की तुलना में अधिक स्पष्ट किया है।

पहले ही अनुच्छद में उन्होंने इस सिद्धान्त (साधारणीकरण) को स्पष्ट करते समय 'हमारे यहाँ' शब्द कहा है। इससे तात्पर्य पुराने आचार्यों से ही है। इस स्थापना के समय में 'थोड़ा बहुत' शब्द शुक्लजी ने रखा है। यह उनका अपना संशोधन है। शुक्लजी की मौलिकता इस बात में है कि आचार्यों की तरह वे आश्रय (काव्य के आश्रय) और श्रोता के (या पाठक के) तादात्म्य को इस ढंग से आरंभ में स्पष्ट करते हैं जिससे आचार्यों की बात रख ली गई है और अर्थ शुक्लजी का अपना ही गया है। शुक्लजी के संशोधनों को क्रमशः नीचे स्पष्ट किया जा रहा है।

शुक्लजी ने आरंभ में 'काव्य के विषय' शब्द का प्रयोग किया है। (जिन विषयों को मन में लाकर)। इस प्रयोग से वे आश्रय और आलम्बन दोनों का (काव्य के आश्रय और काव्य का आलंबन) एक साथ अर्थ लेते हैं। शुक्लजी के 'आलंबन' का अर्थ अधिक व्यापक है। वह 'काव्य के विषय' के अर्थ का दोस्तक है। काव्य के भीतर पाए जानेवाले पात्रों में आश्रय और आलम्बन को अलग करना और फिर आश्रय के साथ श्रोता या पाठक का तादात्म्य दिखाना, इस प्रकार का विश्लेषण पुराने आचार्यों का (भट्टनायक एवं अभिनवगुप्त) है। शुक्लजी ने 'काव्य का विषय' के अन्तर्गत काव्य के आश्रय एवं आलम्बन का समावृत्त कर दिया है। शुक्लजी 'काव्य के विषय' की श्रोता या पाठक का आलम्बन कहते हैं। साधारणीकरण सिद्धात में यह संशोधन शुक्लजी का अपना है।

शुक्लजी का दूसरा संशोधन (पुराने आचार्यों से मेल खाता हुआ होने पर भी) 'थोड़ा बहुत' अनुभव है। शुक्लजी 'तादात्म्य' शब्द का प्रयोग पुराने आचार्यों के संदर्भ में करते हैं। अपनी ओर से सतर्क रहते हुए वे विश्वास के साथ 'तादात्म्य' शब्द का प्रयोग नहीं करते। क्यों कि शुक्लजी जानते हैं कि 'तादात्म्य' को व्यावहारिक रूप में समझाना कठिन है। शुक्लजी ने आचार्यों की भावना (तादात्म्य की भावना को) को स्वीकार किया है। इस को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं कि 'काव्य को एक साथ पढ़नेवाले (पाठक) या सुननेवाले सहबों मनूष्य (श्रोता) उन्हों भावों (काव्य के विषय से सम्बन्धित) या भावनाओं कर थोड़ा या बहुत अनुभव कर सकते हैं।' (पृ. २२७) इस 'थोड़ा बहुत' की संभावना के बाद शुक्लजी 'सामान्यतः सब के उसी भाव का आलम्बन' कहते हैं। 'थोड़ा बहुत' के बाद की यह दूसरी स्थिति है और इस स्थिति में भी 'सामान्यतः' शब्द का प्रयोग है। शुक्लजी के कथन में संभावना अद्यत हुई है। जैसे 'अनुभव कर सकते हैं' एवं 'उसी भाव का आलम्बन हो सके' ये दोनों ही कथन संभावना के हैं। सभी

स्थितियाँ हींगी तो रसोदबोधन होगा और रसोदबोधन होगा तो साधारणीकरण होगा। शुक्लजी के इस सभावना से युक्त कथन के कारण सिद्धान्त में व्यवहार का मार्ग खुला हुआ है। एक प्रकार में शुक्लजी का कथन लचीला है। भरत मूलि का यह कथन 'विभावानुभाव व्यभिचारि सप्तोगाद्वसनिष्पत्ति' जैसे लचीला है, उसी तरह शुक्लजी के कथन में भी लचीलापन है।

शुक्लजी के 'सामान्यतः' शब्द का विवेषण किया जा सकता है। अहं 'सामान्यतः सब का' अर्थ मनुष्य मात्र का है। मनुष्य मात्र भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे शुक्लजी ने 'भावात्मक सत्ता' कहा है। यह भावात्मक सत्ता 'सामान्य' है। काव्य का विषय (आलम्बन) विशेष होगा किन्तु उसमें प्रतिष्ठित भावना 'सामान्य' होगी। इस तरह शुक्लजी ने सिद्धान्त को वैज्ञानिक रूप दिया है।

और सब से महत्वपूर्ण मौलिक स्थापना 'आलम्बनत्व धर्म' की है, क्योंकि साधारणीकरण सिद्धान्त का यह निष्कर्ष है। आलम्बन विशेष होने पर भी उस 'आलम्बन' का धर्म सामान्य होगा और यह सामान्य धर्म मनुष्य मात्र को प्रभावित करनेवाला हीगा।

इस तरह हम देखते हैं कि आचार्यों की मान्यताओं को स्वीकार करते हुए भी शुक्लजी ने अपनी और से संशोधन किया है और यह संशोधन शुक्लजी की मौलिक स्थापनाओं को व्यक्त करनेवाला है,

यही नहीं, इस सिद्धान्त को शुक्लजी ने काव्य की कसीटी (परखने का मापदण्ड) के रूप में स्वीकार किया है। जहाँ-जहाँ, यह मान्य स्थितियाँ होंगी, वहाँ-वहाँ साधारणीकरण होगा। और जहाँ, साधारणीकरण सिद्धान्त से मेल खानेवाला काव्य होगा, वहाँ वह काव्य, उत्तम होगा और उसका रचयिता सच्चा कवि होगा।

पुराने आचार्यों के सिद्धान्त में संशोधित प्रस्ताव के बाद अपने कथन के अनुरूप व्यावहारिक स्थितियों पर शुक्लजी विचार करते हैं। पुराने 'आचार्यों' ने रस की एक नीची अवस्था का वर्णन नहीं किया है, ऐसा शुक्लजी का कहना है। काव्य का विषय (आलम्बन) श्रोता या पाठक में ऐसे भाव भी जगा सकता है, जिसमें श्रोता या पाठक तादात्म्य की स्थिति ('सामान्यतः उसी भाव को जगाएं जो औरों में जगा सकें') से हटकर स्वतंत्र रूप से शोल-दृष्टा या प्रकृति-दृष्टा होने के अन्य प्रभाव ग्रहण करेगा।

शुक्लजी द्से भी रसात्मक मानते हैं किन्तु इन स्थिति को उन्होंने मध्यम कोटि की रसात्मक स्थिति माना है।

९

शुक्लजी ने साधारणीकरण मिखानत के साथ नेतिक पक्ष जोड़ दिया है। इस सम्बन्ध में 'शील' पर विशेष स्पष्ट से विचार किया गया है। साधारणीकरण की स्थिति से तादात्म्य जिस आधार पर होता है, वह शील के आधार पर होता है। पाठक या श्रोता यदि तादात्म्य का (आलम्बनत्व धर्म के तादात्म्य का) अनुभव न करे और शील-दृष्टा मात्र रहे, इस स्थिति में भी तादात्म्य और तदनुभाव साधारणीकरण होता है। यह तादात्म्य कवि के अव्यक्त भाव के साथ होता, ऐसा शुक्लजी का कहना है। यदि श्रोता या पाठक काव्य में वर्णित पाठों के शील से तादात्म्य स्थापित नहीं करता, तो निश्चित ही वह शील-वैचित्र्य का अनुभव करेगा। इस अनुभव की स्थिति में भाव अपरितुष्ट रह जायगा। इस प्रकार शुक्लजी साधारणीकरण की स्थितियों पर विचार करते समय साधारणीकरण का सापदण्ड, शील को मानते हैं। शील का तादात्म्य होता है तो साधारणीकरण होता है और तादात्म्य नहीं होता तो साधारणीकरण नहीं होता। यही पर आचार्यों से (पुराने आचार्यों से) सहमत होने हुए कहा गया है कि आश्रय के साथ तादात्म्य-दशा की अनुभूति रस की अनुभूति है। इस रस की अनुभूति को शील विशेष के परिज्ञान से उत्पन्न भाव का अनुभूति से अलग माना गया है। रस बाली स्थिति में श्रोता या पाठक अपनी सत्ता का कुछ अधियों के लिए विसर्जन करता है, जब कि शील विशेष के परिज्ञान से उत्पन्न भाव की अनुभूति के समय पाठक या श्रोता अपनी सत्ता अलग से संभाले रहता है। शुक्लजी यह भी मानते हैं कि रसमग्न स्थिति के आग-पीछे (उदास- वृत्तिवाले आश्रय की स्थिति में) पाठक या श्रोता आश्रय की भावना कर सकता है। ऐसी स्थिति में आश्रय के शील-सौन्दर्य की भावना कर सकता है। शुक्लजी यह भी मानते हैं कि रसमग्न स्थिति में आश्रय के प्रति (जो अब आलम्बनत्व है) पाठक या श्रोता के मन में अदा, भवित या प्रीति टिकी रहेगी।

संक्षेप में यों कह सकते हैं कि शुक्लजी आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, इस मान्यता पर दृढ़ है। उस मान्यता के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करते समय आश्रय के साथ तादात्म्य (जिसे आचार्यों ने रस कहा है) की स्थिति को भी साधारणीकरण मानते हैं और यदि आश्रय स्वयं पाठक

या श्रोता का आलम्बन हो, तो इसे भी साधारणीकरण की स्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। इन दोनों स्थितियों को उन्होंने दो भिन्न कोटि की रसानु-भूतियाँ मानी हैं। पुराने आचार्यों ने इन दोनों कोटियों का इतना स्पष्ट अन्तर नहीं बतलाया। उनके अनुसार आश्रय के साथ तादात्म्य वाली स्थिति (ऐसे की स्थिति) ही साधारणीकरण की स्थिति (जिसमें पाठक अपनी सत्ता कुछ क्षणों के लिए विसर्जित कर दे) ही सकती है। जब कि शूक्लजी पाठक की स्वतंत्र सत्ता को आश्रय से अलग रखनेवाली स्थिति को, जिसमें आश्रय स्वयं पाठक या श्रोता का आलम्बन हो जाता है, भी स्वीकार करते हैं। यहाँ साधारणीकरण कवि के अव्यक्त भाव का होता है। इससे स्पष्ट हुआ कि शूक्लजी के आलम्बन (काव्य के विषय) के अन्तर्गत आश्रय एवं आलम्बन दोनों का समाहार हो गया है।

१०

निबन्ध के उत्तर पक्ष में 'व्यक्तिवैचित्र्यवाद' का विवेचन किया गया है। निबन्ध का यह भाग साधारणीकरण की वैकल्पिक स्थितियों को बतलानेवाला है। इस नामकरण का अधार 'शील-वैचित्र्य' है। जहाँ तादात्म्य और साधारणीकरण नहीं होता, वहाँ वैचित्र्य की दिक्षिणी होती है। शूक्लजी ने इस प्रवृत्ति को योरप की प्रवृत्ति माना है। साधारणीकरण की प्रवृत्ति को वे हमारे यहाँ की प्रवृत्ति मानते हैं। वैचित्र्यवाद की तीन वैकल्पिक स्थितियाँ बतलाई गई हैं। वे हैं— (१) आश्चर्यपूर्ण प्रसादन (२) आश्चर्यपूर्ण अवसादन और (३) कुतुहल मात्र। इन तीनों ही स्थितियों में पाठक या श्रोता शील-वैचित्र्य (इसे अन्तःप्रकृति वैचित्र्य भी कहा गया है।) का अनुभव करेंगे। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति से शूक्लजी सहमत नहीं है।

शील, किसी भाव के प्रकृतिस्थ हो जाने की दृष्टा का नाम है। काव्य के विषय में जिस भाव की प्रतिष्ठा होगी (कव्य में वर्णित पात्रों का जो शील होगा) यदि वह भाव सामान्यतः सब के भावों का आलम्बन होता है तो साधारणीकरण होगा। शील-वैचित्र्य में सामान्यतः काव्य में वर्णित पात्रों में प्रतिष्ठित भाव (शील) सब के भावों का आलम्बन नहीं होगा। यह स्थिति, वैचित्र्य की स्थिति है। साम्बिकी चरम सीमा की स्थितियों का चित्रण आश्चर्यपूर्ण प्रसादन होगा और तामसिकी चरम सीमा का चित्रण आश्चर्य-पूर्ण अवसादन होगा। भरत, पहली स्थिति का उदाहरण है और मिहिरगुण दूसरी स्थिति का उदाहरण है। ऐसी अद्वितीय प्रकृति जो किसी वर्ग-

विश्व में न आए, जिसे 'नूतन सूर्खिं' ही कहा जा सकता है, इसके साक्षा-
त्कार से कुतुहल मात्र होगा। इस सम्बन्ध में डटन महोदय का शुक्लजी खण्डन
करते हैं। डटन के मन में शुक्लजी सहमत नहीं है। डटन ने निरपेक्ष
दृष्टि को काव्य की उच्चतम दृष्टि ठहराया है। इसके लिए शोकसंविग्रह के
हैमलेट का उदाहरण दिया है। शुक्लजी इस उदाहरण की स्थितियों पर विचार
करते हैं और कहते हैं कि यह उदाहरण वर्ण-विशेष के भोतर आ जाता है।
जैसे शुक्लजी यह मानते हैं कि काव्य का विषय सदा 'विशेष' होगा उसी तरह
यह भी मानते हैं कि गात्रों का चरित्र-विवरण सापेक्ष होगा, नर-प्रकृति
के अनुकूल होंगा। 'नूतन सूर्खिं निर्माणवाली कल्पना' का शुक्लजी विरोध
करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति को वे योरप की प्रवृत्ति मानते हैं और कहते
हैं कि यह प्रवृत्ति अब भारत में भी चल रही है। अल्लर है तो इस बातें में कि
भारत में इस प्रवृत्ति को साध्योय आधार नहीं मिला है। भारत में इसका
प्रचलन अथवाद के रूप में ही है। इस सदर्शन से शुक्लजी 'व्यक्तिवाद' का
उल्लेख करते हैं। यह 'व्यक्तिवाद' पुनरुत्थान काल (योरप में) का मथकर
निकाला हुआ रहता है। विश्वित ही शुक्लजी इससे सहमत नहीं है।
व्यक्तिवाद के बाद 'वाद' का (किसी भी वाद का) खण्डन करते हुए शुक्लजी
लिखते हैं कि 'किसी भी वाद का प्रचार शोरे-धोरे उसको सार-सत्ता को ही
चर जाता है।' (पृ. २३३)। इस तरह से शुक्लजी शील-वैचित्र्य की
स्थितियों से उत्थन परिणामों को साहृदय के लिए उपादेय नहीं मानते।

११

साधारणीकरण वीर उसके बाद व्यक्तिवैचित्र्यवाद की स्थितियों पर
विचार करने के बाद 'भिन्नता' और 'अभिन्नता' की चर्चा करते हैं। शुक्लजी
मानते हैं कि लोक के बीच यहाँ बहुन-सी भिन्नताएँ हैं, वहाँ अभिन्नताएँ भी
पाई जाती हैं। इस अभिन्नता का सम्बन्ध मनुष्य की अन्तर्भूमियों से है। इन के
आधार पर नर-समस्ति रागात्मक रूप में आबढ़ होती है। इसको शुक्लजी
'लोक-हृदय' के नाम से अभिहित करते हैं। शुक्लजी का 'लोक-हृदय' ग्रन्थ
साधारणीकरण सिद्धान्त का आधार है। शुक्लजी लिखते हैं— 'लोक-हृदय की
यह सामाज्य अन्तर्भूमि (भिन्नता में अभिन्नता) परखकर हमारे यहाँ
'साधारणीकरण' लिखात की प्रतिष्ठा की रई है।' (पृ. २३७) शील-
वैचित्र्य की स्थितियों में भिन्नता में अभिन्नता का दर्शन नहीं होगा। ऐसी
स्थिति में काल्पनिक हृदय (लोक-हृदय से मेल न खानेवाला हृदय) निर्मित
किए जाएँगे। शुक्लजी इसे 'लकड़ी-हृदय' कहते हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा

जा सकता है कि जहाँ 'लोक-हृदय' की पहचान होगी, वहाँ साधारणीकरण होगा और जहाँ 'नकली-हृदय' दिखलाए जाएँगे वहाँ व्यक्तित्वेचित्तवाद होगा। सारांश रूप में कहा गया है - 'सारांश यह कि हमारी बाणी भाव-भेद के बीच 'भेदों में अभेद' को ऊपर करती रही है और उनकी (योरपीय) बाणी शूटे-सब्बे विलक्षण भेद लड़े करके लोगों को चमत्कृत करने में लगी।' (पृ. २३८-२३९)।

और अन्त में योरपीय बादों को साहित्यिक फ़ैशन के रूप में बतलाते हुए, इस प्रकार की प्रवृत्तियों को अच्छा नहीं बतलाया गया है। शुक्लजी 'कल्पना' और 'व्यक्तित्व' की प्रवृत्तियों (साधारणीकरण से बेल न खाने के कारण) अच्छा नहीं मानते। इस सम्बन्ध में कोचे के 'अभिव्यञ्जनादाद' का खण्डन शुक्लजी ने किया है। निरपेक्षता को दूर तक घमीटने पर भी भावों की सत्ता अभिव्यञ्जना या उक्ति के अनभिव्यक्त पूर्व रूप में कोचे को स्वीकार करनी पड़ी है। इस सारे विवेचन के बाद हिन्दी समालोचना को बतौमान प्रवृत्तियों (शुक्लजी के समय की) को पाश्चात्य प्रभाव से युक्त दिखलाया गया। शुक्लजी चाहते हैं कि हिन्दी समालोचना इन प्रवृत्तियों से बचे। कोरी नवीनता के बल भरे हुए आन्दोलनों का इतिहास छोड़ जाय, नो छोड़ जाय, इससे कविता का स्वरूप नहीं बद्दा हो सकता। अन्त में योरप में बादों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वहाँ अब (शुक्लजी के समय में) बादों से मुक्त होकर लोग साफ हवा में आना चाह रहे हैं। बादी समझना (किसी बाद से युक्त माना जाना) अच्छा नहीं समझा जाता। इस तरह यह निबन्ध समाप्त हो जाता है।

१२

ऊपर 'साधारणीकरण और व्यक्तित्वेचित्तवाद' निबन्ध का सार प्रस्तुत करते हुए शुक्लजी के अपने संशोधनों और मौलिक स्थापनाओं की स्पष्ट करने का (जैसे शुक्लजी ने समझा है) प्रयास किया है। यह बात स्पष्ट होती है कि सिद्धान्त और व्यवहार दोनों पर शुक्लजी का ध्यान रहा है। इसमें भी व्यवहार पर शुक्लजी का ध्यान अधिक रहा है। इसी आधार पर शुक्लजी सिद्धान्त की वैकल्पिक स्थितियों पर विचार करते हैं। व्यवहारिकता की क्षमीटी, 'लोक-हृदय' की पहचान है। इस पहचान के आधार पर ही 'साधारणीकरण' और 'व्यक्तित्वेचित्तवाद' का भेद दिखलाया गया है। शुक्लजी के सिद्धान्तों में 'लोक-हृदय' की पैठ है। यह पैठ शुक्लजी को प्राचीन आचार्यों से अलग कर देती है। अतः 'लोक-हृदय' शब्द को शुक्लजी

का शास्त्रीय गद्द कहा जा सकता है। 'काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था' शुक्लजी ने एक स्वतंत्र निबन्ध लिखा है, यह निबन्ध विशेष रूप से 'लोक-हृदय' के सम्बन्ध में शुक्लजी की मान्यता को स्पष्ट करनेवाला है। इस आधार पर शुक्लजी ने काव्य को दो विभागों में बांटा भी है। (१) आनन्द की साधनावस्था या प्रथल-पथ को लेकर चलनेवाले काव्य और (२) आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोग वक्त को लेकर चलनेवाले काव्य। इस आधार पर 'लोक-मंगल' और 'लोक-रंजक' स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। 'आनन्द की साधनावस्था' का काव्य 'लोक-मंगल' से सम्बन्ध रखनेवाला होगा और 'आनन्द की सिद्धावस्था' का काव्य 'लोक-रंजक' से सम्बन्ध रखनेवाला होगा। यह सारा विवेचन शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं को व्यक्त करनेवाला है। शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं पर अलग निबंध लिखा जा रहा है अतः यहाँ इतना की समझ लिया जाय कि शुक्लजो का शास्त्रीय चिन्तन, शुक्लजी की मान्यताओं से प्रभावित है। अपनी नैतिक मान्यताओं के आधार पर शुक्लजी व्याकहारिक दृष्टि से सिद्धान्तों को परखते हैं और इस परखते में सिद्धान्तों में संशोधन भी करते चलते हैं। शुक्लजी के भिद्धान्तों का खण्डन उनकी नैतिक मान्यताओं के खण्डन के आधार पर ही किया जा सकता है। यदि हम उनकी नैतिक मान्यताओं की स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उनका विवेचन, चिन्तन, संदात्तिक मण्डन आदि सब वैज्ञानिक प्रतीत होगा। अपने विवेचन को शुक्लजी ने दोषिक पृथं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है।

१३

इसी प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि शुक्लजी का आचार्यत्व उनके व्याकहारिक दृष्टिकोण का परिणाम है। लक्ष्य आचार्य होने का नहीं है। साहित्यिक समस्याओं का निदान सोजते-सोजते, उन्होंने काव्यशास्त्र में अपनी और से (प्राचीन मतों का समर्थन करते हुए ही) कुछ सजोचत किया है। यह संशोधन भी व्याकहारिकता के आधार पर (सिद्धान्तों को परखते समय) किया गया है। उनके इस कार्य ने ही उन्हें आचार्यत्व का पद प्रदान करने योग्य बना दिया है।

१४

किसी भाषा का अकारण, उस भाषा का शास्त्रीय रूप है। व्याकरण में भाषा की अन्तरिक व्यवस्था के सिद्धान्त होंगे। इन सिद्धान्तों का निर्माण भाषा-विषयक बोध के आधार पर ही (तत् तत् भाषा-विषयक बोध) संभव है। अंगरेजी भाषा का अकारण जर्मन भाषा-भाषी उस समय तक नहीं लिख

सकता जब तक कि वह (जर्मन भाषी व्यक्ति) अंगरेजी पर अच्छा अधिकार नहीं कर लेता। 'भाषा बहुता नीर' (विकसनशील) होने पर भी व्याकरण के कारण भाषा को स्थिर रूप प्राप्त होता है और वह समृद्धत स्तर तक पहुँच सकती है। यही स्थिति 'काव्यशास्त्र' की भी है। संस्कृत का 'काव्यशास्त्र' हो या अंगरेजी का 'काव्यशास्त्र' हो, काव्यशास्त्र सामान्य होने पर भी दोनों 'काव्यशास्त्रों' का अन्तर दोनों ही भाषाओं के साहित्य में किए गए चिन्तन का परिणाम है। चिन्तन में नवीनता उसी समय आ सकती है जब काव्यशास्त्र पर लिखनेवाला व्यक्ति 'काव्य' का रसास्वादन करनेवाला हो। रसानुभूति की पैठ (किसी भी भाषा के साहित्य में) के आधार पर ही साहित्यिक-चिन्तन में व्यावहारिकता के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है और इसी प्रकार का चिन्तन सिद्धान्तों में परिष्कार भी ला सकता है। संस्कृत का काव्यशास्त्र, संस्कृत-साहित्य के चिन्तन का परिणाम है। उस चिन्तन के साथ, उस साहित्य की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ भी सम्बद्ध हैं। इसी तरह अंगरेजी (पाश्चात्य) का काव्यशास्त्र अंगरेजी साहित्य के चिन्तन का परिणाम है। यहाँ कहना यह है कि हिन्दी 'काव्यशास्त्र' का स्वतंत्र निर्माण उसी समय सम्बद्ध है जब हिन्दी साहित्य को चिन्तन का आधार बनाया जायगा। संस्कृत के सिद्धान्तों (काव्यशास्त्रीय) अथवा यूरोपीय (अंगरेजी, फ्रैंच आदि काव्यशास्त्र के) सिद्धान्तों के साथ हिन्दी साहित्य (कविता, नाटक आदि) को परखने का परिणाम यह हो रहा है कि सिद्धान्तों पर ही ध्यान बना रहता है और व्यावहारिक रूप में सिद्धान्तों की परख नहीं हो पाती। हिन्दी काव्यशास्त्र के निर्माण के लिए हिन्दी साहित्य को आधार बनाना परम आवश्यक है। रीतिकालीन आचार्यों पर विचार करते समय आचार्य शुक्ल ने ही लिखा है:-

"आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कविकर्म में प्रवृत्त हो जाते। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खण्डन-मण्डन, नए-नए सिद्धान्तों का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्म में ही लिखा जाता था। पद्म में किसी बात की सम्यक् मीमांसा या उस पर तक वितकं हो नहीं सकता। सारोष यह कि इन रीति-ग्रथों पर निर्भर रहनेवाले व्यक्ति का साहित्य


आत कथा ही समझना चाहिए । ” १

इन पंक्तियों के आधार पर यह बत स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि समस्त रीतिकाल में ‘आचार्यत्व’ का आकर्षण बना रहने पर भी हिन्दी का स्वतंत्र ‘काव्यशास्त्र’ नहीं बन सका है । आचार्य शुक्ल के पूर्व का साहित्यिक-चिन्तन (आचार्य शुक्ल की ऊपर दी गई पंक्तियों को स्वीकार कर लेते हैं तो) गंभीर रूप बारण नहीं कर सका है । आचार्य शुक्ल ने ही वास्तव में प्रथमतः गंभीर रूप से साहित्यिक चिन्तन किया है । यह ठीक है कि आचार्य शुक्ल को हिन्दी की तुलना में संस्कृत की रचनाएँ अधिक ग्रिय थीं । किन्तु उन्हें हिन्दी में तुलसी, सूर, जायसी आदि कवि भा गए । इसी तरह हिन्दी की अनेक रचनाओं का (उनकी अभिभूति के विपरीत रचनाओं का भी - केवल, कबीर आदि) भी उन्होंने साहित्यिक इमानदारी से अध्ययन किया है । अतः शास्त्रीय-चिन्तन (हिन्दी साहित्य के शास्त्रीय-चिन्तन) के लिए उनकी मनोभूमि तैयार हो गई । ऐसी स्थिति में संस्कृत काव्यशास्त्र को आचार्य शुक्ल परम्परा निर्वाह (आत्मपूर्ति के रूप में) के रूप में नहीं अपना सकते थे । संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों का परिकार हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियों के बनुरूप (व्यावहारिक दृष्टि से) होना आवश्यक था । आचार्य शुक्ल का चिन्तन (साहित्यिक-चिन्तन), संस्कृत काव्यशास्त्र की परम्परा को स्वीकार करते हुए भी हिन्दी साहित्य का बाना, लिए हुए हैं । हिन्दी साहित्य का यह बाना (जिसके कारण उन्हें स्वतंत्र रूप से चिन्तन करना पड़ा है) उनका अपना है । यह माना जा सकता है कि शुक्लजी के साहित्यिक-चिन्तन पर तुलसी का नैतिक-ओध हाथी है, पर है वह हिन्दी-साहित्य का साहित्यिक-चिन्तन । तुलसीदास के साहित्य को इतना व्यापक रूप इसके पूर्व किसी ने नहीं दिया है । कहना यह है कि शुक्लजी ने हिन्दी-साहित्य को चिन्तन का आधार बनाया है । उनका यह चिन्तन उनकी समीक्षाओं में (‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ में, अनेक कवियों की समीक्षाएँ लिखते समय) भी दिखलाई देता है । चिन्तापणि के निबन्धों में यह चिन्तन प्रायः शास्त्रीय - (व्यावहारिकता के आधार पर निर्मित) - है । इस चिन्तन को आचार्य शुक्ल ने आरम्भ से ही विश्वास के साथ लिखा है । इसलिए यह चिन्तन व्यावहारिकता का पुर लेते हुए भी सिद्धान्तिक रूप में दृढ़ भित्ति का रूप लिए हुए हैं ।

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (पंद्रहवां संस्करण)
पृ. २२६-२२७.

सिद्धान्तों को पहले लिखता और फिर उन सिद्धान्तों के व्यावहारिक पक्षों का उद्घाटन करना, चिन्तामणि के निबन्धों का उद्देश्य है। 'साधारणीकरण और व्यक्तिवैचारिकवाद' निबन्ध ही नहीं, अन्य निबन्धों में भी ('कविता क्या है?', 'काव्य में लोकभंगल की साधनावस्था' एवं 'रसात्मक बोध के विविध रूप') सैद्धान्तिक पक्ष को पहले स्थान मिला है। सिद्धान्तों को आरम्भ में देखने से यदि कोई व्यवरा जाय तो वह शुक्लजी के व्यावहारिक पक्ष को समझ नहीं सकेगा। शुक्लजी ने आचार्यत्व की दृष्टि से हिन्दी साहित्य को यदि कुछ दिया है तो वह व्यावहारिक पक्ष में ही दिया है। शुक्लजी के इस पक्ष को समझने के लिए हमें उनके सिद्धान्तों को (सिद्धान्तों में पाए जाने वाले पूर्वग्रहों को भी) स्वीकार कर लेना पड़ता है। इस स्वीकृति के बाद ही हम उनकी व्यावहारिक समीक्षा का आनन्द ले सकते हैं।

५. भाषा और शैली



५. भाषा और शैली

चिन्तामणि भाग १, आचार्य रामनंद शुक्ल द्वारा लिखे गए निबन्धों का संग्रह है। हिन्दी गद्य की और विशेष रूप से गद्य में भी निबन्धों की यह संख्या पुस्तक मानी गई है। इस पुस्तक की भाषा और शैली की कठिपथ विशेषताओं का विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

२

विषय की दृष्टि से चिन्तामणि भाग १, के निबन्धों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। १. मनोविकारों से सम्बंधित निबन्ध (माद या मनो-विकार से शोष तक,) २. काव्यशास्त्र से सम्बंधित निबन्ध (कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल की साधनावलया, साधारणीकरण और व्यक्ति-वैचित्र्य-माद और रसात्मक बोध के विविध रूप) और ३. सामीक्षा सम्बन्धी निबन्ध (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, तुलसी का भक्ति-मार्ग और मानस की धर्म-भूमि)।

इन सभी निबन्धों में आचार्य शुक्ल की भाषा में गरिमा, उदात्तता, दृढ़ विचारधारा, अटूट आत्मविश्वास एवं पूर्णता का बोध है। भाषा में व्यक्तिक स्वर उभर कर आया है, जिसके कारण शुक्ल की शैली बन गई है। शुक्ल की भाषा में शुक्ल को (व्यक्ति को) देखा जा सकता है। व्यक्तिविशेष की भाषा में व्यक्ति को पहचानना व्यक्ति की शैली को पहचानना है। इस दृष्टि से शुक्ल की भाषा और शैली का विश्लेषण नीचे किया जा रहा है।

३

आचार्य शुक्ल के निबन्ध विचारप्रधान कहे गए हैं। विचारों के लिए (अधिव्यक्ति की दृष्टि से) गद्य उत्तम विधा है। और गद्य में भी निबन्ध सर्वोत्तम विधा है। निबन्धों में किसी विषय से सम्बन्धित बन्धी हुई-धूंखला-बद्ध विचारधारा होती है। आदि से अन्त तक निबन्ध की भाषा में अके क्रम होता है। इस क्रम से लेखक के विचारों का-विषय से सम्बन्धित-विश्लेषण होता है। निबन्ध का यह क्रम पहचानना और उस क्रम की पूर्णता को समझना निबन्धकार के व्यक्ति रूप को पहचानना है। अतः निबन्धकार की भाषा का विश्लेषण करने के लिए निबन्धकार के विचारों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

चित्तामणि भाग १, के सभी निबंधों का विश्लेषण यहाँ सम्बन्ध नहीं अतः चित्तामणि भाग १, के एक निबन्ध 'रसात्मक बोध के विविध रूप' को उदा-हरण स्वरूप मानकर, शुक्ल की भाषा और शैली का विश्लेषण किया जा रहा है। इससे पूर्व भाषा की चित्तामणि की भाषा की) कतिपय सामान्य विशेषताएँ बतलाई जा रही हैं।

विटगनस्टाइन (Ludwig Wittgenstein) का कहना है— 'दर्शन एक आत्मा भाषा के निर्माण का प्रयास है। पदों से युक्त ऐसी भाषा का जिन्हें समूचित रूप से परिभाषित किया गया है तथा ऐसे वाक्यों से युक्त भाषा का जो दिना अस्पष्टता के उन तथ्यों का जिनका संदर्भ बे दे रहे हैं, एक तार्किक अद्याकार प्रकटाए। ऐसी पूर्ण भाषा आणविक तर्कवाक्यों पर आधारित रहनी चाहिए। मूलभूत दार्शनिक समस्या इन्हीं आणविक तर्कवाक्यों की रचना का विवरण देता है।' 'विटगनस्टाइन के इस कथन के आलोक में शुक्ल की भाषा को

१. दर्शन के सौ वर्ष—जॉन पैसमोर—(अनुवादक : चादमल शर्मा तथा कलानाथ शास्त्री)—पृ. ५२६ तथा ५२७।

इतो प्रथम वान यह दिव्यलाइ देमो कि शुक्लजी की अपनी पारिभाषिक है। अद्यनी पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर उन्होंने एक शब्द के विभाग का प्रयोग किया है। उक्त अद्यवाच भाषा में दर्शन (एक वेचारशास्त्र) है।

अब या भनोविकारों से संबंधित निवंधो में एवं काव्यशास्त्र से निवंधो में पारिभाषिक शब्द अधिक आए हैं। सभीका संबंधी निवंधो में के शब्द अपेक्षाकृत कम हैं।

इलजी द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली नीचे दी जा रही है—

पारिभाषिक शब्द	शुक्ल द्वारा दी गई परिभाषा	विवरण भा. १, प. ८.
भाव या भनोविकार	वाना विषयों के बोध का विवान होने पर ही उनसे भम्बन्ध रखनेवालों इच्छा की अनेकलयना के अनुसार अनुभूति के बीच भिजनभिज योग स्थित होते हैं जो मात्र या भनोविकार कहलाते हैं।	१.
भक्ति	धर्म को रसायनक अनुभूति है।	५.
उत्तमाङ्ग	माहूसपूर्ण आनन्द की उमग का नाम उत्पाद है।	६.
प्रथल	कुँडि द्वारा पूर्ण रूप से निविचत की हुई व्यापार परम्परा का नाम ही प्रथल है।	१४.
कर्मण्य	कर्म से आनन्द करनेवालों हो का नाम कर्मण्य है।	१५.
श्रद्धा	किसी भनुव्य में जन-साधारण से विशेष भुग दा यक्षिन ही विकास देव उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द-पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महसूस का अनुभूति के साथ-साथ पूज्य कुँडि का सचार है।	१७.

क्र. सं.	पारिभाषिक शब्द	शुक्ल द्वारा दी गई परिभाषा	चितामाण भा. १, पृ. स.
७.	वृथा	अस्त्रचिकर विषयों के उपस्थित होने पर अपने ज्ञानपथ से उन्हें दूर रखने की प्रेरणा करतेवाला जो दुःख होता है, उसे वृथा कहते हैं।	९७.
८.	भय	किसी आती हुई आपदा की भावना या दुःख के कारण के सकारात्मक से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तम्भकरक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं।	१२५.

अब तक जो शब्द दिए हैं (पारिभाषिक शब्दों के रूप में) उनका सम्बन्ध मनोविकारों से सम्बन्धित निबन्धों से है। ऐसे शब्दों की सल्या अधिक है। विस्तार भय से सारे शब्द नहीं दिए जा रहे हैं। वैसे तो निबन्धों के शीर्षक को पारिभाषिक शब्द कह दिया जा सकता है क्योंकि ऊपर दिए गए उदाहरणों में सल्या २, ४ और ५ को छोड़ दें तो सभी शब्द निबन्धों के शीर्षक हैं। कहना यह है कि शुक्लजी अपने निबन्धों में शीर्षकों को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। परिभाषा देने का प्रयास भाषा को एक आदर्श और निश्चित रूप देने का प्रयास है। बोल्ड्रिक रूप से सजग लेख के शब्दों का तौलनात्मक करना प्रयोग करता है और व्यर्थ के प्रयोगों से बचता है। शुक्लजी की भाषा में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। परिभाषा देना 'शब्द' को निश्चित अर्थ प्रदान करता है। और यह अर्थ तार्किक आधार पर प्रदान करता है। जैसे कि विटगमस्टाइन ने कहा है—'पढ़ों से युक्त ऐसी भाषा का जिन्हें समूचित रूप से परिभाषित किया गया है तथा ऐसे वाक्यों से युक्त भाषा का जो बिना अस्पष्टता के उन तथ्यों का जिनका सदर्भ वे दे रहे हैं, एक तार्किक आकार प्रकटाएँ।' हमें देखते हैं कि शुक्ल की भाषा तार्किक है। इस का प्रमाण यह है कि शीर्षकों को निबन्ध के ही नहीं, निबन्ध के भीतर अनेक शब्दों को शुक्ल ने परिभाषित किया है। जैसे 'इष्ट्या' निबन्ध में इष्ट्या की परिभाषा तो मिलेगी ही किन्तु साथ ही साथ स्पर्धा, वैर, द्वेष, अभिमान आदि को परिभाषित करने का प्रयास है। इसी तरह अन्य निबन्धों में भी अनेकों शब्द हैं, जिनको सदर्भ के अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।

इल की भाषा में विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग है और वह प्रयोग क अर्थ में है। भनोविकारों से सम्बन्धित निबन्धों की शब्दावली से इ काव्यशास्त्रीय निबन्धों की शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली) करे तो शुक्ल की भाषागत विशेषता स्पष्ट करने में सुविधा होगी। ए कि शुक्ल के भनोविकारों से सम्बन्धित निबन्धों पर विशेष प्रकाश ढाला गया है और न उनका मूल्यांकन ही हुआ है। इस तुलना में इस में शुक्लजी की व्याप्ति प्राप्त है। उनकी काव्यशास्त्रीय शब्दभी मूल्य रखती है। इस प्रकार के कुछ शब्द जीवे दिए जा रहे हैं—

पारिभाषिक शब्द	शुक्लजी द्वारा दी गई परिभाषा	चिन्तामणि भा. १ प. सं.
माधारणीकरण	जब तक किसी भाव का कोई विषय इस तरह नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलम्बन हो भक्त तक उसमें रसोद्धीयता की पूर्ण घटित नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ माधारणीकरण कहलाता है।	२२७.
भाव-प्रदर्शक	रीढ़ रस के वर्णन में जब तक आलम्बन का चित्रण इस रूप में न होगा कि वह मनुष्य भाव के ओघ का पात्र हो सके तब तक वह वर्णन भाव-प्रदर्शक साक्ष रहेगा।	२२८
भावना या कल्पना	जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी भूति मन में लाकर उसके सामीण का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्यवाले इसी को 'भावना' कहते हैं और अज्ञकल के लोग 'कल्पना'। यात्रिक रूप-विधान का नाम ही सम्भावना या कल्पना है।	१६१. २४३.

इस तरह की शब्दावली की संख्या अधिक है। इस तरह के कुछ शब्द और दिए जा रहे हैं। जीना (पृ. १४१), जगत् (पृ. १४१), बद्ध-हृदय (पृ. १४१), मुक्त-हृदय (पृ. १४१), मुक्तावस्था (पृ. १४१), अर्थग्रहण (पृ. १४५), विम्बग्रहण (पृ. १४५), साहचर्य-सम्भूत-रस (पृ. १५०), रागात्मक सत्त्व (पृ. १५१), सूक्ति (पृ. १५२), काव्यानुभूति (पृ. १५२), काव्यदृष्टि (पृ. १५६), मार्मिक तथ्य (पृ. १५७), मनुष्यत्व की उच्चभूमि (पृ. १६०-१६१), जात-सकेतवाले शब्द (पृ. १७६), विशेष-व्यापार-सूचक-शब्द (पृ. १७६), वर्ण-विन्यास (पृ. १७९), नाद-सौन्दर्य (पृ. १७९), कार्य-बोधक शब्द (पृ. १८०), लोक-मगल (पृ. २१३), आनन्द की साधनावस्था (पृ. २१४), आनन्द की सिद्धावस्था (पृ. २१४), प्रयत्न-पक्ष (पृ. २१४), उपभोग-न्यक्ष (पृ. २१४), शील (पृ. २१८), सौन्दर्य (पृ. २१८) भाव-मण्डल (पृ. २२१), अन्तस्सज्जा (पृ. २२१), बीजभाव (पृ. २२१), मगल-विधायिनी-प्रकृति (पृ. २२२), लोकपीड़ा (पृ. २२४), रसोद्बोधन (पृ. २२६), आलम्बनत्व धर्म (पृ. २३०), शील-दृष्टा (पृ. २३१), प्रकृति-दृष्टा (पृ. २३१), शील-वैचित्र्य (पृ. २३२), अपरितुष्ट भाव (पृ. २३२), अन्त प्रकृति-वैचित्र्य (पृ. २३३), आश्चर्यपूर्ण प्रसादन (पृ. २३३), आश्चर्य-पूर्ण अवसादन (पृ. २३३), कुतूहल (पृ. २३३), निरपेक्ष-दृष्टि (पृ. २३४), अर्थवाद (पृ. २३६), अन्तर्भूमि (पृ. २३७), लोक (पृ. २३७) प्रत्यक्ष-रूप-विधान (पृ. २४३), स्मृति-रूप-विधान (पृ. २४३), कल्पित-रूप-विधान (पृ. २४३), रसात्मक अनुभूति (पृ. २४६), रस का लोकोत्तरत्व (पृ. २४७), विभावन-व्यापार (पृ. २४७), विशुद्ध-स्मृति (पृ. २५३), प्रत्यभिज्ञान (पृ. २५५), स्मृत्याभास कल्पना (पृ. २५७), लाक्षणिक प्रक्रिया (पृ. २७०), उपलक्षण या प्रतीक (पृ. २७०) ... आदि आदि.

इसी तरह अगरेजी के पारिभाषिक (काव्यशास्त्रीय पारिभाषिक) शब्दों का प्रयोग करते समय शुक्लजी ने उनका हिन्दी अनुवाद किया है। इन शब्दों का अनुवाद प्रस्तुत करते हुए अगरेजी का मूल शब्द भी साथ-साथ दिया गया है। इस प्रकार की शब्दावली नीचे दी जा रही है।-

हिन्दी शब्द	अंगरेजी शब्द	पृ. स.
१. चित्रों	Imagery	१९३
२. परम्परायुक्त	Conventional	१९८
३. शक्तिकाव्य	Poetry as energy	२१४
४. कलाकाव्य	Poetry as an art	२१९

१. शिक्षावाद	Didacticism	२१८
६. चेतना का प्रकाश	Conscious	२२१
७. अन्तस्संज्ञा का क्षेत्र	Sub-conscious region	२२१
८. स्थिर	Static	२२४
९. मत्थात्मक	Dynamic	२२४
१०. द्वित्र	Images	२२८
११. विचार	Concept	२२८
१२. अभिव्यञ्जनावाद	Expressionism	२२८
१३. सकेत पक्ष	Symbolic aspect	२२९
१४. प्रत्यक्षीकरण-पक्ष	Presentative aspect	२२९
१५. निरपेक्ष दृष्टि	Dramatic or absolute vision	२३४
१६. पुनरुत्थान काल	Renaissance	२३६
१७. स्वच्छरदता आनंदालन	Romantic movement	२३८
१८. स्वयं-प्रकाश-आन	Intuition	२३९
१९. बुद्धि-व्यवहार-सिद्ध आन या विचार-प्रश्नूत-आन	Logical knowledge	२३९
२०. अहं का विसर्जन	Impersonality	२४७
२१. निःमंगला	Detachment	२४७
२२. तटस्थ	Transcend	२५४
२३. व्यापक	Immanent	२५५

६

पारिभाषिक शब्दों का निर्माण (शब्दों को विशेष अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया) करना, दर्शन की भाषा (विचार-प्रधान) का निर्माण करना है। केवल शब्द ही नहीं (स्वतंत्र शब्द मात्र नहीं) समास (दो एवं दो से अधिक शब्दों से युक्त शब्द) विशेष अर्थों में—पारिभाषिक अर्थों में—शुक्लजी की भाषा में प्रयुक्त हुए हैं। इन सब शब्दों का चयन एवं उन सब का विश्लेषण करने से शुक्ल की भाषा की शक्ति का उद्घाटन हो सकता है। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण यह शुक्ल की भाषा की एक विशेषता है। अस्तु।

७

आचार्य शुक्ल की भाषा की एक और विशेषता यह है कि अपनी पारिभाषिक शब्दावली को शुक्लजी ने तात्किक आकार प्रदान (Logical भाषा और शैली

form) किया है। इस प्रकार की भाषा में आणविक तर्कवाक्य पाए जाते हैं। शुक्लजी के तर्कवाक्यों को समझने के लिए उनकी विश्वास-प्रणाली को समझना आवश्यक है। शुक्लजी के अपने निश्चित विश्वास हैं। उनमें पाया जानेवाला यह विश्वासबोध उनकी भाषा की बहुत बड़ी शक्ति है और इस विश्वास-बोध के कारण ही उनकी भाषा में दृढ़ता, स्पष्टता, निर्भिकता आदि गुण पाए जाते हैं। यो कहना चाहिए कि शुक्लजी ने अपने विश्वासों को बौद्धिक आधार दिया। इस बौद्धिक आधार को तर्कवाक्यों के सहारे प्रस्तुत किया गया है। इन तर्कवाक्यों के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण हुआ है।

c

विश्वास-प्रणाली और वह भी किसी लेखक की विश्वास-प्रणाली लेखक के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखनेवाली होती है। शुक्लजी की विश्वास-प्रणाली पर स्वतंत्र निबन्ध लिखा जा सकता है। प्रस्तुत प्रसंग में (भाषा और शैली पर विचार करने की दृष्टि से) इतना कहना काफी होगा कि शुक्लजी की विश्वास-प्रणाली में महावीरप्रसाद द्विवेदी कालीन आदर्श नैतिक बोध है। आज आचार्य शुक्ल का खण्डन होता है या उन्हे पुराना कह दिया जाता है, तो उसका एक कारण आज का नैतिक बोध बदल गया है। यह बात निससंकोच कही जा सकती है कि महावीरप्रसाद द्विवेदी कालीन आदर्श, नैतिक-बोध को उच्चतम बौद्धिक आधार (अपनी विश्वास-प्रणाली के कारण) एकमात्र आचार्य शुक्ल ने प्रदान किया है। आश्चर्य इस बात का होता है कि विश्वास पुराने हो जाने पर भी बौद्धिक आधार में (विश्वासों को प्रदान किया गया बौद्धिक आधार) ज्ञान का दमकता प्रकाश पाया जाता है। शुक्ल का यह प्रकाश भाषा की शक्ति का द्योतक है।

९

अब हम शुक्ल की विश्वास-प्रणाली से शुक्ल की भाषा में पाए जाने-वाले तर्कवाक्यों का सम्बन्ध जोड़ें। यह सम्बन्ध जोड़ना यद्यपि बहुत कठिन है, फिर भी किंचित प्रयास किया जा रहा है।

डेविड हथूम ने लिखा है :-

'यदि हम पूर्वानुभूति पर विश्वास रखकर तर्क में उतरें और पूर्वानुभूति को अपने भविष्यत्कालीन अनुभान का मापदण्ड समझें तो हमारे तर्क के बल

सम्भाष्य ही हो सकते हैं और उपरिनिर्दिष्ट विभाजन के अनुसार वे वस्तु एवं उनकी सज्जा तक ही में प्रिय रहेंगे। तथापि यदि हमारा विवरण ठीक और सत्त्वीय अनुभव के लिए इस प्रकार के कोई तर्क ही नहीं सकते। वस्तु के अस्तित्व सम्बन्धी समाज तक कार्य कारण भाव पर आधारित है और इस संबंध का ज्ञान शेषल पूर्णभूत जन्य होता है, और हमारे लारे प्रयोगिक निगमन इसी वारणा पर अनुरूपित है कि मारी भदा भूत के अनुरूप ही होगा। अब इस अनिम सम्बन्ध को सम्भाष्य तर्कों ग्रन्थों सत्ता विषयक तर्कों द्वारा सिद्ध करने की चाटा करना घण्टाकार परिस्मय मात्र होगा। अब वह यह तो साध्य को ही मिछ मान लेना है। १

डेविड हथूम के दस कथन के संदर्भ में शुक्लजी की विश्वासप्रणाली का व्यव्याप किया जा यथ्यता है। इतना तो हम कह ही सकते हैं कि विश्वास पूर्वनिर्भूति और सकारी पर आधारित होते हैं। अतः इस आधार को लेकर यदि हम तर्क करेंगे तो परिणाम यही होगा, जो डेविड हथूम ने ऊपर बतलाया है, यह तो निर्विचल रूप से कहा जा सकता है कि शुक्लजी जो कहते हैं, उस पर उनका पूर्ण अध्याम है। विश्वास और तर्क इन दोनों में प्रथम स्वयम (शुक्ल की भाषा में) विश्वास की देना होगा। शुक्लजी के ये विश्वास पूर्वनिर्भूति और संस्कृतों पर आधारित हैं। इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि शुक्लजी के तर्क पूर्वनिर्भूत (विश्वास-प्रणाली की दृष्टि से) हैं। यों कहना चाहिए कि ओं कुछ शुक्लजी कहते हैं, उस पर उनका विश्वास है और ये विश्वास ही उनकी भाषा को तार्किक रूप प्रदान करते हैं ऐसी स्थिति में शैली में अन्यमन पत्रक नहीं आ सकती। शुक्लजी प्रायः निगमन पद्धति या शैली में ही कियते हैं। इस प्रकार की शैली के गुण दोष शुक्लजी की (भाषा में) विश्वास प्रणाली में मिल जाएंगे। प्रायोगिक स्तरों पर भी शुक्लजी आगमन का उपयोग (प्रायः) नहीं करते। ऐसे स्वर्णों पर भी वे निगमन का उपयोग करते हैं। यों कहना चाहिए कि शुक्लजी की भाषा में उनका विश्वास आरंभ में ही दिखलाई देगा। यहले वे अपनी साम्यता को व्यक्त कर देंगे और बाद में वे उसे अन्यापकीय शैली में समझाते जाएंगे। शुक्लजी के तर्क उनके निर्विद्यों में डेविड हथूम के शब्दोंमें घण्टाकार होंगे।

१०

अब हम तर्कदृष्टयों को देखें। इसे समझाने के लिए “रसात्मक बोध के विविध रूप” निर्विद्य के प्रथम दो अनुष्ठानों को लिखा जा रहा है। इसमें अलग अलग वाक्य किसी जा रहे हैं। बाद में उनका किशलेषण किया जा रहा है।

१. मानव बृहि सम्बन्धी विवेचन — डेविड हथूम — (अनुवादक : डॉ. थीकृष्ण रमेशना) — पृ. ३१ और ३२.

प्रथम अनुच्छेद

वाक्य संख्या

वाक्य

१. संसार-सागर की रूप-तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण और इसकी रूप-शक्ति से उसके भीतर विविध भावों या मनो-विकारों का विधान हुआ है।
२. सौदर्य, माधुर्य, विवितता, भीषणता, क्रूरता इत्यादि की भावताएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से ही निष्पन्न हुई हैं।
३. हमारे प्रेम, भय, आश्चर्य, क्रोध, कहणा इत्यादि भावों की प्रतिष्ठा करनेवाले मूल आलम्बन बाहर ही के हैं—इसी चारों ओर फैले हुए रूपात्मक जगत् के ही हैं।
४. जब हमारी आँखें देखने में प्रवृत्त रहती हैं तब रूप हमारे बाहर प्रतीत होते हैं; जब हमारी वृत्ति अन्तमुखी होती है तब रूप हमारे भीतर दिखाई पड़ते हैं।
५. बाहर-भीतर दोनों ओर रहते हैं रूप ही।
६. सुन्दर, मधुर, भीषण या क्रूर लगनेवाले रूपों या व्यापारों से भिन्न सौदर्य, माधुर्य भीषणता या क्रूरता कोई परार्थ नहीं।
७. सौदर्य की भावना जगना सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं या व्यापारों का मन में आना ही है।
८. इसी प्रकार मनोवृत्तियों या भावों की सुन्दरता भीषणता आदि की भावना भी रूप होकर मन में उठती है।
९. किसी की दयाशीलता या क्रूरता की भावना करते समय दया या क्रूरता के किसी विशेष व्यापार या दृश्य का मानसिक चित्र ही मन में रहता है, जिसके अनुसार भावना तीव्र या मन्द होती है।
१०. तात्पर्य यह है कि मानसिक रूप-विधान का नाम ही सम्भावना या कल्पना है।

द्वितीय अनुच्छेद

१. मन के भीतर यह रूप-विधान दो तरह का होता है।

या तो पहुँच कमी प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुओं का ज्यों का त्यो प्रतिविम्ब होता है अथवा प्रत्यक्ष देखे हुए पदार्थों के रूप, रंग, गति आदि के आवार पर चढ़ा किया हुआ नया वस्तु-व्यापार-विधान।

प्रथम प्रकार की आभ्यन्तर रूप-प्रतीति स्मृति कहलाती है और द्वितीय प्रकार की रूप-योजना या मूर्ति-विधान की कल्पना कहते हैं।

कहते की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रकार के भीतर रूप-विधानों के मूल हैं प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए बाहरी रूप-विधान। अतः रूप-विधान तीन प्रकार के हुए।

- (१) प्रत्यक्ष रूप-विधान,
- (२) स्मृति रूप-विधान और
- (३) कल्पना रूप-विधान।

इन तीन प्रकार के रूप-विधानों में भावों को इस रूप में जागरित करने की क्षमित होती है कि वे रस कोटि में आ सकें, यही हम पहुँच दिलाना चाहते हैं।

कल्पना रूप-विधान द्वारा जागरित मार्मिक अनुभूति तो सर्वत्र रसानुभूति भानी आती है।

प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागरित वास्तविक अनुभूति भी विशेष वशाओं में रसानुभूति की कोटि में आ सकती है, इस बात की ओर ध्यान दिलाना इस लेख का उद्देश्य है। (पृ. २४२-२४३)

अब जौली का विवेदण किया जा सकता है। प्रथम अनुच्छेद में दस और दूसरे अनुच्छेद में ९ वाक्य हैं। इन वाक्यों में यदि परस्पर वापित करें और साथ ही स्वतंत्र रूप से वाक्य के विधान पर विचार स्थिति स्थाप्त होती है।

प्रथम अनुच्छेद

प्रथम वाक्य में ही शुक्लजी अपना विधान प्रस्तुत करते हैं अर्थात् वाक्य में 'वस्तुता का निर्माण' कैसे हुआ? यह कहा गया है। यदि से पूछा जाय कि कल्पना का निर्माण कैसे हुआ? और साथ ही

मनोविकारों का विद्यान कैसे हुआ ? तो इन दोनों का उत्तर सटीक और स्पष्ट साथ ही बिना किसी लाभलेषण के सीधा—सीधा (विश्वास के साथ) इस प्रथम वाक्य में है । प्रथम वाक्य में दो वाक्य हैं जो ' और ' अव्यय से जुड़े हुए हैं । इस वाक्य में विश्वास और तर्क दोनों को देखना चाहें तो विश्वास की मात्रा अधिक दिखाई देगी और विश्वास के अनुरूप तार्किक विधान प्रस्तुत किया गया है । इसे समझने के लिए इस प्रथम वाक्य को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख देंगे और किर विचार करें ।

प्रश्न : कल्पना का निर्माण कैसे हुआ ?

उत्तर : सासार-सागर की रूप-तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण (हुआ है ।)

प्रश्न . मनोविकारों का विद्यान कैसे हुआ ?

उत्तर : और इसी की (कल्पना की) रूप-गति से उसके भीतर (मनुष्य के भीतर) विविध भावों या मनोविकारों का विद्यान हुआ है ।

इस तरह से यदि प्रथम वाक्य के प्रश्न बनाकर उत्तर देलें तो लगता है कथन कितना स्पष्ट है । कोई स्थिक्षक नहीं । विचार साफ है । किर विश्वास भी व्यक्त हुआ है । वाक्य में ' ही ' शब्द ध्यान देने योग्य है । ' ही ' शब्द निश्चित विश्वास को व्यक्त करता है (विकल्प का प्रश्न नहीं उठाता) । इसी तरह ' और इसी की ' पदसमूह में विश्वास दृढ़ होता हुआ दिखलाई देता है । ' और ' के बल सम्मुच्चय बोधक अव्यय नहीं, अपितु वह अपने में पिछले वाक्य की सारी शक्ति समेटने का काम करता है । पिछले वाक्य की शक्ति प्राप्त कर बाद का वाक्य और बलवान हो गया है । शुक्लजी ने मनोविकार को ही भाव माना है या यो कहिए कि दोनों शब्दों को एक अर्थ में प्रयुक्त किया है । इसीलिए ' भाव या मनोविकार ' लिखा है । अपने इस प्रथम वाक्य को ही शुक्लजी ने बाद के वाक्यों में विश्लेषित किया है ।

दूसरे वाक्य में पहला वाक्य निहित है । यहाँ भावों या मनोविकारों को विश्लेषित किया गया है । सौन्दर्य, मासुर्य, विचित्रता, भीषणता, कूरता इत्यादि भावनाएँ हैं (यह मनोविकार का विश्लेषण है) । ये भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से निष्पन्न हुई हैं । बाहरी रूप व्यापार के लिए प्रथम वाक्य में ' सासार-सार्वर की रूप तरंगे कहा गया है । फूले वाक्य का विषय ही

दूसरे वाक्य में विश्लेषित हुआ है। कोई नया विद्यान दूसरे वाक्य में नहीं है। विस्तार के बल 'भावीं या यनोविकारों' को दिया गया है।

तीसरे वाक्य में भावों (प्रेम, भय, आश्चर्य, क्रीष्ण, करणा इत्यादि) की प्रतिलिपा करने वाले मूल आलम्बन बाहर के माने गए हैं। शुक्लजी ने विशेष बात यह नहीं कि 'मूल आलम्बन बाहर के ही हैं।' बाहर के ही हैं अर्थात् 'संसार-सागर की रूप संरग्मों' के ही हैं। कथन प्रथम वाक्य से भिन्न न होने पर भी तीसरे वाक्य में 'मूल आलम्बन' विद्यान नया है। यह विद्यान प्रथम वाक्य को विश्लेषित करनेवाला ही है। कहा यह गया है कि 'मूल आलम्बन' बाहर ही के हैं (काफी बल देकर और विवाह के साथ कहा है) यही नहीं योजक चिह्न (--) लगाकर विधान को (बाहर ही के हैं, विधान को दोहराते हुए बल देकर) कहा गया-- 'इसी तरीं और फिर हुए स्वातंत्रक जगत् के ही हैं।'

चौथे वाक्य में बाहर एवं भीतर का अन्तर स्पष्ट किया गया है। चौथा वाक्य दो वाक्यों का एक वाक्य है। एक का सम्बन्ध बाहर से है और दूसरे का सम्बन्ध भीतर से है। अतिथि देखने में प्रवृत्त हो तो रूप बाहर प्रतीत होंगे और वृत्ति अन्तर्मन्त्री हो जाएँगी तो रूप भीतर दिखाई देंगे। एक प्रकार से तीसरे वाक्य में बाहर (मूल आलम्बन) पर जोर दिया गया था। वह बाहर बाला रूप बूसि के अन्तर्मन्त्री होने पर भीतर दिखाई पड़ता है। बाहर के विना भीतर नहीं, यह आत शुक्लजी कहना चाहते हैं।

पांचवें वाक्य में दोनों रूपों की एकता को दोहराते हुए कहा गया कि वास्तव में वे भूष्य ही हैं। वे रूप संसार-सागर की रूप-तरगों के हैं।

छठे वाक्य में रूप को विश्लेषित किया गया है। कहा गया कि रूप से भिन्न (बाहर रहने वाले) सौन्दर्य आदि भिन्न पदार्थ नहीं। सुन्दर रूप से बलग मर्दियां नहीं, मधुर रूप से भिन्न माधुर्य नहीं इसी तरह कूर रूप से भिन्न कूरता नहीं। इसमें प्रथम बाहर हैं और दूसरा भीतर है।

सातवें वाक्य में हमी बान को और विश्लेषित किया गया है। कथन एकदम स्पष्ट है। सौदियं भावना जगना वास्तव में सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं का मन में आना है। सौदियं की भावना जगती है मन में (भीतर) किन्तु जिनके कारण जगती है वे वस्तुएं बाहर हो हैं। वही बात दोहराई गई है।

आठवें वाक्य में सातवें वाक्य को और स्पष्ट किया गया है। 'इसी भावा और शीसी

प्रकार' का संबंध सातवें वाक्य से है। मनोवृत्तियाँ या भावों की सुन्दरता भीषणता आदि की भावना रूप होकर मन में उठती है। एक प्रकार से शुकलजी 'रूप' बाहर होते हैं, इसे फिर स्पष्ट कर रहे हैं।

नौवें वाक्य में बाहर-भीतर को व्यावहारिक रूप में समझाया गया है। अंतर केवल यह है कि भावना के तीव्र-मद होने के कारण बतलाए गए हैं। बाहरी रूप-विधान तीव्र होगा (मानस से चित्र बनते समय) तो भावना तीव्र होगी और मंद होगा तो भावना मंद होगी।

दसवें और अन्तिम वाक्य में प्रथम वाक्य को दोहराया गया है और अब तक के वाक्यों का सार प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि मानसिक रूप-विधान का नाम ही सम्भावना या कल्पना है।

प्रत्येक वाक्य का विश्लेषण ऊपर प्रस्तुत किया गया है। हम देखते हैं कि पूरे अनुच्छेद में प्रथम वाक्य सब से महत्वपूर्ण है। बाद के वाक्यों में प्रथम वाक्य के विधान को विश्लेषित किया गया है। इस विश्लेषण में एक क्रम है। यह क्रम श्रूत्वावद्ध है। एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी खुलती जाती है। इनको जोड़ दी तो प्रथम वाक्य स्पष्ट हो जाता है। अन्तिम वाक्य में अनुच्छेद को पूर्णता प्रदान की गई है। प्रथम वाक्य में विश्वास (ऊपर स्पष्ट किया गया) अलक्षिता है और बाद के वाक्यों में तर्क वाक्यों के आधार पर कथन को स्पष्ट किया गया है। प्रथम वाक्य वास्तव में स्थापना है। बाद के वाक्य तर्कवाक्य हैं, जो स्थापना को विश्लेषित करते हैं। अन्तिम वाक्य में स्थापना का निष्कर्ष है। निष्कर्ष यह है कि कल्पना मानसिक रूप-विधान है।

द्वितीय अनुच्छेद

द्वितीय अनुच्छेद में नौ वाक्य हैं। वास्तव में आठ वाक्य ही हैं (पांचवें और छठे दोनों को एक वाक्य माना जा सकता है।) प्रथम अनुच्छेद की तरह द्वितीय अनुच्छेद के प्रत्येक वाक्य का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ केवल सार प्रस्तुत करते हुए यह कह सकते हैं कि प्रथम अनुच्छेद में मह विधान स्थापित किया गया कि 'कल्पना' 'मानसिक रूप-विधान है'। इस मानसिक रूप-विधान का वर्णकरण इस अनुच्छेद में किया गया है। संक्षेप में वाक्यों के क्रम का विश्लेषण इस प्रकार होगा। प्रथम वाक्य में कहा गया कि मानसिक रूप-विधान वो तरह का होता है दूसरे वाक्य में

दोनों विकल्प प्रस्तुत किए गए तीसरे में एक विकल्प का अन्तविभाजन और उनका नामकरण है। चौथे में प्रथम अनुच्छेद को दोहराया गया और कहा गया कि ये सब रूप-विधान ही हैं। पांचवा-छठा रूप-विधानों (तीन प्रकार के) के नामकरण यत्नाने हैं। सातवें बाक्य में कहा गया कि इन तीनों प्रकारों में भाषों को जारीरत करने की शक्ति होती है और वे रस-कोटि में आ सकते हैं, यह दिखलाता है। आठवें में और नौवें में लेख के विशेष उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है।

११

दोनों अनुच्छेदों के विवरणों को देखने के बाद अब शैली को स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा-शैली पर विचार करते समय यह देखना पड़ता है कि भाषा-प्रयोग कैसे है और व्यक्त विचारों का क्रम क्या है? निबंध का शीर्षक ' रसास्थक बोध के विविध रूप ' है। इस शीर्षक से सर्वाधित शुक्लजी के जो विचार हैं (सम्बन्धित आदि) उसी को इस निबंध में लिखा गया है। हम देखते हैं कि प्रथम दो अनुच्छेदों में शुक्लजी ने विषय (लेख के विषय) और तस्वीरात्मक उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया। निबंध का आर्य का भाग (ऊपर विवेषण नहीं किया गया) भी यदि देखा जाय तो तीनों रूप-विधानों को स्पष्ट करने में बहुत दैर्घ्य आगे बढ़ती है, जो प्रथम दो अनुच्छेदों में है। शुक्लजी जैसे जैसे विचार करते जाते हैं, वैसे वैसे विचार भाषा के अभाव में व्यक्त नहीं हो सकते) वे लिखते जाते हैं। विचार स्पष्ट होने के कारण भाषा स्पष्ट है। स्पष्ट ही नहीं, अपने विचारों पर विद्वास होने के कारण स्पष्टता में विद्वास झलकता है। ' ही ' शब्द का प्रयोग शुक्लजी बार बार करते हैं। प्रथम अनुच्छेद में दस में से सात वाक्यों में ' ही ' का प्रयोग किया गया है। एक वाक्य से हमसे बाक्य का सम्बन्ध जोड़ने में शुक्लजी सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के प्रयोग में सर्वनाम शब्द पर काफी बल होता है। ' हसे ', ' इसे प्रकार ', ' यह ' एवं ' और ' (सम्मुच्चय बोधक अव्यय) भी केवल जोड़ने का काम नहीं करते बल्कि वाक्यों को परस्पर जोड़ते हुए बाद में आने वाले वाक्य में पहले वाक्य के बल को संमेटते दिखलाई देते हैं। भाषा की यह प्रवृत्ति अपने (शुक्लजी के अपने) विचारों में आस्था रखने के कारण ही आ सकी है। ब्रग्मा वाक्य लिखते समय शुक्लजी यह भूलते नहीं कि पीछे क्या लिखा गया है। अपने विद्वासों को, पूर्व कथनों को, वे बार बार विचारों के रूप में ही। योहराते हैं। जैसे हमसे अनुच्छेद के चौथे वाक्य में ' कहने की आवश्यकता नहीं कि ' इस तरह के विधान (दोहराने वाले विधान) शुक्लजी

की भाषा में जगह जगह पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं—
 'बात यह है कि' (पृ. २४४), 'तात्पर्य यह है' (पृ. २४७) 'हमारा कहना यह है कि' (पृ. २४७) 'जैसे कह आए हैं' (पृ. २५५); 'कहने कि आवश्यकता नहीं कि' (पृ. २५६) 'एक बात कह देना आवश्यक है कि' (पृ. २५९); 'यह तो हृई' (पृ. २५९), 'पहले कहा जा चुका है' (पृ. २६१); 'जैसा कि हम अनेक स्थलों पर कह चुके हैं' (पृ. २६४) 'सब पूछिए तो' (पृ. २६४) 'अब तक जो कुछ कहा गया है' (पृ. २६७) 'हम यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं' (पृ. २६७); 'यहाँ पर इतना ही समझ रखना आवश्यक है' (पृ. २६७) आदि आदि। ये सभी उदाहरण एक ही निबन्ध रसात्मक-बोध के विविध रूप से दिए गए हैं। इस प्रकार का पदसमूह शैली की दृष्टि से यह स्पष्ट करता है कि लिखने वाला अपने विचारों के प्रति सजग है, सावधान है, जो कुछ पीछे कहा गया है, उसे अच्छी तरह जानता है। यो ही कुछ लिखना है, यह समझकर नहीं लिख रहा है। भाषा-प्रयोग के आधार पर विचारों का क्रम अब स्पष्ट किया जा सकता है। डेविड हृथूम का कथन है—'मानव के विविध विचार सदा परस्पर सम्बद्ध होते हैं।'^१ शुक्लजी के विचार (पूर्वनिभूत एवं मस्कारों से युक्त विश्वासजन्य होने के नाते) आरम्भ से ही स्पष्ट प्रतीत होते हैं। लगता है जो विचार पहले वाक्य में (विधान के रूप में) व्यक्त किया, गया आगे आनेवाले वाक्यों में स्पष्ट होता जा रहा है। विचारों की दृष्टि से शुक्ल को समझना हो तो हमें वाक्यों के क्रम में से किसी वाक्य की (विशेष रूप से वे वाक्य जहाँ उदाहरण नहीं दिए गए हैं और सिद्धान्तों का मण्डन हो रहा हो) उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पहले वाक्य के बाद यदि चौथा वाक्य पढ़ ले (त्रीच के दोनों वाक्यों को छोड़ दें) तो विचारों का क्रम टूट जायगा। शुक्लजी संभवतः इसीलिए अपने पूर्वकथनों को बार बार दोहराते हैं कि पाठक सम्भवतः पिछले क्रम को कही भूल तो नहीं गया। इस प्रकार की शैली से विचारों का क्रम लिखनेवाले के भस्तिष्ठक में बना हुआ है, यह स्पष्ट हो जाता है।

१२

चिन्तामणि भाग १, के निबन्धों की भाषा और शैली का विश्लेषण अति सक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। अब तक के कथनों को समेटते हुए यह

१. मानव बुद्धि सम्बधी विवेचन—डेविड हृथूम—(अनु. डॉ. श्रीकृष्ण सक्सेना, पृ. २०.)

कहा जा सकता है कि चिन्तन में भैलिकता होने के कारण एवं विचारों में पूर्वानुभव अनुभव होने के नामे, तथा सत्कारों से युक्त विश्वास प्रणाली होने के नामे, (यह विश्वास-प्रणाली महाकीरप्रसाद द्विवेदी युगीन नैतिक-बोधसे युक्त है) शुक्ल की भाषा में विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग हुआ है। शुक्लजी ने शब्दों की नदा अर्थ प्रदान किया है और उनकी इस गुणवत्ता के कारण हिन्दी में (गत्र में) कमावट आई है। हिन्दी की यह कमावट—गत्र की कसावट—आज भी अदर्श है। आदर्श भाषा का निर्माण—पारिभाषिक शब्दों का निर्माण—शुक्ल की भाषा की अपनी विशेषता है। आज भी काव्यशास्त्र की चर्चा में, विचार-विनियम में, समीक्षा आदि में और इसी तरह किसी विषय के विश्लेषण में शुक्ल की शब्दावली का प्रयोग होता है। शुक्ल के समय की नैतिक मान्यताएँ अब नहीं रह गई हैं, विचारधारा बदल गई हैं किन्तु इस बदलती परिस्थिति में शुक्ल का गद्य हमारे लिए आज भी अदर्श है तो केवल इसीलिए कि शुक्ल के विन्तन में स्पष्टता है और माथ ही चिन्तन के प्रति-अपने चिन्तन के प्रति-दृढ़ विश्वास है।



६. नैतिक मान्यताएँ

आचार्य रामबन्द्र शुक्ल की विचारधारा पर उनकी नैतिक मान्यता-ओंका प्रभाव है। उनका यह प्रभाव उनके दृढ़ वर्णितत्व का द्योतक है। इस प्रभाव के कारण वे जगह जगह निर्णय देते चलते हैं। निर्णय देने की क्षमता मान्यताओं के विविध हो जाने पर ही आ सकती है। शुक्लजी की शक्ति का रहस्य उनकी नैतिक मान्यताएँ हैं और इसी तरह उनकी कमजोरी भी नैतिक मान्यताओं में निहित है। इन मान्यताओं का विवेचन नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

-२-

जान हश्चौर्दि ने किया है - “नीतिशास्त्र का उद्देश्य सही या गलत अथवा अच्छी या खुरे के घृष्णिकोण से जावरण के सम्बन्ध में हमारे निर्णयों का नैतिक मान्यताएँ

विधिवत् विवरण देना है। ७ हम देखते हैं कि शुक्लजी आचरण के सम्बन्ध में विधिवत् निर्णय देते रहते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि उनकी नैतिक मान्यताएँ स्थिर हो गई थी। शुक्लजी के व्यक्तित्व को एक प्रकार से नैतिक व्यक्तित्व भी कहा जा सकता है। उनका यह व्यक्तित्व उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर पहचाना जा सकता है। शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं का विवेचन उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर ही किया जा रहा है। इस विवेचन में खण्डन—मण्डन पक्ष भी आ जाता है। इससे बचकर शुक्लजी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है।

-३-

यह पहले ही कह दें कि शुक्लजी की स्थापनाओं, चाहे वे समीक्षा सम्बन्धी हों, काव्यशास्त्र सम्बन्धी हों या इतिहास (साहित्य का इतिहास) सम्बन्धी हो, इन सब पर, उनकी नैतिक मान्यताओं की अभिट छाप है। शुक्लजी का विरोध करनेवाले वास्तव में उनकी नैतिक मान्यताओं का ही विरोध करते हैं। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेशी अपनी पुस्तक ' हिन्दी साहित्य : बीसवी शताब्दी ' में शुक्लजी से अपना मतभेद व्यक्त करते हैं। इस समय में वे शुक्लजी की मान्यताओं का खण्डन करते हैं। सच देखा जाए (और ध्यान से देखा जाय) तो मान्यताओं का यह खण्डन, नैतिक मान्यताओं का खण्डन है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :-

(१) "रामचरित—मानस के जिस व्यापक आदर्श की ओर शुक्लजी सब से अधिक आकृष्ट है, वह ही लोक—धर्म का आदर्श। समाज में सभी व्यक्ति एक—दूसरे के प्रति किसी न किसी सम्बन्ध सूत्र से बँधे हुए हैं। इन समस्त सम्बन्धों का निवाहि समाज के सुचारू संचालन के लिए अत्यावश्यक है, किन्तु सुचारू संचालन तभी संभव है जब सभी लोग अपने—अपने कर्तव्य को समझे। कर्तव्यों का बड़ी दी सुन्दर और आदर्श प्रतिष्ठा राम—चरित में पाई जाती है। दूसरे शब्दों में लोक—धर्म का बड़ा ही उत्कृष्ट निरूपण उक्त काव्य में किया गया है। अवश्य ही वह निरूपण आदर्शात्मक है, क्योंकि उसमें सर्वत्र कर्तव्य पक्ष की ही प्रधानता है। किसी को अपने अधिकारों का ध्यान नहीं

- १. नैतिक जीवन का सिद्धान्त - जॉन डथूर्ड (अनुवादक : कृष्णचन्द्र)
भूमिका - पृ १

रखना, मब को कर्तव्य का ही पालन करना है। इसी आदर्शत्विक लोक-धर्म में शुक्लजी की वृत्ति रम गई है, इस त्यागमय धर्म को ही वे अद्वाहर-धर्म मानने लगे हैं।”¹

शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं का सब से बड़ा आधार रामचरित मानस है। मानस का यह आदर्श मुहावना प्रतीत होने पर भी वह आदर्श निष्क्रिय है तथा वे यायम् व्यक्त हैं, ऐसा वाजपेयीजी का कहना है। वे लिखते हैं:

“रामचरितमानम् के डस वैयक्तिक त्यागपक्ष का जब तक पूर्णत उद्घाटन नहीं किया जाता तब तक कर्तव्य-पक्ष को उसकी उचित आभा नहीं मिल सकती। शुक्लजीने वैराग्यमूलक निष्क्रिय, अध्यात्म के मूकाद्यले इस क्रियाधील लोकधर्म की आवाज उठाई है जो सुनने में श्रद्धी मुहावनी मालूम देती है, किन्तु उन्होंने भारतीय लोक-धर्म की यागमूलक भिन्नि का यथेष्ट विवरण हमारे सामने नहीं रखा। वे एक प्रकार से इसकी उपेक्षा कर गए हैं जिसके कारण भारतीय प्रदुषि-मार्ग और निवृत्ति मार्ग की एक ही भूमि पर खड़ी हुई दार्शनिक धाराएँ शुक्लजी द्वारा परस्पर विरोधिनी, बना दी गई हैं। यथार्थ या आमकित का त्याग प्रवृत्ति के मूल में भी है और निष्क्रिय के मूल में भी। दोनों का आधार एक ही है किन्तु शुक्लजी ने अध्यात्म के डस एक्य की ओर ध्यान न देकर प्रवृत्ति और निवृत्ति, शान और कर्म, अन्तिमत भ्रष्टना और लोक-धर्म दोनों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया है। अबश्य ही शुक्लजी का यह दार्शनिक विषय भारतीय अध्यात्म-शास्त्र के लिए अन्यायपूर्ण हो गया है।”²

वाजपेयीजी यहाँ एक प्रकार से शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं का ही विस्तैयण कर रहे हैं। शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं ने उनके साहित्यिक निष्ठियों को प्रभावित किया है। इस सम्बन्ध में वाजपेयीजी की पक्तियाँ इस प्रकार हैं :-

‘वे (शुक्लजी) अपले युग की वाह्य आदर्शवादी नीतिमत्ता के हाथी होने के कारण अद्वाहरों का जो व्यक्त सौदर्य देखना चाहते

१. हिन्दी साहित्य : श्रीसनी शताभ्दी-नद्दुलारे वाजपेयी-(१९५८) वाला संस्करण—पृ. ३२.

२. —वही—पृ. ७३.

हैं वह उतनी प्रचुर मात्रा में न तो सूखदासजी में मिलता है और न अधुनिक छायावाद या रहस्यवाद के काव्य में ही। यही कारण है कि वे एक और गोस्वामी तुलसीदास और उनके मानस महाकाव्य के सामने सूखदास के भाव भरे पदों को स्थान नहीं देते और दूसरी ओर नवीन समन्वय गीतकाव्य के ऊपर ऐसी साधारण प्रबन्ध रचनाओं को रखना चाहते हैं जैसे काव्य में 'नूरजहाँ' या 'हलदीधाटो' अथवा गद्य में 'शेष समृतियाँ'। जायसी बेचारे बीच में पढ़ गए हैं। एक और तो वे प्रबन्ध कथा-नक के रचयिता हैं और दूसरी ओर रहस्यवादी। मैं कह सकता हूँ कि शुक्लजी ने उनकी प्रबन्ध पटूता की जितनी प्रशंसन की है और वाहच जीवन व्यापारों का जितना विवरण दिया है, उनके रहस्यवाद की ओर वे उतने आकृष्ट नहीं हैं। कहा नहीं जा सकता कि जायसी के बदले उन्हे कोई मुक्तकार रहस्यवादी सूफों कवि दे दिया जाय तो वे उसकी कितनी कद्र करेंगे? मेरा अपना अनुभान तो यह है कि हाफिज, रसी या शेख सूडी जैसे बड़े से बड़े कवि भी उन्हे नहीं जर्वेंगे, क्यों कि वे शुक्लजी की बंधी हुई परिपाटी पर नहीं चले हैं। उनकी इन्हीं और परब्र में वे पूरे नहीं उतर सकते।^१

इन दंकितयों में शुक्लजी की साहित्यिक अभिरचि का उद्घाटन हुआ है। उनकी यह अभिरचि नैतिक मान्यताओं से आकान्त है, यह भी स्पष्ट है।

वाजपेयीजी ने इस तरह आचार्य शुक्ल की साहित्यिक मान्यताओं एवं उन मान्यताओं से सम्बद्ध नैतिक मान्यताओं तथा दार्शनिक उपरपत्तियों का विश्लेषण विस्तार से किया है। वाजपेयीजी के आचार्य शुक्ल पर लिखे हुए इन तीनों ही निबंधों में (हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी में लिखे) आचार्य शुक्ल का जहाँ-जहाँ खंडन हुआ है, उस खंडन में एक बात व्यान रखने योग्य यह है कि यह खंडन मूलतः आचार्य शुक्ल की नैतिक मान्यताओं का खंडन है। आधार ही काट दो तो आगे का उस आधार पर किया गया मूल्यांकन अपने आप कट जायगा। आधार को (नैतिक मान्यता को)

१. हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी (१९५८ वाला संस्करण) पृ. ७२.

स्वीकार कर लेने हैं, तो उन्हें समव नहीं है। सच्चाई तो यह है कि खंडन-मंडन को छोड़कर निवारों में अवन नैतिक मान्यताएँ समाजशास्त्रीय धरातल पर बनार्दि जा सकते हैं। इतना तो हम सब स्वीकार करेंगे कि शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं को उत्तरान्वित विवेचण अब तक नहीं हुआ है। नैतिक मान्यताएँ गृण-दीप जो पूछने का सकती हैं किन्तु गुणदोष सामाजिक संदर्भ में ही अवलाएँ जा सकते हैं। नैतिक मान्यताओं का अध्ययन इसीलिए समाज-शास्त्रीय हो जाता है। विभागित भाग १, के निवारों के आधार पर इस दृष्टि से यह विवेचन प्रभावून किया जा रहा है। इस विवेचन में शुक्लजी के निर्णयों को (धाराजिक संदर्भ में दिए गए निर्णयों को) तथ्य रूप में स्वीकार किया गया है और इसी अध्यार पर निष्कर्ष रूप में आन्यताएँ स्पष्ट की गयी रही हैं।

५

मनोविदा१२१ से मनोविदि लिखे गए निवारों में मनोविकारों का विवेचण एवं मनोविदा जनकाली में आभाजिक आधार पर ही किया है। हन निर्णयों को वैयक्ति-पर्यावरण-निवार नहीं कहा जा सकता। शुक्लजी इन निवारों में भवनी नैतिक मान्यताओं को व्यक्त कर देते हैं। नैतिक मान्यताएँ सर्व भावाविक-अध्ययन से यस्तु होनी हैं। समाज निरपेक्ष नैतिक मान्यताओं को कहना नहीं जी जा सकता। जहाँ किसी समाज-विशेष में मात्र मान्यताएँ इमरे भवार के भावामें भी मान्य होगी या उन्हें स्वीकार कर किया जायगा, वैसा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह एक युग विशेष की मान्यताएँ, उस वृज-विशेष के समाज से सम्बद्ध रहेगी और उनका स्वरूप युग-विशेष के बढ़ाने पर बदल सकता है। मान्यताओं के बदल जाने पर भी उनका महत्व प्रतिक्रियिक हो कम से कम रहता ही है और यदि वे मान्यताएँ बाद में भी प्रतिक्रिय रहती हैं तो उनका मूल निर्दिष्ट रूप में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यहाँ कहना यह है कि शुक्लजी की नैतिक मान्यताएँ भारतीय परम्परा से सम्बद्ध होने द्वारा भी उन्हें जी अपने युग की समाज विशेष में प्रभावित मान्यताओं की अवलंग करनेवाली है। यदि हमें शुक्ल की शुक्ल-युग की (महाद्वारात्रयाद द्वितीय कालीन) नैतिक मान्यताओं को बीदिक रूप में विस्तैष लट्टेवाला भाग के भीर उम सदर्भ में शुक्लजी का समाज-शास्त्रीय (नैतिक मान्यताओं का समाजशास्त्रीय) अध्ययन करे तो यह अध्ययन रोमांचक ही सकता है। यह तो अब भी निस्वेकोच कहा जा सकता है कि महाद्वारात्रयाद द्वितीय कालीन सब से अधिक चिन्तक हिन्दी में यदि कोई हुआ है, तो वह नुक़त ही है। यैसे दो आज भी हमें शुक्ल का समाव स्तकता है

और पग-पग पर उनसे सहमत न होते हुए भी विवाह होकर उन्हीं से बल प्राप्त कर हमें बलना पड़ रहा है। शुक्लजी की यह शक्ति उसी समय पहचानी जा सकती है, जब हम उनकी नैतिक मान्यताओं का समाजशास्त्रीय आधार खोज लें। यह अध्ययन स्वयं एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ इस अध्ययन के कुछ आधार एवं स्थूल नैतिक निर्देशों को दिखलाकर ही (जिसे शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं का बल मी कहा जा सकता है) संतोष किया जा सकता है। यह अध्ययन की इति नहीं, अथ है ऐसा मानना चाहिए।

६

अब से पहले जो बात हम शुक्लजी में देखते हैं, वह है उनका सामाजिक चिन्तन। शुक्लजी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं, समाज के संदर्भ में सोचते हैं। व्यक्ति को विशेष मानने पर भी उस व्यक्ति में जिस धर्म को वे सोचते हैं, वह धर्म सामाजिक है। शुक्लजी ने धर्म को समझाने के लिए मानस का सहारा लिया है। चिन्तापण भाग १ में 'मानस की धर्म-भूमि' निवन्ध उनके इसी प्रकार के विचारों का परिणाम है। धर्म के सन्बन्ध में उन्होंने लिखा है: "धर्म ही ब्रह्म के सत्सन्वरूप की व्यक्ति प्रवृत्ति, जिसकी असीमता का आभास अखिल-विश्व-स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साधात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे धर्मों से लेकर समस्त भूमडल और अखिल विश्वतक के बीच किया जा सकता है। परिवार और समाज की रक्षा में, लोक के परिचालन में और समाजिक रूप में, अखिल-विश्व की शाद्वत स्थिति में सत् की इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं।" (पृ. २०७). धर्म की इस व्याख्या में शुक्लजी का व्याप्त परिवार से लेकर समस्त भूमडल के मानव समाज की स्थिति-रक्षा पर है। अपने इस कथन की शुक्लजी ने स्थान-स्थान पर भीमांसा की है और इसके व्यावहारिक पहलुओं पर विचार भी किया है और इस तरह के पात्रों की, जो स्थिति-रक्षा में सहायक रहे हैं, उनकी प्रशासा भी की गई है। अतः धर्म के संबंध में इस कथन को दार्शनिक व्याख्या करने के बायां हम उनके दिए गए नियमों को और समाज-व्यवस्था संबंधी विचारों को देख सकते हैं।

७

यह तो मानना पड़ेगा कि शुक्लजी की मान्यताएँ (नैतिक मान्यताएँ) जिस समाज पर—समाज दर्शन पर—आधारित हैं, वह हिंदू समाज है। इस संबंध में उन्हे अपनी परपरा पर गवे हैं और अपने में अटूट आधमविश्वास है। इसके प्रमाण में निम्न लिखित पवित्रियाँ देखी जा सकती हैं:—

ममार ने तटस्थ रहकर शाति सुखपूर्वक लोक-व्यवहार
मनुष्यी उपदेश केनवालों का उतना अधिक महत्त्व हिंदू-बर्म में
नहीं है बिहार संसार के भीतर भूसकर उसके व्यवहारों के बीच
गान्धीजी के अधिकार नहीं माने गए हैं। अपने जीवन-
दार कर्म-सीदीय संघर्षित करनेवाले ही अवतार कहे गए हैं।”
(पृ. ४२)

इस चिठ्ठाम के अनुमार शुक्लजी रामचरितमाला का मूल्यांकन
करते हैं : राम उनका आदर्श पात्र है। इस कसीटी को लिए हुए जब वे
मूल्यांकन करते हैं या निर्णय देते हैं, तब उनका नैतिक दृष्टिकोण अधिक
स्पष्ट होता है। शुक्लजी की नैतिक मान्यताएँ रामजन्म कितनी हैं और
जबने चिठ्ठाम के अवधार पर उसमें वे किस प्रकार का संशोधन चाहते हैं और
इस संशोधन में उनके पुण की गान्धारिक स्थितियों का चिन्ह वे किस प्रकार से
जीतते हैं, यह सब, तथा तक स्पष्ट नहीं होता तब तक शुक्लजी की अपनी
निजी मान्यताएँ स्पष्ट नहीं हो सकती। जौन इच्छूई ने नैतिक सिद्धांतों को दो
भागों में विभाजित किया है। (१) रामजन्म नैतिकता और (२) विमर्शात्मक
नैतिकता। अर्हा तक दोनों दोनों की नैतिक मान्यताएँ परंपरा पर आधित हैं,
नैतिकता के लिये रामजन्म की रामजन्म ही कहा जा सकता है। अपने चितन के
आधार पर जहा-जहा वे आवश्यकतानुभार नैतिकता को विमर्शात्मक रूप
देते रहते हैं, अर्हा-अर्हा हम उनको शुक्लजी की अपनी निजी नैतिक मान्यताएँ
मह सकते हैं। इसमें पहले हम दोनों प्रकार की नैतिकता का अन्तर देख
सकते हैं।

८

जौन इच्छूई ने रामजन्म नैतिकता और विमर्शात्मक नैतिकता का
अन्तर स्पष्ट करते हुए किया है। “रामजन्म नैतिकता का परिणाम कुछ
निश्चित आदेश, नियम और नियन्त्रित विधि-निषेध होते हैं, जब कि
विमर्शात्मक नैतिकता में प्रैसा नहीं होता।” .. आगे और लिखा है :- “नैति-
कता का विद्याम — (१) मनुष्य के मन में वैदा होनेवाले विभिन्न प्रकार
के वस्तुदृढ़ों का भाग्यदीकरण करता है और इस प्रकार वह एक
कुर्बानस्त और परेशानी में पहुँचे हुए अर्थात् को इस दात में सहायता देता
है कि वह अपनी विधिष्ठ भवस्था को एक अधिक व्यापक प्रसंग में रखकर
उसका समाप्तन सोज सके। (२) वह यह बता सकता है कि जिन्होंने इस

तरह के विषयों पर विचार किया है, उनके इस प्रकार की समस्याओं को बौद्धिक दृष्टि से हल करने के मुख्य—मुख्य तरीके क्या हैं, और वह व्यक्तिगत विचार-विमर्श को अधिक विधियुक्त और प्रबुद्ध बना सकता है। क्योंकि वह ऐसे विकल्प सुझा सकता है, जिनकी उसके बिना उपेक्षा कर दी जाती और मनुष्य के विवेक और निर्णय को अधिक समृद्ध और समजस बना सकता है... विमर्शात्मक नैतिकता का स्वरूप ही ऐसा है कि उससे विमर्श और अनुचिन्तन से व्यक्ति अपने लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल सकता है। व्यक्ति के लिए पहले से तैयार और गढ़े-गदाए निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न विमर्शात्मक नैतिकता के स्वरूप का ही व्याघ्रात है।”^१ इस आलोक में शुक्लजी^२ की नैतिक मान्यताओं पर विचार हो सकता है।

यह तो हम देखते हैं कि शुक्लजी के पास समस्याओं का हल —सामाजिक समस्याओं का हल—मौजूद है। और यह हल कर्तव्य पक्ष को अधिक व्यक्त करनेवाला है। शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं में इसीलिए रुद्धिजन्य नैतिकता का पुट अधिक है। रुद्धिजन्य नैतिकता के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं।

(१) “जनता के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करनेवाला क्षात्र-धर्म है। क्षात्र-धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य आवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। क्षात्र-धर्म एकान्तिक नहीं है। उसका सम्बन्ध लोक-रक्षा से है। कर्म सौदर्य की योजना क्षात्र जीवन में जितने रूप में सभव है, उतने रूपों में और किसी जीवन में सभव नहीं। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप-भावुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुख-भोग के साथ परदुखकातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्म-पथ का अवलभवन इत्यादि कर्मसौदर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष-योग और कहाँ घट सकते हैं? इसी से क्षात्र धर्म—के सौदर्य में जो मधुर आकर्षण है वह अधिक व्यापक, अधिक ममंस्पर्शी और अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की सम्पूर्ण रागात्मिका वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने का सामर्थ्य उसमें है।” (पृ. ४३)

१. नैतिक जीवन का सिद्धात-जॉन ड्यूइ—(अनुवादक—कृष्णचन्द्र.)
पृष्ठ. ५ और ६

एक प्रकार से यह कथन (जिसमें आदर्श राम के गुण हैं) सभी सामाजिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करनेवाला प्रतीत होता है। राम की शरण में जाते ही समस्याओं का हल (राम में विश्वास रखने के नाते) अपने आप भी जाएगा । यदि इस कथन को विश्लेषित करे और व्यावहारिक दृष्टि से थोड़ी गहराई से विचार करे तो लगेगा कि इस कथन में रुढ़िजन्म नैतिकता का भाव निहित है । ऐसा क्यों प्रतीत होगा ? यह प्रश्न पूछा जा सकता है । ऐसा इसलिए प्रतीत होगा कि रामचरितमानस के राम (अपने आप में आदर्श हीते हुए भी और सामाजिक समस्याओं का निदान प्रस्तुत करनेवाले हीते हुए भी) एक विशेष प्रकार की समाज-व्यवस्था से सम्बद्ध है । अतः बदली हुई सामाजिक व्यवस्था के सदर्भ में उस अतीत का स्कृन देखना एक प्रकार से रुढ़ि का आग्रह करना है । रुढ़िवादियों के सम्बन्ध में कहा है— “ सबैप में हम कह सकते हैं कि रुढ़िवद्ध धारणाएँ, स्थितियों को अर्थ प्रदान करती हैं अर्थात् उनके द्वारा तत् तत् सदर्भों में सीमाएँ निर्धारित होती रहती हैं । वह स्थिति विशेष की व्याख्या या परिभाषा व्यवहारों में समावित अधिवा वास्तविक रूप में करने का प्रयत्न करती रहती हैं । इस प्रकार से किसी स्थिति-विशेष की व्याख्या या परिभाषा करना सर्वद अपेक्षित स्थितियों की स्वीकृतियों में बद्ध रहता है । साथ ही रुढ़िवादी को नैतिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है और यह स्थिति स्कृति के प्रतिमान या मानक (Cultural norm) की अभिव्यक्ति होती है । वे स्थितियाँ, जिनके बीच रुढ़िवादियों का विकास होता है और वे आगे बढ़ते रहते हैं; स्कृति-विशेष से सम्बद्ध होते हुए प्रायः वे सामूहिक सधर्ष और नेतृत्व से सम्बन्ध रखनेवाली होती हैं । ” ⁹ किम्बाल यग के इस कथन के सदर्भ में यदि

I “ We may say, in short, that the function of a stereotype is to give meaning to a situation, that is, to delimit behavior with reference to it. It defines the situation in terms of acts, potential or actual. This definition of the situation always involves the operation of expectation and acceptance. This, in turn, makes for regularity and hence for prediction and control. Furthermore, a stereotype may well have to do with moral action, in which case it becomes an expression of a cultural norm. The situations from which stereotypes develop and continue in the culture are largely those concerned with group conflict and leadership.”

Handbook of Social Psychology
By—Kimball Young. Revised edition of 1963. printed in Great Britain by Butler Tanner ltd. London—page-189.

शुक्लजी की ऊपर दी गई पंचितयों को देखें तो स्पष्ट हो जायगा कि शुक्लजी ने स्थिति विशेष को अपेक्षित अर्थ प्रदान किया है। क्षात्र-घर्मे की अपूर्व महिमा दिखलाई गई है। और जैसे कि कहा गया है, इनका सम्बन्ध सामूहिक—सधर्पं और नेतृत्व से है।

-९-

शुक्लजी की नैतिक मान्यताएँ परम्पराओं का समर्थन करती जान पड़ती हैं। उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता से परम्पराओं की व्याख्या वैज्ञानिक रूप में की है। शुक्लजी की बौद्धिक क्षमता से हम इतने आक्रान्त हो जाते हैं कि सहज ही मेरे यह नहीं सोच सकते कि यह परम्पराओं का समर्थन है। हिन्दू-संस्कृति से प्रभावित समाज निश्चित रूप से शुक्लजी की व्याख्याओं, विश्लेषणों एवं विवेचनों, चाहे वह मनोविकारों से सम्बन्धित हो या अन्य विषयों पर हो, से बल ग्रहण करता है। मनोविकारों से सम्बन्धित निबन्ध एक प्रकार से आचरण के विधि-नियंत्रणों से युक्त है, किन्तु इन विधि-नियंत्रणों को वैज्ञानिक रूप दिया गया है। एक प्रकार से हिन्दू-संस्कृति के अनुसार लिखी गई आचरण-सहिताएँ, इन नियंत्रणों में अनकहे ही व्यक्त हो गई हैं या कह दी गई है। ऐसा आमास सहज ही में इसलिए नहीं होता कि स्थिति-विशेष को परिभाषित किया गया है और वर्गीकरण आदि करने हुए, वैकल्पिक स्थितियों पर विचार करते हुए, मनोविकार विशेष को शुक्लजी ने विषय-प्रधान (वैज्ञानिक) बनाने का प्रयास किया है। जैसे कि पहले ही कहा गया है शुक्लजी का यह सारा विश्लेषण कर्तव्य-पक्ष पर अधिक प्रकाश डालता है। यों कहना चाहिए कि यह सारा लेखन व्यक्ति के लिए होते हुए भी व्यक्ति की निजी समस्याओं के हल की दृष्टि से नहीं है। यह सारा लेखन व्यक्ति को समाज का एक अग मानकर समाज की स्थिति रक्षा के लिए (लोकमंगल के लिए) किया गया है। इस स्थिति में व्यक्ति को समाज से कुछ पाने की अपेक्षा कम है, इसके विरुद्ध व्यक्ति को समाज के लिए अपनी और से देना ही देना है। शुक्लजी का यह समाज-दर्शन इसीलिए एकांगी हो गया है। यह समाज-दर्शन व्यक्ति को समाज के सदर्भ में देखता है, समाज को व्यक्ति के संदर्भ में नहीं देखता।

१०

नैतिक मान्यताओं में विमर्श को कितना स्थान प्राप्त है इस पर भी विचार होना, चाहिए विमर्शात्मक नैतिकता का स्वरूप उस समय स्पष्ट

होता है जब हम लेखक को अन्तर्दृष्टों की स्थिति से गुजरते हुए देखे। यही नहीं वह अपने युग की ऐतिहासिक यथार्थ रेखाएँ खीचकर, युग के आक्रोश को, युग की पीड़ाओं को तथा युग की समस्याओं को व्यक्त करे और इन सब को व्यक्त करते समय अपने विमर्श या चिन्तन के आधार पर निर्णय दें। इस प्रकार के निर्णयों में ही लेखक की विमर्शात्मक नैतिकता ज्ञालक सकती है। इस दृष्टि से जब हम शुक्लजी के निबन्धों को देखते हैं, तो हमें निराश होना पड़ता है। जिस लेखक में अपूर्व आत्मविश्वास है और जिसका आत्मविश्वास प्रथम वाक्य में ही ज्ञालक जाता है, भला वह अन्तर्दृष्ट की म्यतियों से गुजरता हुआ कैसे दिखलाई देगा? आत्मविश्वास और अन्तर्दृष्ट का मेल नहीं हो सकता। अन्तर्दृष्टों के स्थान पर शुक्लजी के लेखन में आक्रोश है। इसी तरह अपनी समकालीन स्थितियों से शुक्लजी ने असतोष व्यक्त किया है और उनकी दृष्टि में जो प्रवृत्तियाँ धातक थीं, उन्होंने उसे रोकने की भरसक चेष्टा की है। शुक्लजी के व्यग्य उनके अपने समय की सामाजिक स्थितियों को (शुक्लजी की दृष्टि में ही) स्पष्ट करते हैं। शुक्लजी का सारा आक्रोश व्यक्ति के लिए है, उस व्यक्ति के लिए है, जो सामाजिक दायित्वों को भूल बैठा है, अपनी परम्पराओं को जानता नहीं है और न ही अपनी ओर से इस दिशा में (परम्परानुसार अनुमोदित नैतिकता) जानने के लिए प्रयत्नशील है। शुक्लजी व्यग्य भी करते हैं तो उसमें उनका हेतु व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग करना रहा है। जहाँ जहाँ व्यक्ति सामाजिक दायित्वों से विमुख होता हुआ दिखलाई देता है, (शुक्लजी की दृष्टि में ही) वहाँ-वहाँ वे व्यग्य करते जान पड़ते हैं। उनके व्यग्यों में उनके भीतर का आत्मविश्वास हँसता रहता है। इस हँसी को पहचानना बहुत कठिन है। हँसने के क्षण उन्मुक्त हृदय के क्षण होते हैं और इन क्षणों में यदि हम किसी लेखक के साथ हो जाएँ (लेखक की भावना या लेखक की विचारधारा के साथ) तो हम उम लेखक के अन्तर का दर्शन कर सकते हैं। शुक्लजी बाहर से गभीर प्रतीत होते हैं। उनके हँसनेवाले व्यक्तित्व की ज्ञालक उनके व्यग्यों के बीच छिपी हुई है। सक्षेप में शुक्लजी की विमर्शात्मक नैतिकता उनके व्यग्यों में निहित है। उनके लेखन का यह अश उनके अपने समय के समाज से है। अतः अपने समय के समाज पर उनके द्वारा दी गई टिप्पणियाँ ही उनकी नैतिक मान्यताओं को—विमर्शात्मक नैतिक मान्यताओं को—व्यक्त करने में समर्थ हो सकती हैं।

११

अब हम शुक्लजी के आक्रोश और व्यग्य का विश्लेषण करें। यह पहले ही कह दिया गया है कि शुक्लजी का आक्रोश और व्यग्य व्यक्ति के प्रति

है। उस व्यक्ति के प्रति जो सामाजिक दायित्वों को भूल बैठा है। अतः यह माना जा सकता है कि शुक्लजी की दृष्टि में एक आदर्श समाज की कल्पना है। उनका यह आदर्श समाज रामचरितमानस का आदर्श समाज है। रामराज्य की कल्पना उनके मानस में विराजमान है। शुक्लजी का स्वप्न तुलसी के इस स्वप्न से पूर्णतः मेल रखता है। ऐसा कहा जा सकता है:-

कबहुँक हौ यहि रहनि रहोंगो ।

श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते सत सुभाव गहोंगो ।

यथालाभ सतोष सदा काहु सो कछु न चहोंगो ।

परहृत-निरत निरन्तर मन क्रम बचन नेम निबहोंगो ।

परष्ठ बचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो ।

विगत मान सम सीतल मन, पर गुन नहि दोष कहोंगो ।

परिहरि देह जनित चिन्ता, दुख सुख सम्बुद्धि सहोंगो ।

तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल हूरि भक्ति लहोंगो ।

.... विनयपत्रिका, १७२

इस कथन के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। कहना यह है कि व्यक्ति को इस दिशा में (हृदय परिवर्तन करने के लिए) मोड़ना कि वह तुलसी के इस पद के भावानुकूल अपनी आत्मा को सहज रूप में निर्मल करने के लिए तैयार हो जाय, शुक्लजी का लक्ष्य प्रतीत होता है।

शुक्लजी व्यक्ति के प्रति (व्यक्ति के स्वभाव-संशोधन के लिए) जितने अधिक सचेत जान पड़ते हैं, उतने समाज के प्रति नहीं। यदि यह कह दिया जाय कि समाज के वैज्ञानिक स्वरूप की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो अनुचित नहीं होगा। इसीलिए शुक्लजी का नैतिक पथ एकाग्र हो गया है। उसका आक्रोश और व्यंग्य अपनी जगह ठीक होने पर भी (उतनके भीतर समाज की मगल कामना होने पर भी) वह समस्याओं का-सामाजिक समस्याओं का —नैतिक निदान प्रस्तुत करने में असमर्थ है। समाज को स्थिर रान लेना, एक निश्चित स्थिति के भीतर समाज की आदर्श कल्पना कर लेना एवं उन्हीं सामाजिक मानदण्डों को स्वीकार कर लेना (मानस के समाज) अपने युग के समाज से कटकर रहना है। और जो अपने युग के समाज से कटकर रहता है, उसमें उस समाज के प्रति आक्रोश का भाव आ जाता है। आक्रोश का कारण फिर समाज को न मानकर व्यक्ति

को मानता व्यर्थों कि व्यक्ति दूषित हो गया है, अतः समाज में गड़बड़ी है। व्यक्ति के स्वभाव-संशोधन से फिर अतीत को स्थापित करने की चेष्टा, यह सब ऐसा चक्र है जिसमें शुक्लजी उलझ गए हैं और इस कारण उनकी नैतिक मान्यताएँ विमर्शात्मक (बदलती परिस्थितियों के अनुरूप) स्वरूप लेने में असमर्थ रह गई हैं। इस पर भी शुक्लजी की प्रशंसा इस बात में की जा सकती है कि शुक्लजी व्यक्ति विशेष पर (व्यक्तिगत रूप में) न अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं और न ही व्यथा। उनका आक्रोश और व्यथा सामान्योन्मुख है। अर्थात् शुक्लजी का आक्रोश और व्यथा प्रवृत्तियों के प्रति हैं; उन प्रवृत्तियों के प्रति जो उनके अपने आदर्श समाज की कल्पना के विपरीत हैं। यह पहले ही कह दिया गया है कि शुक्लजी में अन्तर्द्वन्द्व नहीं मिलता। अन्तर्द्वन्द्व के क्षण, किसी व्यक्ति के जीवन में उस समय आते हैं, जब व्यक्ति नैतिक विकल्पों में फंसा रहता है और विकल्पों से सकल्प की ओर आने में प्रयत्नशील रहता है। यदि व्यक्ति अपने इन नैतिक विकल्पों को सकल्प में बदलने की सही सही स्थिति व्यक्त कर दें और यदि राह पा ले तो निष्कर्ष रूप में जिस नैतिक पक्ष को वह स्वीकार कर लेगा, वह नैतिक पक्ष विमर्शात्मक नैतिकता का रूप होगा। अन्तर्द्वन्द्व के क्षण व्यक्ति की कमज़ोरी के क्षण होते हैं और समस्याओं का निदान खोजने के क्षण होते हैं। इन क्षणों में व्यक्ति नैतिक बल प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। इन क्षणों में व्यक्ति स्वयं को समाज के साथ समायोजन (Adjustment) के लिए प्रयत्न करता रहता है। इन क्षणों में व्यक्ति को सहज प्रवृत्तियाँ अधिक जाग्रत और सघनत होती हैं और व्यक्ति चाहता है कि समाज उसको समझे और न समझने की असमर्थता (समाज द्वारा व्यक्ति के न समझने की असमर्थता) ही उसके अन्तर्द्वन्द्व का कारण होती है। आक्रोश की स्थिति इससे कुछ विपरीत है। अन्तर्द्वन्द्व जहाँ अपने प्रति होता है, आक्रोश वहाँ जौरों के प्रति होता है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के मानस का विश्लेषण करने लगता है, दूसरे व्यक्ति के अन्तर्द्वन्द्व को समझकर उसका निदान अपनी ओर से प्रस्तुत करने लगता है और इस निदान में उन प्रवृत्तियों को जिन्हे वह अनुचित और धातक समझता है, उनके प्रति वह जो कुछ कहता है, वह आक्रोश का भाग होता है। पिता को अपने पुत्र पर आक्रोश हो सकता है। इसी तरह पत्नी को अपने पति पर आक्रोश हो सकता है। आक्रोश की इन स्थितियों में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाने के लिए प्रयत्नशील दिखलाई देता है। चूंकि दूसरा व्यक्ति अपने अनुरूप नहीं है अतः उसके प्रति अपने अनुरूप बनाने की स्थितियों पर विचार करते समय मन में—व्यक्तिक रूप में ही—आवेग होता है, वह आवेग आक्रोश

के रूप में फूट पड़ता है। आचार्य शुक्लजी का आक्रोश व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का है। इसमें भी उनका आक्रोश विशेष रूप से उन व्यक्तियों के प्रति है, जो अपने को विदान् तथा पंडित समझते हुए भी ऐसी प्रवृत्तियों को अपनाए हुए हैं, जो समाज के लिए (शुक्लजी के दृष्टि में) बातक हैं। शुक्लजी का यह आक्रोश भी (जैसे कि पहले ही कह दिया गया है) व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, प्रवृत्तियों के प्रति है, ऐसा कहा जा सकता है। यों कहना चाहिए कि शुक्लजी का आक्रोश वस्तुमूलक है, व्यक्तिमूलक नहीं है। जहाँ प्रवृत्ति को काटना है, वहाँ वे उस प्रवृत्ति का विवेचन विस्तार से करेंगे और बाद में उसके उस स्वरूप का उद्घाटन करेंगे, जिसे वे उचित नहीं समझते। उचित न समझने का वे कारण हैं और उम सम्बन्ध में अपनी ओर से सकारात्मक सुझाव भी देंगे। इस सब के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। किसी प्रवृत्ति को नकारना इतना सरल नहीं है। शुक्लजी ने किसी प्रवृत्ति को चलते ढग से नहीं नकारा है। डटन का विरोध या कोचे का विरोध करने से पहले उन्होंने उनके मत को समझने की कोशिश की है, आक्रोश के साथ-साथ शुक्लजी व्यर्थ भी करते चलते हैं। उनका व्यर्थ विशेष रूप से उन व्यक्तियों के प्रति है जो नासमझ हैं या अनज्ञान में अज्ञान के कारण कुछ-को-कुछ समझ बैठे हैं। व्यर्थ करते समय भी शुक्लजी कुछ-को-कुछ समझने का उद्घाटन करते हैं और जुप हो जाने हैं। बहुत हुआ तो स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं। बहुत जगह नाम को आनंद हुए भी (व्यक्ति विशेष के) नाम को शुक्लजी ने लिखा नहीं है। उदाहरण के लिए :-

“पर आजकल इस प्रकार का (प्रतिलिपि से परिकल्प) परिचय बाबूओं के लिए लज्जा का विषय हो रहा है। वे देश के स्वरूप से अनज्ञान रहने या बनने में बड़ी नाम समझते हैं। मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ साँची का स्तूप देखने गया ... वसन्त का समय था। महुए चारों ओर टाक रहे थे। मेरे मुँह से निकला—‘महुओं को कौनी मीठी महक आ रही है। इन पर लखनवी महाशय ने मृगों रोककर कहा, ‘यही महुए सहुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती समझेंगे।’ मैं चुप हो गया; समझ गया कि महुए का नाम जानने से बाबूपन में भारी बड़ा लगात है।”

पृ. ७८-७९

इन पक्षियों में व्यर्थ है। कही कही व्यर्थ और आक्रोश दोनों साथ साथ हो गए हैं। दोनों में से कौन प्रचान है, यह पहचानना कठिन हो गया है। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है।-

‘उदाहरण के लिए आत्मगलानि और खोभ के बीच विजयके द्वारा वह (हैमलेट) स्वीं जाति की भत्संना करता है। अतः हमारे देखने में ऐसी मनोवृत्ति का प्रदर्शन, जो किसी दशा में किसी की हो ही नहीं सकती, केवल ऊपरी मनवहलाव के लिए खड़ा किया हुआ कृतिम तमाशा ही होगा। पर डंटन साहब के अनुसार ऐसी मनोवृत्ति का विश्वास नूतन सृष्टिकारिणी कल्पना का सब से उज्ज्वल उदाहरण होगा।’’ पृ. २३५

१२

और अब अन्त में शुक्लजी के नैतिक बल को परखें। उनको इस शक्ति का रहस्य उनका अपना आत्मविश्वास है। उनके इस आत्मविश्वास का कारण उनका अपना ज्ञान है। यह मानी हुई बात है कि ज्ञान प्रकाश का सूचक है। किसी विद्य के अन्तबहिर्भूत विश्लेषण की क्षमता, उस विषय के प्रति विश्वास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। शुक्लजी का आत्मविश्वास इसीलिए अन्ध-विश्वास नहीं कहा जा सकता। ज्ञान के लिए सब से बड़ा आधार तथ्य होते हैं। तथ्यों पर दृष्टि रखना और तथ्यों की भीमासा करना तथ्य के भीतर निहित सत्य तक पहुंचने का प्रयास होता है। शुक्लजी की दृष्टि प्रारम्भ से ही तथ्यों पर रही है। इसीलिए उनके कथनों में (तथ्यों की ज्ञानपूर्लक भीमाना के कारण) विश्वास झलकता है। मनोविकारों का अध्ययन (विश्लेषण एवं मूल्यांकन) समाज-मनोवैज्ञानिक है। इस ज्ञान को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। रसेल ने लिखा है—“विज्ञान तत्त्वतः ज्ञान की व्यवस्थित खोज के अलावा और कुछ नहीं है। और ज्ञान अपने तात्त्विक रूप में मांगलमय ही है—कुछ बुरे लोग उसका चाहे जितना दुरुपयोग करें। ज्ञान पर ही विश्वास खो बैठना मनुष्य की सर्वोत्तम क्षमता पर विश्वास खो देना होगा, और इसलिए मैं निस्सकोच इस बात को दोहराता हूँ कि एक कम विकसित पुग के बचकाना सन्तोषों की खोज करनेवाले भी रुग्गों की अपेक्षा दृढ़ तकनीवादी का विश्वास अधिक अच्छा है। उसका आशावाद अधिक पौरूषमय और दृढ़ है।”^१ रसेल की इन पक्षियों में शुक्लजी की शक्ति के (नैतिक शक्ति के) रहस्योदयाटन का संकेत है। शुक्लजी का सन्तोष बचकाना नहीं है। वह दृढ़ है। इसीलिए विश्वास में आशावादी स्वर है और यह आशावाद पौरूषमय है।

१. वैज्ञानिक परिदृष्टि-बण्ट्रेड रसेल- (अनुवादक : गगारतन पाण्डेय)

पृ. १०३-१०४

शुक्लजी के विश्व स को लकवादी विश्वाम् कहा जा सकता है। प्रसं
 विश्वास के पीछे तके का बल हो, वह विश्वास जागनी-शक्ति का थोड़ा होता
 है। यह जीवनी-शक्ति शुक्लजी में है। यह शानित उम गमग और दक्षायान भानी
 जा सकती है (तर्काश्रित विश्वाम् की छटि)। अब विश्वाम् रथनेवाला (प्रविन्त्व)
 पक्ष-विपक्ष दोनों का दरतुमूलक विवेचन (तथों के आधार पर) करने में
 समर्थ हो। अपने विश्वास के लिए सदा रात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार
 के तर्क देने आने चाहए। नकारना बहुत सरल है। विन्तु नकारने के स्थान पर
 सकारने वाली स्थितियों को निदान रूप में (विश्वास के साथ) प्रस्तुत करना
 बहुत कठिन है। शुक्लजी के तर्कों में सकारने। विश्वाम् के समर्थन यार्थ तके)
 और नकारने (विश्वास के विरोध में प्रवलित प्रवृत्तियों का खण्डन करने वाले
 तर्क) दोनों की अपूर्व शक्ति हैं। उनकी हाँ में और ना में अपूर्व बल हैं।
 शुक्लजी बीच की स्थिति (गंगा गए गांदन, जग्ना गए जगनादन वाली
 स्थिति) का प्रमद नहीं करते। आज शुक्लजी नो नकारा जा रहा है किन्तु
 सकारनेवाली स्थिति (नकार के जगत का पूर्व कर्त्तव्याली स्थिति) अब भी
 दिखलाई नहीं देता। धूम-फिर करहा फिर शुक्लजी की ओर देखते हैं।
 उनका नैतिक बल आज भा हम लाग्नी का नैतिक बल प्रदान कर रहा है।
 शुक्लजी का महत्व केवल ऐतिहासिक नहीं है, (वर्ते समय में दी गूल्य रथनेवाला
 महत्व) वह आज भी हमारे लए उपायगी है जैगे-जैसे गमग धीतना जा
 रहा है, शुक्लजी का महत्व बढ़ता जा रहा है। शुक्ल के बल का पहचानकरता
 हम शुक्ल की परम्परा को आज की स्थिति में आगे यहा सकते हैं। उनकी कम-
 जोरियों का उद्घाटन तो हुआ है, किन्तु उन कमजोरियों के कारणों की नैतिक
 मीमांसा नहीं हुई है। यहाँ कार जो विश्वाम् प्रस्तुत किया गया है, वह इस
 दिशा में बहुत संक्षिप्त प्रशान्त है। अन्त में कहना यह है कि शुक्लजी की
 शक्ति का रहस्य उनकी नैतिक मान्यताओं में निहित है। और इसी तरह उनकी
 कमजोरियों भी नैतिक मान्यताओं में निहित हैं। और नैतिक मान्यताएँ समाज-
 संस्कृति-सापेक्ष होती हैं, अतः यह विवेचन समाज-संस्कृति-सापेक्ष स्थितियों
 के सदर्भ में करने से ही नैतिक मान्यताओं का विवेचन वैज्ञानिक हो सकता
 है। इस दृष्टि से शुक्लजी अपने युग का समाज-संस्कृति-सापेक्ष स्थितियों का
 नैतिक मूल्याकान करनेवाले हिन्दों के एकमात्र चिन्तक तथा मनीषी है। इस
 दृष्टि से उनका महत्व अपनी जगह सदैव बना रहेगा।

७. और अन्त में



७. और अन्त में

अब तक शुक्लजी के सम्बन्ध में (चिन्तमणी भाग १ के आधार पर) लिखे गए अध्यायों का यहाँ समाहार करते हुए, यह उपसंहार लिखना है। यद्यपि अब नया कुछ भी कहने के लिए नहीं है किन्तु इन अध्यायों के क्रम एवं उद्देश्य को स्पष्ट करना आवश्यक है। इसी तरह पुस्तक की योजना एवं उसकी भीमाओं को भी स्पष्ट करना है। इसी दृष्टि से यह उपसंहार लिखा जा रहा है।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत लिखा है। उनको सब रचनाओं को ध्यान में रखकर उनकी साहित्यिक अभिरुचि, उनका आचार्यत्व, उनकी सभीकाओं तथा उनकी नैतिक मान्यताओं आदि का विवेचन संभव है। इस्तक में ऐसा नहीं किया गया है। (यद्यपि इन रचनाओं का अध्ययन लेखक ने किया है और लिखते समय अप्रत्यक्ष रूप में इनका उपयोग हुआ है।) इस

पुस्तक में ध्यान विशेष रूप से चिन्तामणि भाग २, के निबन्धों पर ही लेन्ड्रिट किया गया है। रार्चर उदाहरण प्रायः चिन्तामणि भाग १, में ही दिए जए हैं। विस्तृत अध्ययन की अपेक्षा नीमिन अध्ययन को अध्यापक स्तर पर करने का यह प्रयास है। यह तो पुस्तक की बात है। निबन्धों का (अध्यायों का) चुनाव करते समय—शीर्षक देते समय—भी ध्यान प्रायः चुने हुए निबन्धों पर या निबन्ध विशेष पर रहा है। प्रयत्न इस बात का किया गया है कि कोई निबन्ध छूटने न पाए। इस दृष्टि से प्रत्येक अध्याय का दृष्टिकोण अपूर्ण प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रथम अध्याय 'भासोविकारों का भूल्यांकन' है। इस अध्याय में भाव या मनोविकार से लेकर बोध तक के १० निबन्धों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन है। 'कविता : प्रयोजन एवं आवश्यकता' अध्याय के अन्तर्गत 'कविता दया है?' का विवेचन है। 'अभिरुचि और समीक्षा' के अन्तर्गत 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' 'तुलसी का भक्तिमार्ग' तथा 'मानस की धर्म-सूमि' इन तीनों का अध्ययन प्रस्तुत करना था किन्तु विस्तार के प्रल 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' निबन्ध को दी मिल पाया है। अन्य दोनों निबन्धों का उपरोग अन्यथा भी होता रहा है। इसी तरह 'सिद्धान्त और व्यवहार' अध्याय के अन्तर्गत 'साधारणीकरण और व्याप्तित्वैक्षिक्यबाद निबन्ध का विश्लेषण है। इस निबन्ध में अप्रत्यक्ष रूप से 'कौत्य में नैकमंगल की साधनावस्था' का भी उपरोग हुआ है तथा तुलसी मन्त्रन्त्री तो निबन्धों का भी। 'भाषा और शब्दों' वाले अध्याय में 'रसात्मक बोध के विविध-रूप' को ही विशेष रूप से आधार बनाया गया है। और अन्तिम 'नैतिक मान्यताएँ' में पुस्तक के (चिन्तामणि भाग १) सारे निबन्धों का उपयोग है। इन तरह से प्रयत्न इस बात का किया गया है कि तुराह का कोई निबन्ध विवेचन की दृष्टि से छूटने न पाए। शुक्लजी की पुस्तकों में केवल चिन्तामणि भाग २, जीर चिन्तामणि भाग १, में भी (किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए)। विसी निबन्ध विशेष या चुने हुए निबन्धों को ही अध्यादो का आधार बनाया गया है। इन सीमाओं में बंधकर लिखने से सभक है कि विवेचन एवं विश्लेषण में पूर्णता न आ पाई हो। उदाहरण के लिए 'भाषा और शब्दों' का विवेचन 'रसात्मक बोध के विविध रूप' के आधार पर किया गया है। इस आधार पर और निबन्धों की भाषा और शब्दों का विवेचन, उसी रूप में व्यवस्था है। इसी तरह 'सिद्धान्त और व्यवहार' अध्याय में ध्यान प्रायः 'साधारणीकरण और व्याप्तित्वैक्षिक्यबाद' पर ही रहा है। किन्तु अन्यत्र भी वे प्रयुक्तियाँ मिल सकती हैं। कहना यह यह है कि पुस्तक के निबन्धों (अध्यायों को) को शीर्षक देते समय निबन्धों में विषय एवं प्रवृत्ति दोनों को ध्यान में रखा गया है। इस तरह से देखने पर पहले दो निबन्धों के शीर्षक विषय ('भासोविकारों का भूल्या-

आचार्य शुक्ल के 'आचार्यत्व' पर विचार किया जायगा, तब सब से पहले हमारी दृष्टि चित्तामणि भाग १, पर ही जायगी। जब कि मन्त्राई यह है कि शुक्लजी का लक्ष्य (उनके निवेदन को देखते हुए) —पुस्तक के आरम्भ में दिए गए। आचार्य का नहीं रहा है। शुक्लजी की अन्तर्यामा के प्रदेश उन निबन्धों में है (शुक्लजी के गव्डों में निवेदन के) और यह याना उनकी बुद्धि कर रही है। उनकी बुद्धि ने साहित्यिक समस्याओं का चिन्नन किया है। चिन्तन का सहज परिणाम उनके निबन्धों में है। माहित्यिक समस्याओं का चिन्नन करने के नाते सैद्धांतिक रूप में कुछ कहना पड़ा है। यह कथन साहित्य की व्यावहारिकता के निवेदन के रूप में है। प्रधानतः शुक्लजी साहित्य की (काव्य की) भीमासा ही करते रहते हैं। इस भीमासा में उन्होंने सैद्धांतिक रूप से प्राचीन आचार्यों के सिद्धांतों का समर्थन किया है और पाश्चात्य विचारकों (साहित्य शास्त्र सम्बन्धी विचारकों) का खण्डन किया है। इस समर्थन और विरोध में उन्होंने माहित्य की (काव्य की) व्यावहारिक कठिनाइयों को अपनी दृष्टि से, स्वातन्त्र्यवाद के आधार पर परखा अतः समर्थन और विरोध में भीलिक रूप में उन्हें भी कुछ कहना पड़ा है। इस प्रकार के कथन की कल्पना ने ही उनको आचार्यत्व के पद पर आतीन होने में महत्व बना दिया है। शुक्लजी का आचार्यत्व आनुपर्याप्त (bi-product) है। वह उनका मौजूदा लक्ष्य है।

चित्तामणि के चिन्तन को जब साहित्य का निवेदन कहा जाता है, तो उसका एक कारण यह है कि साहित्य के प्रयोजन और आवश्यकता दोनों पर शुक्लजी विचार करते हैं। इस दृष्टि से 'कविता क्या है?' तिवार्थ अच्छा है। यहाँ कहना यह है कि शुक्लजी 'साहित्य' का वस्तुमूलक (objective) अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का प्रयोग वैज्ञानिक प्रयास ही हो सकता है। अतः शुक्लजी के साहित्यिक चिन्तन को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। एक और जहाँ वे साहित्य के प्रयोजन पर विचार करते हैं, वहाँ वे दूसरी ओर उनकी आवश्यकता पर भी बल देने हैं। उनका साहित्यिक-चिन्तन व्यावहारिक है। सैद्धांतिकों की घोषणा करना एवं उनकी भीमासा करना (निवेदन भाव की) शुक्लजी का लक्ष्य नहीं है। उनके साहित्यिक-चिन्तन में प्रयोजन और आवश्यकता का विवेचन है।

और अन्त में इस साहित्यिक चिन्तन को नैतिक दायित्व से किया गया चिन्तन कह सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने कवि को बहुत ऊँचा स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल कवि को नैतिक-दायित्वों से मुक्त नहीं मानते उन्होंने भावयोग की साधना को कर्मयोग एवं ज्ञानयोग के समकक्ष स्थान दिया है। इस नाते शुक्लजी के साहित्यिक-चिन्तन में भारतीय विचारधारा को नई दीप्ति प्राप्त हुई है।